अप्रैल-जून, 2019
ISSN: 2321-0443
UGC JOURNAL NO.- 41285

ज्ञान गरिमा सिंधु

अंक : 62

भारत सरकार
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
Government of India
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक : 62

अप्रैल – जून, 2019

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

© भारत सरकार 2019

प्रकाशक

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार (पश्चिमी खंड़-7, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली – 110 066

विक्रय हेतु पत्र-व्यवहार का पता

बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड़-7, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
टेलीफोन – (011) 26105211
फैक्स – (011) 26102882

बिक्री स्थान

प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग
भारत सरकार
सिविल लाइन्स
दिल्ली -– 110 054

सदस्यता शुल्क

भारतीय मुद्रा

व्यक्तियों / सस्थाओं के लिए प्रति अंक	रु. 14.00
वार्षिक चंदा	रु.50.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक -	रु. 8.00
वार्षिक चंदा	रु. 30.00

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है ।

यह पत्रिका वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रचार–प्रसार के साथ हिंदी में वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित की जाती है।

संपादन एवं समन्वय

परामर्श एवं संपादन मंडल

प्रोफेसर अवनीश कुमार, अध्यक्ष एवं प्रधान संपादक

प्रोफेसर गोपा भारद्वाज, (सेवानिवृत्त) मनोविज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रोफेसर नीरजा शुक्ला, (सेवानिवृत्त) एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली

डॉ. भ. प्र. निदारिया, (सेवानिवृत्त) उपनिदेशक, केंद्रीय हिंदी
निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

अनुक्रम

अध्यक्ष की कलम से

अ.क्र.	आलेख शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
1	भारतीय संस्कृति : एक व्याख्या	श्री कौशल कुमार	1
2	दूरस्थ शिक्षा और डिजिटल पुस्तकालय	डॉ.अनिल कुमार धीमान	7
3	अद्भुतनाथ (शिवमंदिर) के प्रमुख अल्पज्ञात शिल्पी	डॉ.अंबिका ढाका	18
4	स्त्री सशक्तिकरण - महिलाओं के जीवन की गुत्थी सुलझाना	प्रो.गोपा भारद्वाज	27
5	शिक्षार्थी और दंड	प्रो.वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉ नीरजा शुक्ला	33
6	ऋग्वेद का सामाजिक रचना में योगदान	सुश्री दिव्या राणा	41
7	उच्च शिक्षा की प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ	डॉ.निशांत फात्मा	54
8	खुशी की कुंजी आत्म जागरुकता	डॉ.प्रग्येंदु	64
9	रोड रेज : एक मनोसामाजिक दृष्टिकोण	डॉ.शैलेंद्र कुमार शर्मा	69
10	भ्रष्टाचार का बढ़ता मर्ज : एक सामाजिक बीमारी	डॉ.अलका रानी	74
11	कुंभ मेला पर्यटनः भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का धार्मिक दर्शन	डॉ.शरद कुमार कुलश्रेष्ठ	81
12	प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के संवर्धन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका	डॉ.विनय कुमार सिंह	93
13	वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्य	डॉ. बबिता पराशर, डा. शिखा सिंदवानी	109

14 निर्गुण संत काव्य में योग तत्वानुभूति — डॉ.भगवती प्रसाद निदारिया — 115
15 भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का संवाहक देशः त्रिनिडाड एवं टोबैगो — डॉ. दीपक पांडेय — 122
16 सूचना एवं संचार तकनीकी और पर्यटन प्रोत्साहन — डॉ.उमेश कुमार — 133

विविध स्तंभ

मानक शब्द-भंडार मनोविज्ञान शब्दावली — 144
लेखकों से अनुरोध — 158
हमारे प्रकाशन — 161
बिक्री संबंधी नियम — 177
आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए प्रोफॉर्मा — 180
पत्रिका की सदस्यता हेतु फार्म — 181

अध्यक्ष की कलम से

ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति के आदेश से भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय) के अधीन सन् 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अब तक आयोग ने विभिन्न विषयों की तकनीकी शब्दावली, अखिल भारतीय शब्दावली, परिभाषा कोश, चयनिकाओं, पाठमालाओं तथा विश्वविद्यालय स्तर की हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के निर्माण संबंधी विविध प्रयास किए हैं।

आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी में हिंदी में उच्च स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों की त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का प्रकाशन किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य में रत छात्रों को उनके विषय की अद्यतन जानकारी मिलने के अतिरिक्त हिंदी में मौलिक लेखन एवं स्तरीय अनुवाद को प्रोत्साहन मिलता है, इसके साथ-साथ आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखकों को स्तरीय मंच प्रदान किया जाता है। इस पत्रिका में उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

इस क्रम में 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का 62 वाँ अंक पाठकों एवं लेखकों को सौंपते हुए मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। इस अंक में विभिन्न जानकारी, नवीनतम अनुसंधानों एवं शोध कार्यो की अद्यतन सूचनाएँ एक ही स्थान पर उन्हीं की भाषा में उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम सब जानते

हैं कि पत्रिकाएँ संस्था विशेष के ज्ञान की परिचायक होती हैं एवं राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण अनुसंधानों व शोध कार्यों का एक समेकित और जनोपयोगी सार्थक मंच भी प्रदान करती हैं। यद्यपि अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के समानांतर 'ज्ञान गरिमा सिंधु' का उद्देश्य मूल रूप में हिंदी में वैज्ञानिक लेखन का प्रचार-प्रसार करना है। जिसका कार्यान्वयन व अनुपालन पत्रिका अपने अंकों में करती रही है। पत्रिका का यह अंक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है।

मै इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिकों, लेखकों से अपेक्षा करता हूँ कि वे आयोग के विशेषज्ञों, विद्वानों के सहयोग से तैयार की गई प्रामाणिक एवं मानक शब्दावली का अधिक से अधिक उपयोग कर अपना सार्थक सहयोग आयोग को प्रदान करें।

यह पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र आदि विषयक लोकप्रिय, ज्ञानवर्धक, ज्ञानोपयोगी एवं रोचक सामग्री प्रस्तुत की जाती है।

मै उन सभी लेखकों, विशेषज्ञों एवं आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होंने इस पत्रिका के निर्माण, समन्वय एवं संशोधन कार्य में सहयोग दिया, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं विशेष रूप से डॉ. संतोष कुमार, सहायक निदेशक जिन्हें इस पत्रिका के संपादन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व सौपा गया था; धन्यवाद व्यक्त करता हूँ; जिनके अथक प्रयासों से यह पत्रिका समय पर उपलब्ध हो सकी।

इस अंक के साथ-साथ पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु मनोविज्ञान विषय की महत्वपूर्ण व उपयोगी शब्दावली को भी संलग्न किया जा रहा है ताकि पाठक एवं लेखक भविष्य में अपने द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में मानक शब्दावली का प्रयोग कर राष्ट्रीय स्तर पर शब्द पर्यायों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान कर सकें। इसी के साथ आयोग के प्रकाशनों की नवीनतम सूची को भी इस पत्रिका के अंत में प्रकाशित किया जा रहा है।

सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों व सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

नई दिल्ली

(प्रोफेसर अवनीश कुमार)

अध्यक्ष

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत शब्दावली-निर्माण के सिद्धांत

1. अंतरराष्ट्रीय शब्दों को यथा संभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं :-

   (क) तत्वों और योगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि;

   (ख) तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयाँ, जैसे डाइन, कैलॉरी, ऐम्पियर आदि;

   (ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे मार्क्सवाद (कार्ल मार्क्स), ब्रेल (ब्रेल), बॉयकाट (कैप्टेन बॉयकाट), गिलोटिन (डॉ. गिलोटिन), गेरीमैंडर (मि. गेरी), एम्पियर (मि. एम्पियर), फारेनहाइट तापक्रम (मि. फारेनहाइट) आदि;

   (घ) वनस्पति-विज्ञान एवं प्राणि-विज्ञान, भूविज्ञान आदि की द्विपदी नामावली;

   (ङ) स्थिरांक जैसे ग,g आदि

   (च) ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है, जैसे रेडियो, पेट्रोल, रेडार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि;

   (छ) गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिह्न और सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, टेन्जेन्ट, लॉग आदि (गणितीय

संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिए)।

2. प्रतीक, रोमन लिपि में अंतरराष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे परंतु संक्षिप्त रूप देवनागरी और मानक रूपों से भी, विशेषतः साधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं, जैसे सेन्टीमीटर का प्रतीक बस हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा परंतु देवनागरी संक्षिप्त रूप से से.मी. भी हो सकता है। यह सिद्धांत बाल-साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानक पुस्तकों में केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतीक, जैसे cm ही प्रयुक्त करना चाहिए।

3. ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जैसे क, ख, ग, या अ, ब, परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए, जैसे साइन A, कॉस B आदि।

4. संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए।

5. हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

6. सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो-

   (क) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों, और

   (ख) संस्कृत धातुओं पर आधारित हों ।

7. ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं जैसे, telegraph/telegram के लिए

तार, continent के लिए महाद्वीप post के लिए डाक आदि इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने चाहिए।

8. अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे टिकट, सिगनल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेस्तरां, डीलक्स आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए।

9. अंतरराष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण - अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिह्न व प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े। शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप होना चाहिए और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों।

10. लिंग- हिंदी में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर, पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए।

11. संकर शब्द - पारिभाषिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे guaranteed के लिए गारंटित classical के लिए क्लासिकी codifier के लिए कोडकार आदि के रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषाशास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपों को पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकताओं तथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए।

12. पारिभाषिक शब्दों में संधि और समास - कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द-रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित आदिवृद्धि का संबंध है, व्यावहारिक, लाक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में आदिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित हैं। परंतु नवनिर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है।

13. हलंत- नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए।

14. पंचम वर्ण का प्रयोग - पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए परंतु lens, patent आदि शब्दों का लिप्यंतरण लेन्स, पेटेन्ट या पेटेण्ट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए।

PRINCIPLES FOR EVOLUTION OF TERMINOLOGY APPROVED BY THE STANDING COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

1. 'International terms' should be adopted in their current English form as far as possible, and transliterated in Hindi and other Indian languages according to their genesis. The following should be taken as examples of international terms :-

   a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbon dioxide, etc.,

   b) Units of weights, measures and physical quantities e.g. dyne, calorie, ampere, etc.,

   c) Terms based on proper names e.g. marxism (Karl Marx), Braille (Braille), boycott (Capt. Boycott), guillogtine (Dr. Guillotin), gerrymander (Mr. Gerry), ampere (Mr. Ampere), fahrenheit scale) mr. Fahrenheit), etc.,

   d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology. Geology, etc.,

   e) Constants, e.g., ग. g etc.,

   f) Words like Radio, Petrol, Radar, Electron, Proton, Neutron, etc., which have gained practically world- wide usage;

   g) Numerals, symbols, signs and formulae used in mathematics and other sciences e.g., sin, cos, tan, log etc.. (Letters used in mathematical operation should be in Roman or Greek alphabets).

2. The symbols will remain in international form written in Roman script, but abbreviations may be written in Nagari and standardised form. Specially for common weights and measures, e.g. the symbol 'cm' for centimetre will be used as such in Hindi, but the abbreviation in Nagari may be से.मी. This will apply to books for children and other popular works only, but in standard works of science and technology. The international symbols only, like cm. should be used.

3. Letters of Indian scripts may be used in geometrical figures e.g क, ख, ग, or अ, ब, स, but only letters of Roman and Greek alphabets should be used in trigonometrical relations e.g., sin A, cos B etc.

4. Conceptual terms should generally be translated.

5. In the selection of Hindi equivalents simplicity, precision of meaning and easy intelligibility should be borne in mind. Obscurantism and purism may be avoided.

6. The aim should be to achieve maximum possible identity in all Indian languages by selecting terms :-

   a) Common to as many of the regional languages possible, and

   b) Based on Sanskrit roots.

7. Indigenous terms, which have come into vogue in our languages for certain technical words of common use, such as तार for telegraph/telegram. महाद्वीप for continent. डाक for post etc. should be retained.

8. Such loan words from English, Portuguese, French, etc., as have gained wide currency in Indian languages should be retained e.g. ticket, signal, pension, police, bureau, restaurant, deluxe etc.

9. Transliteration of International terms into Devanagari Script-The transliteration of English terms should not be made so complex as to necessitate the introduction of new signs and symbols in the present Devanagri characters. The Devanagari rendering of English terms should aim at maximum approximation to the standard English pronunciation with such modifications as prevalent amongst the educated circle in India.

10. Gender-The International terms adopted in Hindi should be used in the masculine gender, unless there are compelling reasons to the contrary.

11. Hybrid formation - Hybrid forms in technical terminologies e.g गारंटित for 'guaranteed' क्लासिकी for 'classical', कोडकार for 'codifier'

etc., are normal and natural linguistic phenomena and such forms may be adopted in practice keeping in view the requirements for technical terminology, viz., simplicity, utility and precision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms - Complex forms of Sandhi may be avoided and in cases of compound words, hyphen may be placed in between the two terms, because this would enable the users to have an easier and quicker grasp of the word structure of the new terms. As regards आदिवृद्धि in Sanskrit-based words. it would be desirable to use आदिवृद्धि in prevalent Sanskrit tatsama words e.g., व्यावहारिक, लाक्षणिक etc. but may be avoided in newly coined words.

13. Halanta - Newly adopted terms should be correctly rendered with the use of 'hal' wherever necessary.

14. Use of Pancham Varna - The use of अनुस्वार may be preferred in place of पंचम वर्ण, but in words like 'lens'. 'patent' etc.the transliteration should be लेन्स, पेटेन्ट and not लेन्स पेटेन्ट or पेटेण्ट.

संपादक

डॉ. संतोष कुमार

सहायक निदेशक

प्रकाशन

शिव कुमार चौधरी

सहायक निदेशक

भारतीय संस्कृति : एक व्याख्या

कौशल कुमार
koushaltop@gmail.com

संस्कृति जीवन की विधि है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी अंत:स्थ प्रकृति की अभिव्यक्ति है। सभ्यता और संस्कृति को समानार्थी समझ लिया जाता है, जबकि ये दोनों अवधारणाएँ अलग-अलग हैं।

संसार के सभी विद्वानों ने 'संस्कृति' शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ, व्याख्याएँ की हैं। कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं मिल पाती फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि 'संस्कृति' उन भूषणरूपी सम्यक् चेष्टाओं का नाम है जिनके द्वारा मानव समूह अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को, अपनी शारीरिक मानसिक शक्तियों को संस्कारवान, विकसित और दृढ़ बनाता है। संक्षेप में संस्कृति मानव समुदाय के जीवन-यापन की वह परंपरागत किंतु निरंतर विकासोन्मुखी शैली है जिसका प्रशिक्षण पाकर मनुष्य संस्कारित, सुघड़, प्रौढ़ और विकसित बनता है।

'संस्कृति' शब्द संस्कृत भाषा की धातु 'कृ' (करना) से बना है। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं- 'प्रकृति' (मूल स्थिति), 'संस्कृति' (परिष्कृत स्थिति) और 'विकृति' (अवनति स्थिति)। 'संस्कृति' का शब्दार्थ है- उत्तम या सुधरी हुई स्थिति यानी कि किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके।

संस्कृति के दो पक्ष होते हैं-

(1) आधिभौतिक संस्कृति और (2) भौतिक संस्कृति

सामान्य अर्थ में आधिभौतिक संस्कृति को संस्कृति और भौतिक संस्कृति को सभ्यता के नाम से अभिहित किया जाता है। संस्कृति के ये दोनों पक्ष एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। संस्कृति आभ्यंतर है, इसमें परंपरागत चिंतन, कलात्मक अनुभूति, विस्तृत ज्ञान एवं धार्मिक आस्था का समावेश होता है।

विभिन्न ऐतिहासिक परंपराओं से गुजरकर और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर संसार के भिन्न-भिन्न समुदायों ने उस महान मानवीय संस्कृति के भिन्न-भिन्न पक्षों से साक्षात किया है। नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवाभक्ति तथा योगमूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता है जिसे हम 'संस्कृति' शब्द द्वारा व्यापक करते हैं।

सभ्यता से किसी संस्कृति की बाहरी चरम अवस्था का बोध होता है। संस्कृति विस्तार है तो सभ्यता कठोर स्थिरता। सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रधान है, जबकि संस्कृति में वैचारिक पक्ष प्रबल होता है। यदि सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा। सभ्यता बताती है कि 'हमारे पास क्या है और संस्कृति यह बताती है कि 'हम क्या हैं। एक संस्कृति तब ही सभ्यता बनती है, जबकि उसके पास एक लिखित भाषा, दर्शन, विशेषीकरणयुक्त श्रम विभाजन, एक जटिल विधि और राजनीतिक प्रणाली हो।'

गिलिन व गिलिन के ..... अनुसार, 'सभ्यता संस्कृति का अधिक जटिल तथा विकसित रूप है।' संस्कृति और सभ्यता में

घनिष्ठ संबंध है। जिस जाति की संस्कृति उच्च होती है, वह 'सभ्य' कहलाती है और मनुष्य 'सुसंस्कृत' कहलाते हैं। जो सुसंस्कृत है, वह सभ्य है; जो सभ्य है, वही सुसंस्कृत है। अगर इस पर विचार करें तो सूक्ष्म-सा अंतर दृष्टिगोचर होता है।

संस्कृति और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म व्यक्तिगत होता है। धर्म आत्मा-परमात्मा के संबंध की वस्तु है। संस्कृति समाज की वस्तु होने के कारण आपस में व्यवहार की वस्तु है। संस्कृति धर्म से प्रेरणा लेती है और उसे प्रभावित करती है। धर्म को यदि 'सरोवर' तथा संस्कृति को 'कमल' की उपमा दें तो यह गलत न होगा। संस्कृति ही किसी राष्ट्र या समाज की अमूल्य संपत्ति होती है। युग-युगांतर के अनवरत अध्यवसाय, प्रयोग, अनुभवों का खजाना है संस्कृति।

भारतीय संस्कृति व्यक्ति-समाज-राष्ट्र के जीवन का सिंचन कर उसे पल्लवित-पुष्पित फलयुक्त बनाने वाली अमृत स्रोतस्विनी चिरप्रवाहिता सरिता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। कई भारतीय विद्वान तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं।

भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ : भारतीय संस्कृति जीवन-दर्शन, व्यक्तिगत और सामुदायिक विशेषताओं, भूगोल, ज्ञान-विज्ञान के विकास क्रम, विभिन्न समाज, जातियों के कारण बहुत विशिष्ट है। यह भिन्नता-विभिन्नता सहज और स्वाभाविक है। हमारी भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक सत्यों पर खड़ी है और इसी कारण वह सब ओर गतिशील होती है। कोई भी संस्कृति की अमरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह कितनी

विकासोन्मुखी है। जिस संस्कृति में युग की मांग के अनुसार विकसित और रूपांतरित होने की क्षमता नहीं होती, वह पिछड़ जाती है। भारतीय संस्कृति आत्मा को ही मुख्य मानती है। शरीर और मन की शुद्धि भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य का बाह्य तथा अंतर शुद्ध नहीं होता तब तक वह त्रुटिपूर्ण विचारों को भी सही मानता रहेगा।

भारतीय संस्कृति का विकास धर्म का आधार लेकर हुआ है इसीलिए उसमें दृढ़ता है। भारतीय संस्कृति व्यक्ति को व्यक्तित्व देती है और उसे महान कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु व्यक्तित्व का चरम विकास यह सामाजिक स्तर पर ही स्वीकार करती है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ-साथ नष्ट होती रही हैं किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर-अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है।

भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1.आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय, 2. अनेकता में एकता, 3. ग्रहणशीलता, 4. प्राचीनता, 5. निरंतरता, 6. लचीलापन एवं सहिष्णुता, 7. वसुधैव कुटुंबकम् की भावना, 8. लोकहित और विश्व-कल्याण और 9. पर्यावरण संरक्षण।

भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जाए? भारत संभवतः विश्व का इकलौता देश होगा, जहाँ अपनी कला-संस्कृति को बचाने, संजोने और सहेजने को लेकर एक तरह का उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति को और भी उन्नत बनाने

के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जो दोष संस्कृति में घर करते गए, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करें तभी सच्चे रूप में उन्नति संभव हो सकती है।

आज का युग विज्ञान का युग है। हमें नवीन वैज्ञानिक प्रयोगों से लाभ उठाकर देश की उन्नति करनी है। मिथ्या आडंबर और अंधविश्वासों का युग अब बीत चुका है। यह जागरण का युग है जिसमें हमें बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ना है। संस्कृति ही किसी देश, समाज या जाति का प्राण है। वहीं से इन्हें जीवन मिलता है। किसी भी देश की सामाजिक प्रथाएँ, व्यवहार, आचार-विचार, पर्व, त्योहार, सामुदायिक जीवन का संपूर्ण ढांचा ही संस्कृति की नींव पर खड़ा रहता है। यह संस्कृति की अजस्र धारा जिस दिन टूट जाती है, उसी दिन से उस समाज का बाह्य ढाँचा भी बदल जाता है। संस्कृति के नष्ट होते ही किसी सभ्यता का भवन ही लड़खड़ाकर गिर जाता है।

सभ्यता और संस्कृति के विकास का यह असंतुलन सामाजिक विघटन को जन्म देता है अतः इस प्रकार प्रादुर्भूत संस्कृति विलंबना द्वारा समाज में उत्पन्न असंतुलन और अव्यवस्था के निराकरण हेतु आधिभौतिक संस्कृति में प्रयत्नपूर्वक सुधार आवश्यक हो जाता है। विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्यांकन द्वारा सभ्यता और संस्कृति का नियमन मानव के भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युत्थान में अनुपम सहयोग प्रदान करता है।

हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए निम्न बातें हमें अपने आचरण में लानी होंगी-

1. अपनी धार्मिक परंपराओं के बारे में जानें, 2. अपनी पुश्तैनी भाषा को बचाना होगा, 3. परंपरागत व्यंजनों की विधि अगली पीढ़ी

को सौंपनी होगी, 4. संस्कृति की कला और तकनीकी को दूसरों से शेयर करना होगा, 5. समुदाय एवं समाज के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताना, 6. सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उत्सवों का प्रबंधन और सहभागिता करना, 7. संस्कृति पर गौरव करना और उसे अपने आचरण में उतारना।

कर्मक्षेत्र का आधार बनाकर चलने वाली संस्कृति सदा-सदा जीवित रहती है और अधिक सामर्थ्यवान होती है। वह व्यक्ति व समाज के मूल को ही प्रेरणा देकर संपूर्ण बाह्य ढाँचा बदल देती है।

भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थ में मानव-संस्कृति कहा जा सकता है। मानवता के सिद्धांतों पर स्थित होने के कारण ही तमाम आघातों के बावजूद यह संस्कृति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी है।

आज हमें भारतीय संस्कृति के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अपने समस्त सांप्रदायिक वैमनस्यों को भुलाकर सहिष्णु बनाना होगा। भारतीय संस्कृति की उदार प्रवृत्ति ही हमारी संस्कृति के भविष्य को समुज्ज्वल बना सकती है।

दूरस्थ शिक्षा और डिजिटल पुस्तकालय

डॉ. अनिल कुमार धीमान
सूचना वैज्ञानिक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार – 249 404 (उत्तराखंड)
ईमेल - akvishvakarma@rediffmail.com

भारत में शिक्षा, विशेषकर उच्च-शिक्षा सदैव से परिवर्तनशील रही है। आज शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ ने विद्यार्थियों को धर्मसंकट में डाल दिया है। शिक्षा पर पूंजीपतियों एवं शिक्षा माफियों का अधिकार होता जा रहा है। शिक्षा गरीब वर्ग के छात्रों के लिया मृगतृष्णा बनती जा रही है, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो परिवार के उत्तरदायित्वों से निश्चिंत होकर विद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। समाज की निर्णायक विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता हेतु दूर-दराज की युवा शक्तियों को सशक्त बनाने में दूरस्थ शिक्षा का सदुपयोग हो सकता है।

1. वास्तव में दूरस्थ शिक्षा क्या है?

वेडमेयर (1977) ने अपने कार्यों में 'दूरस्थ शिक्षा' के साथ 'मुक्त अधिगम' और 'स्वतंत्र अध्ययन' का प्रयोग किया है, परंतु अंतिम शब्द का निरंतर समर्थन किया। उनके अनुसार – "स्वतंत्र अध्ययन में शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के विभिन्न रूप सम्मिलित हैं, जिसमें

शिक्षक और शिक्षार्थी एक-दूसरे से अलग रहते हुए विविध प्रकार के संप्रेषण द्वारा आवश्यक कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके उद्देश्य हैं कैंपस या आतंरिक शिक्षार्थियों को अनुचित कक्षा या प्रारूप से मुक्त करना तथा कैंपस के बाहर या बाह्य शिक्षार्थियों को उनके स्वयं के वातावरण में अधिगम करने की क्षमता का विकास करना, जो एक शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक अंतिम परिपक्वता है। इसमें 'दूरस्थ शिक्षा' का भाव भी सम्मिलित है।"

मूर (1972 और 1973) ने दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं के संबंध में अधिक स्पष्ट विचार रखते हुए दूरस्थ शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है – "अनुदेशनात्मक विधियों का एक परिवार जिसमें शिक्षण व्यवहारों का निष्पादन अधिगम व्यवहारों से अलग होता है। इसमें वे व्यवहार भी सम्मिलित हैं जो सन्निहित स्थितियों में शिक्षार्थी की उपस्थिति में निष्पादित होते, ताकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संप्रेषण को मुद्रित, इलैक्ट्रोनिक, यांत्रिक या अन्य यंत्रों द्वारा सरलीकृत किया जा सके।"

सरल शब्दों में दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक व शिष्यों को स्थान विशेष या समय विशेष पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर-तरीकों व समय निर्धारण के साथ-साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बगैर प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति में शिक्षक एवं छात्र शारीरिक रूप से एक-दूसरे के सामने नहीं होते हैं जैसा कि प्रचलित शिक्षण पद्धति में होता है।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली उन विद्यार्थियों के लिए वरदान है जिनको कतिपय कारणों एवं परिस्थितियों से विद्यालय,

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना संभव नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा के साथ ही आर्थिक उपार्जन के साथ-साथ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप युवा शक्ति को शिक्षित करके उत्पादक कार्यों से जोड़कर आर्थिक विकास को भी बढ़ाया जा सकता है।

आधुनिक सूचना तकनीकी ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी तथा संभाव्य बनाकर एक महत्वपूर्ण तथा सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। सूचना तकनीकी के प्रयोग के अभाव में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को परंपरागत शिक्षा प्रणाली के एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में स्थापित करना कदापि संभव नहीं हो सकता था। निःसंदेह दूरस्थ तकनीकी एवं मुक्त अधिगम प्रणाली में सूचना तकनीकी की भूमिका असंदिग्ध है। आज के युग में सूचना तकनीकी के प्रयोग के बिना दूरस्थ शिक्षा के किसी कार्यक्रम की संकल्पना करना भी संभव नहीं है। आज शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीकी के आ जाने के कारण मुद्रित सामग्री के साथ-साथ विभिन्न साधनों, रेडियो, दूरभाष, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेलीकान्फ्रेंसिंग, ई-मेल, इंटरनेट जैसी विधाओं का प्रयोग प्रचुरता से किया जा रहा है। शिक्षण से पूर्व तैयार फिल्म, वीडियो टेप आदि भी दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग किए जा सकते हैं। कंप्यूटर, इन्टरनेट, ई-मेल, फेक्स आदि द्वारा दूरस्थ शिक्षा को और भी अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

2. डिजिटल पुस्तकालय क्या है?

सीडल व ग्रीफेन्डर (2007) ने डिजिटल पुस्तकालय को इस प्रकार से परिभाषित किया है – डिजिटल पुस्तकालय पारंपरिक

पुस्तकालय के कार्यों पर निर्मित डिजिटल प्रलेखों का इलैक्ट्रानिक सेवाओं हेतु इलैक्ट्रानिक प्रावधान है जो इंटरनेट द्वारा अपने संकलन का दुनिया भर में अभिगम सुनिश्चित करता है।

यदि सरल भाषा में कहा जाए तो डिजिटल पुस्तकालय, पारम्परिक रूप से ही पाठ्य सामग्री का चयन, अधिग्रहण, उपलब्धता और उनका संरक्षण करता है परंतु उनमें जिस पाठ्य सामग्री का भंडारण किया जाता है उस पाठ्य सामग्री को मशीन, विशेषकर कम्प्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। पाठ्य सामग्री में मूल पाठ के साथ चित्रों, ध्वनि व वीडियो का समावेश भी किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री का संग्रहण इलेक्ट्रानिक रूप में ऑफ-लाइन (आडियो-वीडियो कैसेट, सी0डी0, डी0वी0डी0 आदि) व ऑफ-लाइन (वेब-आधारित इंटरनेट संसाधन) दोनों तरह से किया जाता है।

डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के ज्ञान से संबद्ध आँकड़ों को मल्टीमीडिया स्वरूप में सूचना प्रबंधन के तरीकों का उपयोग करके संरचनात्मक, संसाधित व व्यवस्थित प्रकार से रखा जाता है। इस तरह डिजीटल पुस्तकालय अपने भंडार से परंपरागत पुस्तकालय की तरह ही अपने उपयोगकर्ताओं की सेवा करता है।

3. दूरस्थ शिक्षा में डिजिटल पुस्तकालय की भूमिका

डिजिटल पुस्तकालय एवं सूचना केंन्द्रों का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में विस्तार से किया जा सकता है। शाकिर (2018) के अनुसार डिजिटल पुस्तकालय का प्रयोग उपयोगकर्ताओं को सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वेब को प्रयुक्त करते हुए किया जाता है। यह ऑफ-लाइन, मांग पर आधारित या इन्टरेक्टिव

हो सकती है और पाठ्य-सामग्री प्रबंधन, विषय वस्तु की प्रस्तुति, उपयोक्तान्मुखी चारदीवारी के रूप में ना रहकर वर्चुअल व डिजिटल दोनों ही प्रकार की हो सकती है। हाँलाकि वेब-आधारित माध्यम में पाठ्य वस्तु के प्रारूप की उपलब्धता को इंटरनेट के माध्यम से जाना जाता है। अतः सूचना व संचार तकनीक का व्यापक उपयोग कर विभिन्न पाठ्य-सामग्री एवं संप्रेषण में लचीलापन लाया जाता है एवं इन्हें सुगम बनाया जा सकता है।

डिजिटल पुस्तकालयों की सेवाएँ दूरस्थ शिक्षा में निम्न प्रकार से लाभकारी हो सकती हैं -

2.1 पुस्तकालय अपने संकलन की जानकारी वेब-ओपेक पर पाठकों को उपलब्ध करा सकते हैं।

2.2 पुस्तकालय की अपनी या विश्वविद्यालयों की वेब-साईट्स के माध्यम से हाईपरमीडियम लिंक प्रदान कर फ्री या मुक्त अभिगमित जर्नल्स (Open Access Journals) का अभिगम प्रदान कर सकते हैं।

2.3 पाठकों को ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डाक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रदान कर सकते हैं।

2.4 रजिस्टर्ड पाठकों को ई-जर्नल्स के पूर्ण पाठ (Full Text) का अभिगम प्रदान कर सकते हैं।

2.5 पाठकों को इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ सेवा प्रदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मोबाईल फोन पर भी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

4. डिजिटल पुस्तकालय : कुछ सराहनीय प्रयास

भारत में डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी हैं, का संक्षिप्त वर्णन नीचे किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाईब्रेरी (https://ndl.iitkgp.ac.in) जिसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक विशाल परियोजना के रूप में आई0 आई0 टी0, खड़गपुर द्वारा आरंभ किया गया है, में लगभग 200 भाषा में 1.7 करोड़ के लगभग पठनीय सामग्री अध्ययनार्थ उपलब्ध है। इस डिजिटल पुस्तकालय में पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त आडियो-वीडियो, व्याख्यान व उपन्यासों आदि का संकलन भी है। एक अनुमान के अनुसार अब तक 30 लाख उपयोगकर्ताओं ने अपना पंजीयन इसके अभिगम हेतु करा लिया है और आशा है कि प्रत्येक वर्ष इसमें 10 गुना वृद्धि होगी।

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाईब्रेरी के अतिरिक्त दिसंबर 2015 को यू0जी0सी0-इनफोनेट, ए0आई0सी0टी0ई0-इनडेस्ट व एनलिस्ट को मिलाकर स्थापित व इनफिलिबनेट, गांधीनगर (गुजरात) द्वारा संचालित ई-शोधसिंधु (https://www.infilibnet.ac.in/ess) भी विभिन्न विषयों से संबद्ध 10,000 से भी अधिक ई-जर्नल्स व कई ई-डेटाबेसों व ई-पुस्तकों का अभिगम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अनुदानित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को प्रदान कर रहा है। इसमें कई ऐसे विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, जो मुक्त या पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

तालिका में कुछ अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल पुस्तकालयों का विवरण दिया जा रहा है, जो पाठकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

तालिका : महत्वपूर्ण डिजिटल पुस्तकालय

क्र सं.	डिजिटल पुस्तकालय का नाम	डिजिटल पुस्तकालय की वेब-साइट्स
1	Digital Repository of NCL	http://dspace.ncl.res.in
2	Digital Repository of Patents, Designs and Trademarks	http://www.patentoffice.nic.in
3	DSpace @ NITR	http://dspace.nitrkl.ac.in/dspace/
4	DSpace Repository @ IIMK	http://dspace.iimk.ac.in/
5	Eprints @ IIT Delhi	http://eprint.iitd.ac.in/dspace
6	ETD @ IISc	http://eprints.iisc.ernet.in
7	IGNCA Digital Library	http://ignca.nic.in
8	Kalasampada	http://www.ignca.gov.in/dlrich/
9	Muktabodha	http://www.muktabodhalib.org/digital_library.htm
10	Nalanda Digital Library	http://www.nalanda.nitc.ac.in
11	National Mission for Manuscripts	http://www.namami.org/index.htm
12	National Science Digital Library	http://www.niscair.res.in
13	OpenMed@NIC	http://openmed.nic.in
14	Shodhganga	http://shodhganga.inflibnet.ac.in

इनफिलिबनेट, गांधीनगर द्वारा आरंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ई-पी0जी0पाठशाला (https://epgp.infilibnet.ac.in) का भी संचालन किया जा रहा है। इसमें स्नातकोत्तर स्तर के सामाजिक, आर्ट्स, विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान आदि लगभग 70 विषयों के विद्वानों द्वारा लिखित टेक्स्ट्स व उनके वीडियो लेक्चर उपलब्ध हैं।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अपना राष्ट्रीय डिजिटल संस्थागत निक्षेपागार (Institutional Repository) भी है, जिसमें विश्वविद्यालय की अपनी पाठ्य-सामग्री के साथ-साथ वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हैं (egyankosh.ac.in)। इसके संसाधनों का उपयोग EDUSAT को प्रयुक्त करते हुए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड उपभोक्ता कर सकते हैं। इसका अभिगम देश के अन्य मुक्त विश्वविद्यालय हेतु भी सशर्त उपलब्ध है।

विद्यालय स्तर तक के पाठकों हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पुस्तकें NCERT Books online (http://www.namami.org/index.htm) पर उपलब्ध हैं। इनका स्कूली विद्यार्थी मुफ्त व मुक्त अभिगम कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त बृंधा (2011) द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय व अन्य समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों को मिलाकर एक नेटवर्क की परिकल्पना चित्र में भी की गई है ताकि समस्त मुक्त विश्वविद्यालय उपलब्ध ई-संसाधनों का एक साथ लाभ उठा सकें।

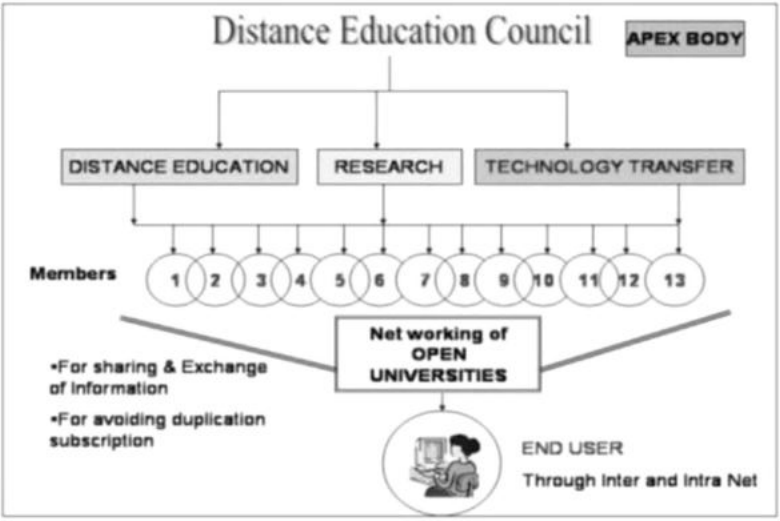

चित्र : मुक्त विश्वविद्यालय नेटवर्क की परिकल्पना

इस मॉडल में समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से अपनी पाठ्य सामग्री के डिजिटाईजेशन की और फिर समस्त संसाधनों की नेटवर्किंग के तहत साझा करने की अपेक्षा की गई है ताकि ई-संसाधनों का लाभ समस्त विश्वविद्यालय प्राप्त कर सकें। इससे मुद्रा की बचत के साथ-साथ पाठकों के समय की भी बचत होगी व ई-संसाधनों का अभिगम एक ही क्लिक पर प्राप्त हो सकेगा।

4. उपसंहार

इस तरह हम देख सकते हैं कि सूचना तकनीकी ने आज के पुस्तकालयों को बहुत अधिक सीमा तक बदल दिया है। वर्तमान में पुस्तकों की जगह ई-पुस्तकें, जर्नल्स की जगह ई-जर्नल्स आ गए हैं। पुस्तकालय की प्रसूचियों की जगह ओपेक व वेब-ओपेक ने ले ली है। बहुत से संसाधन केवल इंटरनेट व वेब पर ही उपलब्ध

हैं। इन सबके फलस्वरूप कम समय में पाठकों को विश्वसनीय जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त हो जाती है और इस जानकारी को संगृहीत करने में भी अधिक जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। ई-संसाधनों को ऑफ-लाइन पैन-ड्राईव या सी0डी0 में संगृहीत किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जबकि ऑन-लाइन इनका संग्रहण कम्प्यूटर जालतंत्र (Computer Network) के सर्वर पर किया जाता है।

इन्हीं विशेषताओं के कारण डिजिटल पुस्तकालयों का, या यूँ कहा जाए कि पुस्तकालयों की पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग दूरस्थ शिक्षा के उपयोगकर्ताओं में भी बढ़ा है। दूरस्थ शिक्षा के उपयोगकर्ता भी वेब-संसाधनों, पुस्तकालयों या विश्वविद्यालय की वेब-साईट्स पर उपलब्ध कोर्स मैटिरियल का व ई-पी0जी0 पाठशाला पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ ले रहे हैं। चूंकि डिजीटल पुस्तकालय 24x7 उपलब्ध रहते हैं, अतः उपयोगकर्ता इनका अभिगम अपनी सुविधानुसार कहीं भी कभी भी कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Brindha, S. (2011).The Role of Digital Libraries in Open and Distance Education. Available at: http://14.139.186.108/jspui/bitstream/123456789/2358/1/99.doc.pdf.
- Dhiman, A.K. (2003). Basics of Information Technology for Information Scientists and Librarians. 2 Vols. Ess Ess Publications, New Delhi.

- Dhiman, A.K. (2011). Librarianships for Distance Learners in ICT Era. In M.S. Rana, D.C. Ojha and N.K. Swain (Eds.): Benchmarks in ICT Applications in LIS Practices. Scientific Publishers, Jodhpur. pp. 119-31.
- Dhiman, A. K. and Rani, Yashoda. (2012). Libraries in E-Learning Environment. In Nirmal Kumar Swain and Anita Jain (Eds.): Learning in Web- Based Environment. Raj Publishing House, Jaipur. pp. 130-139.
- Moore, M. G. (1972). Learning Autonomy: The Second Dimension of Independent Learning. Convergence, 5 (2): pp. 76-88.
- Moore, M. G. (1973). Towards A Theory of Independent Learning and Teaching. Journal of Higher Education, 4 (4): pp. 661-679.
- Seadle, M. and Greifeneder, E. (2007). Defining a Digital Library. Library Hi Tech, 25 (2): pp. 169-173.
- Wedemeyer, C. A. (1977). Independent Study. In A.S. Knowles (Ed.): The International Encyclopedia of Higher Education. North-Eastern University, Boston. pp. 2114-2132.
- शाकिर, मौ0 (2018). पुस्तकालय : वर्तमान में ई-ग्रंथालय एवं ई-लर्निंग की उपयोगिता। जर्नल ऑफ एडवांसेस एंड स्कालरली रिसर्च इन एलाईड एजुकेशन, 15 (5): पृष्ठ 54-56।

अद्‌भुत नाथ (शिव मंदिर) के प्रमुख अल्पज्ञात शिल्पी

डॉ. अंबिका ढाका

सहायक आचार्य, इतिहास विभाग,
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्‌यालय,
बीकानेर, राजस्थान।
E-mail : ambikadhaka@gmail.com
Mob.: 09983654990

प्रस्तावना

अद्‌भुत नाथ का शिव मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले पर, किले की पूर्वी सीमा के पास, हदबंदी से करीब 150 मीटर की दूरी पर सीमा के अंदर की ओर सूरज पोल दरवाजे के पास स्थित है। किले की ऐतिहासिकता के पुरातात्विक प्रमाण अभी तक छठी सदी ई. से पूर्व के प्रकाश में नहीं आए हैं। किले से ठीक उत्तर दिशा में 10 कि.मी. की दूरी पर प्राचीन मध्यमिका[1] के अवशेष विद्‌यमान हैं जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। द्‌वितीय शताब्दी ई.पू. में इस मध्यमिका को यवन आक्रमण[2] से गहरा आघात पहुँचा था। यह तत्कालीन समय में शक्तिशाली शिबि जनपद गणराज्य था। इसके शक्तिशाली राजा सर्वतात[3] ने अश्वमेघ यज्ञ किया था।

छठी शती ई. के पूर्वार्द्‌ध का एक खंडित शिलालेख[4] चित्तौड़गढ़ किले से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार छठी सदी के पूर्वार्द्‌ध में मंदसोर (दशपुर) तथा नगरी (मध्यमिका), मंदसोर के ओलीकर शासक के राजस्थानीय के शासन प्रबंध में

थे। इस समय को चित्तौड़गढ़ किले पर राजनीतिक गतिविधि का यह प्रथम श्रीगणेश माना जा सकता है।

अद्भुत नाथ शिव मंदिर का स्थापत्य एवं कला

अद्भुत नाथ का शिव मंदिर 15वीं शती ई. में किले पर बने मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मंदिर के जंघा भाग पर उत्कीर्ण संवतों के आधार पर इसका काल निर्धारण सन् 1485 से 1495 के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। यह देवालय भूमिज शैली की किले पर एक मात्र संरचना है। गर्भगृह में शिव का आवक्ष त्रिमूर्ति स्वरूप स्थापित है। इस आवक्ष त्रिमूर्ति में शिव के एकादश[5] एवं द्वादश[6] रुद्र के प्रथम तीन रुद्र रूप सद्योजात, वामदेव एवं अघोर को संयुक्त रूप से उकेरा गया है। गर्भगृह में तीन सीढ़ियाँ उतरने के पश्चात् कक्ष के उंडे तल भाग पर शिवलिंग को स्थापित किया गया है तथा त्रिमूर्ति को शिवलिंग के फर्श से 1.42 मीटर ऊँची पृष्ठ भाग की दीवाल के निर्गमित भाग पर स्थान दिया गया है।

अद्भुत नाथ मंदिर के शिल्पी

अद्भुत नाथ मंदिर के निर्माण में अनेक स्थपति एवं शिल्पियों का योगदान रहा है। यहाँ उन कुछ स्थपतियों के कार्यों से अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा जिन्होंने स्थापत्य के अतिरिक्त इस मंदिर के मूर्ति शिल्यांकन में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

1. अद्भुत नाथ शिव मंदिर

2. अद्भुत नाथ शिव मंदिर

1- हरदास : यह शिल्पी स्थापत्य एवं मूर्तिशिल्प का पंद्रहवीं शती ई. का निष्णात व्यक्ति है। इसने अद्‌भुत नाथ देवालय पर प्रारंभ से लेकर अंत तक कार्य किया है।

(i) हरदास ने देवालय की उत्तराभिमुख जंघा के कपिली पर वरुण की प्रतिमा को स्वयं बनाया है तथा इस प्रतिमा के आधार शिला फलक के सम्मुख भाग पर शिल्पी ने अपना नाम 'हरदास' उत्कीर्ण किया है। चतुर्हस्त वरुण का दक्षिणाध हस्त वरदाक्ष मुद्रा में तथा दक्षिण व वाम ऊर्ध्व हस्त खंडित है। वाम निम्न हस्त में कमंडलु है तथा वाहन मकर है। शिल्पी ने ताक के अद्‌र्ध स्तंभों के पार्श्व में गज-शार्दूल-मकर के अलंकरण को परंपरागत रूप में उत्कीर्ण किया है।

(ii) देवालय की उत्तराभिमुख कपिली के दक्षिणवर्ती भाग में प्रतिरथ के वास्तु भाग के वाम पर्श्व में फलक पर युवती को घुँघरु बांधते हुए उत्कीर्ण किया गया है। इसके आधार शिला फलक के सम्मुख भाग पर 'सूत्रधार हदास घडितं' उत्कीर्ण है। यहाँ हरदास से अपने नाम उत्कीर्णन में 'र' अक्षर को उत्कीर्ण करने में चूक हुई है। इस प्रकार की त्रुटियाँ हमें यहाँ अन्य स्थपतियों के नामों में भी देखने को मिलती हैं।

(iii) अग्निकोण के कर्णरथ वास्तु भाग के पूर्वाभिमुख भाग पर चतुर्हस्त इंद्र की प्रतिमा हरदास द्‌वारा बनाई गई है तथा इस प्रतिमा के आधार शिला फलक के सम्मुख भाग पर उत्कीर्ण लेख 'संवत 1546 वर्षे भादवा सुदि 9 'सूत्र हरदास' के अनुसार इस प्रतिमा को बनाने वाला हरदास स्वतः सिद्‌ध है। यहीं नहीं, इस वास्तु भाग के दक्षिणवर्ती भाग के दक्षिणाभिमुख आवरण पर चतुर्हस्त अग्नि की प्रतिमा को बनाने में भी हरदास का हाथ रहा है

तथा इसके आधार शिला फलक के सम्मुख भाग पर शिल्पी ने अपना नाम 'हरदास' उत्कीर्ण किया है।

(iv) गर्भगृह के पूर्वाभिमुख भद्र भाग की पीठ के ग्रासथर (उत्तराभिमुख) के ऊपरी भाग में हरदास ने अपना नाम उत्कीर्ण किया है। यह नाम इस देवालय पर उसके एक स्थपति के रूप में कार्य को प्रदर्शित करता है।

ऊपर वर्णित तथ्यों से प्रमाणित है कि अद्भुत नाथ मंदिर की संरचना में हरदास की मूर्ति शिल्पकार एवं वास्तु के स्थपति के रूप में अहम् भूमिका रही है। हरदास ने इस मंदिर के अतिरिक्त किले पर महावीर जैन मंदिर व सतबीस देवरी के मंदिरों के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया है।

2- जोधा : जोधा की अद्भुत नाथ मंदिर के मूर्ति शिल्पांकन में उल्लेखनीय भूमिका रही है।

(i) देवालय की उत्तराभिमुख कपिली पर उत्कीर्ण वायु की मूर्ति के आधार शिला फलक के सम्मुख भाग पर 'सूत्र जोधा घडतं' उत्कीर्ण है। वायु का दक्षिणाध हस्त वरदाक्ष मुद्रा में, दक्षिण व वाम ऊर्ध्व हस्त में दंड पताका तथा वाम अधोहस्त में कमंडलु है। करंड मुकुट के साथ त्रिभंग मुद्रा में वायु का उत्कीर्णन है। कटि प्रदेश पर बहु सूत्री मेखला है।

(ii) उत्तराभिमुख कपिली के वरुण के वाम भाग में नृत्यरत सुंदरी का शिल्पांकन जोधा द्वारा किया गया है। इसकी पाद पीठ पर 'सूत्र जोधा' उत्कीर्ण है जो स्थपति द्वारा मूर्ति को घड़ने का स्पष्ट प्रमाण है।

(iii) जंघा के उत्तराभिमुख भद्र ताक के वामवर्ती भाग में प्रतिरथ के वास्तु भाग के दक्षिणवर्ती भाग पर नृत्यरत मृदंग-वादिनी का

आकर्षक उत्कीर्णन हुआ है। इस प्रतिमा को घड़ने का काम जोधा द्वारा प्रमाणित है क्योंकि इसकी पाद पीठ पर 'सूत्र जोधा' नाम उत्कीर्ण है।

(iv) जंघा के नैऋत कोण के वामवर्ती भाग के प्रतिरथ के वास्तु भाग के वाम सलिलांतर में नृत्यरत सुंदरी का अंकन है। इसकी पाद पीठ पर 'जोधा' नाम उत्कीर्ण है। यह नाम इस मूर्ति को मूर्त रूप देने वाले शिल्पी जोधा का नाम है।

इस प्रकार यह सिद्ध है कि जोधा का शिल्पी के रूप में इस देवालय की प्रतिमाओं को गढ़ने में उसके योगदान को कमतर नहीं आँका जा सकता है।

3 शिल्पकार उदा एवं जीवा

(i) देवालय की उत्तराभिमुख कपिली भाग के दक्षिणवर्ती छोर पर एक युवती को नृत्यरत मुद्रा में उत्कीर्ण किया गया है। इसे मूर्त रूप देने वाले शिल्पी उदा का नाम इसकी पाद पीठ के सम्मुख भाग पर 'उदा' उत्कीर्ण है। उदा एक दक्ष शिल्पकार हैं।

(ii) जंघा के ईशान कोण कर्णरथ के वामवर्ती भाग में कुबेर के वाम भाग के सलिलांतर में नृत्यरत युवती ने अपने दक्षिण हस्त में दो चक्रियाँ धारण कर रखी हैं तथा वाम में एक पात्र ले रखा है। सुंदरी की पाद पीठ पर 'सूत्र जीवा' नाम उत्कीर्ण है। यह नाम इस तथ्य का प्रमाण है कि इस प्रतिमा को जीवा द्वारा मूर्त रूप दिया गया है।

4- बलराज का अद्भुत नाथ मंदिर के मूर्ति शिल्प में अद्भुत योगदान रहा है।

(i) जंघा के ईशान कोण कर्णरथ के दक्षिणवर्ती भाग में प्रतिरथ के वास्तु भाग के दक्षिण आवरण पर मृदंगवादिनी का अंकन दृष्टिगोचर है। उसका दक्षिण हस्त एवं जानु से नीचे के पैर खंडित हैं। प्रतिमा के आधार शिला फलक पर 'सं. 1546 वर्षे भादवा सुदि 9 सूत्र बलराज घडितं' उत्कीर्ण है। बलराज इस प्रतिमा को साकार रूप देने वाला शिल्पी है तथा संवत् का अंकन देवालय के काल निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण है।

(ii) देवालय की जंघा की पूर्वाभिमुख भ्रद रथिका में दस भुजा शिव का नटराज के रूप में अंकन है। खेद है कि इस भव्य प्रतिमा को विध्वंसकारी तत्त्वों ने गहरी क्षति पहुँचाई है फिर भी इसके आयुधों की दक्षिणाध क्रम से निम्न रूप से पहचान की जा सकती है- (1) खप्पर से कुछ ग्रहण करते हुए (2) त्रिशूल (3) खंडित परंतु बाण दृष्टिगोचर है। (4) पुष्प (5) नाग (6) नाग (7) डमरु (8) धनुष (9) खटवांग (10) खप्पर-जटामुकुट है। प्रतिमा की पाद पीठ पर एक लेख है जो इस प्रकार है -

संवत 1547 वर्षे वेशाष सुदि 3 सोमे सूत्रधार

जीता सुत बलराज घडितं।। 8।।'

इस उत्कीर्णित पंक्ति से यह सिद्ध है कि इस नटराज प्रतिमा को बलराज ने गढ़ा है जो जीता का पुत्र है। इस उत्कीर्णित पंक्ति को गौरीशंकर ओझा ने राजपुताना संग्रहालय अजमेर के वार्षिक प्रतिवेदन[7] में, जो 31 मार्च 1921 का है, प्रकाशित किया है। परंतु इसके प्रकाशन में ओझा से निम्न तीन भूलें हुई हैं- प्रथम, इसके संवत् को 1547 के स्थान पर संवत् 1540 प्रकाशित किया है जो उनकी इसके पठन संबधी भूल है। प्रतिमा ऊँचे स्थान पर बनी हुई है अतः इसके पठन व देखने में त्रुटि संभव है।

द्वितीय, नटराज की पाद पीठ पर उत्कीर्णित पंक्ति में दिन सोम है जिसे ओझा ने भूलवश रवि प्रकाशित किया है।

तृतीय ओझा ने पादपीठ के लेख में 'सूत्रधार जीता सुत बलराज' का जो उत्कीर्णन है, उसमें ओझा ने बलराज के पिता जीता का कीर्ति स्तंभ के मुख्य स्थपति जइता के रूप में उल्लेख किया है। वास्तविकता यह है कि कीर्ति स्तंभ के मुख्य स्थपति जइता का कीर्ति स्तंभ की प्रथम मंजिल से लेकर अंतिम मंजिल तक कहीं भी उसका नाम जीता के रूप में उत्कीर्ण देखने को नहीं मिलता है। यही नहीं, जइता का नाम किले के महावीर जैन मंदिर पर जता एवं जैता के रूप में उत्कीर्णित है। रामपोल दरवाजे की वाम बुर्ज पर जइता का नाम जैता के रूप में उत्कीर्ण हुआ है। जइता का नाम जीता के रूप में कहीं पर भी उत्कीर्ण किया हुआ देखने को नहीं मिलता है। अद्भुत नाथ के बलराज का पिता जीता अपने पुत्र के साथ अद्भुत नाथ देवालय पर स्थपति के रूप में कार्य कर रहा था। उसने अपना नाम देवालय के दक्षिणाभिमुख पीठ पर 'जीता' के रूप में उत्कीर्ण किया है। जीता का अद्भुत नाथ पर कार्य करने का समय अनुमानतः सन् 1487-88 है जो कीर्ति स्तंभ के जइता की आयु से कोई मेल नहीं खाता है।

ऊपर वर्णित शिल्पकारों का अद्भुत नाथ के मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके नाम देवालय की पीठ, वेदीवंद व जंघा पर अनेक स्थानों पर उत्कीर्ण किए हुए देखने को मिलते हैं। इनकी शिल्प विद्या को प्रकाश में लाने का यह एक छोटा सा प्रयास है।

संदर्भ

1. अग्रवाल वासुदेव, प्राचीन मध्यमिका की नारायण वाटिका शोध पत्रिका, भाग 4, अंक 3, पृ. 36-37, संवत 2010
2. वही
3. वही, पृष्ठ 39
4. एपिग्राफिआ इण्डिका XXXIV, 1960-61, पृष्ठ 53-58
5. अपराजितपृच्छा, पृष्ठ 541, ऑरियन्टल संस्थान, बड़ोदा, 1950
6. संपादक बलराम श्रीवास्तव,रूपमंडन, वर्ष 1964, पृष्ठ 149-155
7. वार्षिक प्रतिवेदन, राजपुताना संग्रहालय, अजमेर 31 मार्च, 1921, पृष्ठ 5-6

स्त्री सशक्तिकरण-महिलाओं के जीवन की गुत्थी सुलझाना

प्रोफेसर गोपा भारद्वाज
भूतपूर्व विभागाद्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
दिल्ली यूनिवर्सिटी
सलाहकार स्थापक फाउंडेशन
टेकस्लेक्स नॉएडा
email: gopa.bhardwaj@gmail.com

यह लेख इसलिए लिखा नहीं जा रहा है कि स्त्री सशक्तिकरण एक नाकाम उपाय है और इस दिशा में कोई भी कार्य कारगर नहीं हो सकता है। इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है इस मुद्दे को सही ढंग से समझना। जैसे की स्त्री सशक्तिकरण का क्या संबंध है- जीवन से और उसे कुछ संदर्भ में डाल कर उसका अर्थ क्या हो जाता है। पहले समझते हैं की सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? हमारे समाज में सदियों से स्त्री को शक्ति के रूप में पूजते रहे हैं। चाहे वो नवदुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो या स्थानीय रूप से बनाई गई कोई आकार या प्रतिकृति हो। अब देखिए वास्तव में इस पूजा को समाज ने क्या प्रतिरूप दिया। इस पूजा में भी स्त्री का नारी रूप बिना किसी बाह्य सहायता के पूर्ण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर दुर्गा पूजा में शिव की तस्वीर नहीं होती तो पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। उनकी छवि प्रतिमा के पीछे ऊपर की तरफ (जिसे बांग्ला में चाल चित्र कहते है।) होती है और उसके बिना

प्रतिमा का विवरण अधूरा रह जाता है। काली माता की मूर्ति नर मुंड गले में डालकर पूजी जाती है परंतु शिव जी उपस्थित होते हैं चाहे वह पैरों के तले क्यों नहीं हों। अब पूजन पर छोटी-सी तस्वीर बनाते हैं। उत्तर भारत में स्त्री प्रधान उत्सव करवा चौथ पति की दीर्घ आयु कामना के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव में चंद्रमा की भूमिका स्त्री रूप में होती है। जबकि ग्रंथों में चंद्रमा को पुरुष रूप में प्रस्तुत किया गया है (रोहिणी को उनकी पत्नी बताया गया है।) स्त्री की दीर्घायु के लिए कोई उत्सव नहीं है। देश के किसी भी भाग में वह जीवित रहे सिर्फ पत्नी बनकर। इसी तरह न जाने कितने उत्सव हैं पूरे भारत में जिसमें स्त्रियों का योगदान प्रमुख होता। पर वह स्वयं न उसकी कारण होती न उसे स्वयं को सीधा लाभ मिलता है। लाभ हमेशा किसी और के अस्तित्व को जारी रखने में होता है। अंतः शक्ति पूजा में भी शक्ति का नारी रूप सिर्फ एक चिह्न समान रह जाता है।

यह तो है देवी पूजा के रूप में सशक्तिकरण के प्रयास जिसमें वह देवी तो है पर नारी सत्ता तक पहुँचने में असमर्थ रहती है। नारी का रूपांतरण देवी में तो हो जाता है परंतु उसकी रक्षा का भार अन्य लोगों को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे साधक नहीं हुए जिन्होंने नारी की सत्ता को नारी के ही रूप में अपने से सक्षम न माना हो परंतु हम यहाँ कर रहे हैं जन साधारण की बात जो मुख्यधारा में रहते हैं।

अब हम बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जो देश में 2012 के बाद से शुरू हुए। यूँ तो आजादी के बाद कानून तो बन गए थे, स्त्री के हिस्से के बारे में जैसे कि संपत्ति में उसका भाग या दूसरे तरह के मौलिक अधिकारों के बारे में, परंतु आम महिलाओं को न तो उनकी जानकारी होती थी और न उसको प्रोत्साहित किया

जाता था। उनके अधिकारों के बारे में समाज उनको अज्ञान में रखकर ही उनकी भलाई मानता था। 16 दिसंबर 2012 राजधानी दिल्ली में निर्मम बलात्कार और हत्या हुई एक मासूम लड़की की ! राजधानी में यह कांड हुआ और पत्रकारिता के माध्यम से पूरा देश हिल गया। अब सवाल यह है कि अगर ये कांड देश में किसी छोटे शहर या कसबे में होता तो क्या देश हिलता या पत्रकार अपनी राजधानी वाली कुर्सी से उठकर इस घटना को जन सम्मुख इस तरह से प्रस्तुत करते? धिक्कार देने का मन होता है कि स्वतंत्रता के 65 साल बाद भी (2012 तक)

महिलाओं को ही दोष दिया जाता है। किसी दुर्घटना के लिए, अगर वो देर रात घर से बाहर रहती है। खैर इस घटना के बाद जन चेतना कुछ तो जगी। लोगों के मन में नारी के प्रति कुछ संवेदना जागृत हुई। कानून में भी बदलाव आया पर वास्तविक जगत में कुछ परिवर्तन आया क्या? रोज अखबार खोलने पर छोटी बच्चियों से लेकर वृद्धाओं पर मानसिक, शारीरिक सेक्सुअल अत्याचारों में कुछ कमी तो नहीं दिखती। पहले भी सब होता रहा, अब पत्रकारिता के ज़रिये सब प्रकाश में आ रहा हे। सशक्तिकरण की क्या बात करें जबकि इनके मूलभूत अधिकारों का भी पालन नहीं हो रहा, इनको कोई सुरक्षा नहीं है। अत्याचारी बिना डर के खुले घूम रहे हैं।

ये सब बातें तो "हरि अनंत हरि कथा अनंता" की तरह फैली हुई हैं। सभी के मानस पटल में हैं पर किसी में कुछ कर दिखाने की प्रवृत्ति शायद ही जागरूक होती हो। कोई कुछ खास करता प्रतीत नहीं होता। यह हमारा ही दुर्भाग्य का है। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक बातों के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। यह जरूरी इसलिए भी है क्योंकि लोग ऐसे नासमझ तो हैं नहीं! परंतु

उनका रुख ऐसा क्यों है जिसमें बदलाव लाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। यह बात है अभिवृत्ति की जिसे अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। यह है संज्ञा (कॉग्निशन), आवेग (इमोशन) और व्यवहार का। इसकी भूमिका काफी जटिल है। परंतु लोग इसे रोज की बोली की तरह इस्तेमाल करते है। कोई बच्चा अभीवृत्ति को लेकर पैदा नहीं होता- यह समाजीकरण के द्वारा धीरे-धीरे जागृत होता है। जो वह देखता या सुनता है, उसे ज्ञान रूप में अपने समा लेता है। और उसके संवेग भी उसी के अनुरूप बनते जाते हैं। और बाद में चलकर उसका व्यवहार भी उसी के अनुसार होता जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखते ही होंगे कि अगर घर में लड़की पैदा होती है। तो कोई उत्सव जैसे नामकरण, मुंडन आदि उत्सवों की बातें उसके संबंध में नहीं होतीं। कुछ आधुनिक माता-पिता आजकल ऐसा नहीं सोचते पर उनकी संख्या अभी भी नगण्य है। जनसाधारण अभी भी पुत्र के जन्म पर अधिकाधिक खुशी बाँटता है। और उत्सवों की बातें करने लगता है। पुत्री के जन्म के साथ उसकी शादी की बातें होती हैं। और पुत्र जन्म के बाद उसके व्यवसाय की चिंता होने लगती हैं। ये बातें कन्या के मन में अपने बारे में यही अभिवृत्ति जगाती है कि वह शादी के लिए जन्मी है और उसका भाई परिवार के लिए ज्यादा महत्त्व रखता है। अतः अपने आप को सक्षम बनाना उसके लिए संभव, नहीं वह केवल एक आश्रित है।

संक्षेप में, एक हीनभावना की जड़ बिछ गई उसके मानस पटल में। शैशव काल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मनुष्य में अभिवृत्तियों के बीज इसी समय डलते हैं। यहीं पर यदि कन्या अपने आप को तुलनात्मक रूप से हीन महसूस करती है तो कानून से बनाया गया सशक्तिकरण का हथियार अपने प्रयोग में लाने के

लिए भी डर महसूस करेगी और उस से दूरी बनाए रखेगी या क्षतिपूर्ति के लिए अन्य परिपूरकों की लपेट में आ जाएगी। कानून की मदद से अगर वह शक्तिशाली ना बन पाई तो अपने को अलग रूप में प्रस्तुत करना चाहेगी। जैसे कि अपनी शारीरिक सज्जा द्वारा आकर्षक बनने के प्रयास शुरू हो जाएँगे। इन सब प्रयासों का साथ हमारे टीवी धारावाहिक पूर्ण रूप से देते हैं। महिलाओं को रसोई या अन्य दिनचर्चा करते समय सोलह शृंगार में दिखाकर नकली गहने बनाने वाली कंपनियाँ या शृंगार वस्तु बनाने वाली कंपनियाँ भी योगदान में जुटकर अपने ही आर्थिक लाभ में रहती हैं। हिंदी सिनेमा भी पीछे नहीं रहता। इस प्रकार औरत अपने मूल्यांकन को अपने में निहित आत्महित की पहचान न बनाकर दूसरों की नजर में सशक्त बनने लगती है। बाह्य शरीर को अंतरात्मा का स्वरूप देने लगती उसकी अस्मिता उसके अंदर ना होकर बाह्य जगत में लीन हो जाती है। और वो खुद की दूसरों की नजर से समीक्षा करने लगती है न कि अपने बलबूते से। सवाल यहाँ यह है कि अगर उसे खुद को अपनी सत्ता पर ही भरोसा नहीं है तो सशक्तिकरण होगा कैसे? शृंगार करना कोई बुरी बात नहीं पर उसे ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाने में कोई सार्थकता नहीं ! बढ़ती हुए मेहँदी की रस्म; साज- शृंगार की अति ; बनावटी कपड़े; सिनेमा अभिनेत्रियों का अंधानुकरण इत्यादि महिलाओं को अपने सशक्तिकरण से दूर ले जाता है और क्षमताहीनता की कगार पर ला खड़ा करता है ! सशक्तिकरण तो तब होगा जब स्त्री खुद अपनी क्षमताओं को पहचानकर अपनी अस्मिता को मजबूत बनाए। केवल बाहरी तत्वों से जुड़ने से उनके खुद के जीवन मूल्य अछूते रह जाएँगे और वो उनकी अपनी सार्थकता के अनुभव से भी अनभिज्ञ रह जाएगी।

ये सभी बातें परिवार और समाज की जिम्मेदारी हैं अगर वो स्त्री शक्ति की बढ़ोतरी चाहते हैं। ज्यादातर अभिभावक विद्यालयों पर सारी जिम्मेदारी थोपकर खुद को निश्चिंत बनाते हैं। विद्यालयों की जिम्मेदारी अकेले हो नहीं है। परिवार और शिक्षा संस्थान दोनों में तालमेल जरूरी है सही अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए। कन्या-पुत्र दोनों को समान रूप से प्रबंध के भीतर आने के लिए प्रेरित करना होगा। अभिवृत्ति जैसा कि शुरू में ही कहा गया था कि वह तीन तत्वों से मिलकर बनती है- उमंग, संज्ञान और व्यवहार इन तीनों का समन्वय और संतुलन बहुत ही जरूरी है।

जीवन कोई सशक्तिकरण की होड़ नहीं है स्त्री और पुरुष के बीच। दोनों समाज के अभिपूरक हैं और एकरूपता में समाज से जुड़े हुए हैं। अपने-अपने स्थान की पहचान जरूरी है ! न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। किसी प्रकार का कुत्रिम विभेद मानसिक और शारीरिक रोगों का कारण बनता है न कि किसी विशेष की शक्ति का कारण। जहाँ तक संभव हो स्वाभाविक संतुलन बनाए रखें; संतुलित रहें तथा सकारात्मक आशावादी रुख अपनाएँ। न ईर्ष्या करें और न फैलाएँ - सशक्तिकरण अपने आप ही पनपने लगेगा।

शिक्षार्थी और दंड

प्रोफेसर वीरेंद्र प्रताप सिंह
प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी,
email vssncert@gmail.com
तथा
प्रोफेसर नीरजा शुक्ला
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, विशेष आवश्यकता
समूह शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी,
email neerjashukla@yahoo.com

प्रायः हम देखते हैं कि विद्यालयों में गृह कार्य पूरा करके न आने पर शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार से दंडित किया जाता है। कभी उनके हाथ पर चोट की जाती है, कभी उसे अन्य शिक्षार्थियों के सामने अपमानित किया जाता है या कभी उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा करते समय हम यह भूल जाते हैं कि बच्चे पर इसका गलत असर भी पड़ सकता है। यदि हम बच्चों से बात करें अथवा अपने जीवन की इस प्रकार की घटनाओं को याद करें तो हमें महसूस होगा कि इस प्रकार के दंड पाने पर बच्चों में एक हीन भावना आ जाती है। कुछ बच्चे जो उद्दंड प्रकृति के होते हैं वे इसे अपना अपमान समझकर या तो उस अध्यापक के सामने आने से कतराते हैं या फिर पढ़ाई ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

हम दंड क्यों देते हैं? क्या यह हमारे कक्षा के बच्चों को संभाल न पाने का परिणाम होता है अथवा हमें लगता है कि हम बच्चे को दंड देकर अनुशासित कर सकते हैं? लेकिन क्या यह सही है?

वास्तव में देखा जाए तो दंड देने की प्रवृत्ति उस समय उत्पन्न होती है जब हम किसी परिस्थिति को संभाल पाने में विफल होते हैं जिससे हममें एक प्रकार की खीज उत्पन्न होती है। जब हम इस परिस्थिति से बाहर निकलने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो हमारी झुंझलाहट बच्चों को दंड देने अथवा उनको शाब्दिक रूप से प्रताड़ित करने के रूप में परिलक्षित होती है।

शारीरिक दंड देना अथवा बच्चों को शाब्दिक रूप से मानसिक प्रताड़ना देना अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा अधिकार अधिनियम भारत में पारित किया गया था जिसके अनुसार कतिपय अनिवार्य मापदंडों और मानकों को पूरा करना प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक कर दिया गया है जिससे प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक तथा एक समान गुणवत्ता वाली पूर्ण कालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। इसी अधिनियम की धारा 17 (1) में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड अथवा मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाएगी।

यहाँ हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इस अधिनियम के द्वारा जो वर्ष 2009 में इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उसके पीछे क्या कारण है? इसका एक कारण यह है कि हमारे समाज में वयस्क व्यक्तियों का एक कर्तव्य है कि वे बच्चों के हित का संरक्षण करें तथा उन्हें पोषित करें। वास्तव में विद्यालय बच्चों के परिवार का एक विस्तरित रूप होता है जिसमें माता-पिता का स्थान उसके अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ ले लेते हैं। एक स्वस्थ वयस्क-बालक/बालिका सम्बन्ध एक हिंसात्मक अथवा

अवनमित वातावरण में कभी भी फल-फूल नहीं सकता है। किसी भी देश के बच्चे उस देश का भविष्य होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वे शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहें। बिना सोचे समझे बच्चों को दिया जाने वाला दंड कभी-कभी उन्हें शारीरिक रूप से हमेशा के लिए नुकसान भी पहुँचा सकता है अथवा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है जो उनके समग्र विकास के लिए हानिकारक है।

हमें क्यों शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न को समाप्त करना होगा? एक कारण तो यह है कि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक परिणामों में क्रोध में बढ़ोतरी, विनाशक व्यवहार, कक्षा में विघटनकारी व्यवहार, ध्यान लगाने की कम क्षमता, विद्यालय जाने से बचना, विद्यालय से डरना, निम्न स्तर का अहं, ध्यान न लगना, उदासीनता, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी तथा अध्यापकों के आदेशों की अवहेलना इत्यादि शामिल हैं। इनमें से सभी दुष्परिणाम बच्चों के शारीरिक विकास के लिए घातक तथा हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं जिससे भविष्य में उनके व्यवहार के कुसमायोजित होने की आंशका बढ़ जाती है।

भारत का संविधान बनाते समय प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों तथा उसके विकास को ध्यान में रखा गया है। भारत के संविधान की धारा 21 में "जीवन का अधिकार" का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 (एफ) में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्वस्थ प्रकार से विकसित होने के अवसर मिलें। साथ ही उन्हें स्वतंत्रता तथा सम्मान की स्थिति भी प्रदान की जानी चाहिए। छोटे बच्चों तथा युवाओं को शोषण, नैतिक तथा भौतिक अपसर्जन से भी बचांकर रखने की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें प्रत्येक बच्चे के जीवन को

निरंकुश तथा तानाशाही नियंत्रण, यातनाओं तथा आतंक से मुक्त रखना होगा जिससे वह शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा, क्षति, हानि अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहे।

उपर्युक्त उल्लेखित निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारअधिनियम के अंतर्गत कुछ आदर्श नियम (प्रतिमान) भी बनाए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। इन नियमों के पाँचवें भाग में कहा गया है कि यदि बच्चे के अधिकारों का किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम होता है विशेष रूप से शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न के संबंध में अथवा धारा 3 (2) के तहत उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है या उसे समय पर उसके लिए नियत निःशुल्क प्रावधान नहीं मिलते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत शासन के अधीन स्थानीय प्राधिकारी को देनी होगी।

बच्चों के अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दिसंबर 2007 में की गई थी। इस आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों जैसा कि हमारे देश के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया है। इस आयोग ने शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न की विस्तृत व्याख्या की है। शारीरिक दंड की व्याख्या करते हुए तथा उसे परिभाषित करते हुए आयोग ने कहा है कि शारीरिक दंड चाहे वह कितना भी छोटा अथवा हल्का क्यों न हो, उसे कहते हैं जिससे बच्चा किसी तरह की पीड़ा, चोट अथवा असुविधा का अनुभव करता है। आयोग ने इसके संदर्भ में कुछ उदाहरण भी दिए हैं किंतु शारीरिक दंड केवल इन तक ही सीमित नहीं हैं। आमतौर पर देखा जाता है बच्चे को

दंड देते समय वयस्क कभी उसे मारते हैं, कभी धक्का देते हैं, कभी ठोकर मारते हैं या फिर उसे नाखून से नोचते, चिकोटी काटते, बाल पकड़कर खींचते हैं या फिर कान मरोड़ते हैं, चाँटा मारते हैं या किसी चीज जैसे चॉक, डस्टर, घड़ी अथवा बेल्ट को फेंककर मारते हैं। आयोग के अनुसार ये सभी व्यवहार शारीरिक दंड के तहत आते हैं क्योंकि इससे बच्चे को शारीरिक नुकसान पहुँचता है। बच्चों को बेंच पर खड़ा करना दीवार के सहारे एक कुर्सी की मुद्रा में खड़े होना, सिर पर स्कूल के बस्ते को रखकर खड़ा होना, पैरों के बीच से हाथ डालकर कान पकड़कर खड़े होना अथवा घुटनों के बल पर बैठना इत्यादि ऐसे दंड हैं जिससे बच्चे असुविधा महसूस करते हैं। कक्षा के बाद भी बच्चे को कक्षा में रोककर रखना अथवा विद्यालय के किसी अन्य बंद स्थान जैसे पुस्तकालय, शौचालय अथवा किसी अन्य जगह रोकना भी शारीरिक दंड के अंतर्गत ही आता है और यह पूर्ण रूप से वर्जित है।

इसी प्रकार उक्त आयोग ने मानसिक उत्पीड़न की भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। मानसिक उत्पीड़न एक ऐसा गैर-शारीरिक व्यवहार है जो बच्चे के अकादमिक तथा मनोवैज्ञानिक भलाई अथवा कल्याण के लिए घातक होता है। इसके अंतर्गत अनेक व्यवहार जैसे ताना देना जिससे बच्चे के स्वाभिमान को ठेस लगती है, गाली देना, अपमानजनक टिप्पणी करना अथवा नारा लगाना, बच्चे अथवा उसके परिवार के स्वास्थ्य के विषय में अपशब्द कहना, बच्चे को कक्षा में अध्यापक की अकादमिक उम्मीद पर खरा न उतरने के लिए नीचा दिखाना, बच्चे की योग्यता के विषय में टिप्पणी करना क्योंकि वह बाकी बच्चों से भिन्न है अथवा अत्यधिक सक्रिय बच्चे को डाँटना, बच्चे के अकादमिक कार्य-निष्पादन के

संबंध में नकारात्मक टिप्पणी करना इत्यादि व्यवहार इस श्रेणी में आते हैं।

यह समस्या बहुत गंभीर है, परंतु ऐसा नहीं है कि विद्यालयों में ऐसी घटनाएँ नहीं होती हैं। यदि यह सत्य नहीं होता तो शायद इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आजकल बच्चों के माता-पिता तथा अभिभावक बच्चे की पढ़ाई तथा विद्यालयों में होने वाले क्रियाकलापों में रुचि लेने लगे हैं तथा अपने बच्चों के साथ होने वाले गलत रवैये के प्रति सजग भी हो गए हैं। यदि विद्यालय में ऐसी कोई घटना होती है जिससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो विद्यालय का कर्तव्य हो जाता है कि इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्राधिकारी को दे। ऐसा न होने पर विद्यालय का कोई भी अध्यापक अथवा अध्यापिका जिसको इसकी जानकारी हो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह इसकी सूचना तुरंत उचित स्तर पर दें। इस प्रकार की जानकारी को छिपाने पर कठोर दंड का प्रावधान है। अतएव विद्यालयों का कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे तथा ऐसे कदम उठाए जिससे इस प्रकार की घटना की आशंका ही नहीं रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों के आचरण के संबंध में निश्चित तथा स्पष्ट मसौदा तैयार किया जाए और उसकी जानकारी विद्यालय के सभी अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को दी जाए। विद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य तथा दक्ष विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यशालाएँ आयोजित करवाएँ। इसके अतिरिक्त विद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय इसकी वार्षिक समीक्षा भी कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक शारीरिक दंड अनुश्रवण अथवा निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की जा सकती

है जिससे इस प्रकार की घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोका जा सके। लेकिन सबसे आवश्यक यह है कि बच्चे के माता-पिता तथा स्वयं बच्चों को इस विषय में खुलकर जानकारी देनी चाहिए जिससे इस प्रकार के अनुचित आचरणों की रोकथाम की जा सके। प्रत्येक विद्यालय में एक सुझाव पेटिका होती है। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह विद्यालय में आत्मसम्मान के साथ खुशी-खुशी सीखे। ऐसा होने पर ही हम प्रत्येक बच्चे को समग्र शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

संदर्भ

- American India Foundation (2011) School Management committee and Right to Education Act 2009: Resource Meterial for SMC Training.
- Constitution of India (1949), Government of India, New Delhi.
- NCPCR (2008). Protection of Children Against Corporal Punishment in Schools and Institutions. Summary Discussion by the Working Group on Corporal Punishment, New Delhi. http://harprathmik.gov.in>pdf>net.corporalpunishment-ncper.pdf
- Ministry of Human Resource Development (2009). Right of children to Free and Compulsary Education Act. Government of India, New Delhi.

- MHRD (2011). Sarva Shiksha Abhiyan: Framework for Implementation : Based on the Right of Children to Free and Compulsary Education Act., 2009.
- MHRD (2011). Model Rules under the Right of children to Free and Compulsary Education Act, 2009 Government of India, New Delhi.

ऋग्वेद का सामाजिक रचना में योगदान

दिव्या राणा,
शोध छात्रा, प्राचीन इतिहास
कलिकाधाम पी.जी. कालेज, सेवापुरी, वाराणसी
संबंध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
ई-मेल : divyarana4b@gmail.com

दुनिया आज परिवर्तन के दौर में पहुँच चुकी है। इसी परिवर्तन के दौर में समाज से एक विशेष तरह की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है सामाजिक स्वरूप का प्रतिरूप हड़प्पाकालीन सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक देखा एवं समझा जा सकता है। सामाजिक विषय पर अनेक विद्वानों एवं इतिहासकारों ने अपनी अलग-अलग दृष्टि डालते हुए विभिन्न साहित्य, पुस्तकें एवं लेख प्रकाशित किए है। किसी ने व्यक्तिगत रूप से तो किसी ने तथ्यात्मक रूप से सामाजिक रूपरेखा के प्रति विचार प्रकट किए हैं। समाज की रूपरेखा विस्तृत रूप से समझने के लिए ऋग्वेद का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी आधार पर समाज की विभिन्न कड़ियों पर प्रकाश डाला जा सकता है।

समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यक्तियों के रूप में उसी को मान्यता दी जाती है जो अपनी जागरूकता और आदान-प्रदान की क्रियाओं द्वारा समाज की रक्षा करने में समर्थ हो। आज के पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद में कोई मौलिक अंतर नहीं मिलता, क्योंकि तीनो का उद्देश्य पैसा और अधिकार है। परंतु इसके विपरीत वैदिक संस्कृति द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम पर आधारित

समाज व्यवस्था व्यक्ति और समाज के भौतिक एवं आत्मिक विकास के लिए भौतिकवाद को साधन समझती है। ऋग्वेद में मनुष्य को उसी परम पिता की संतान मानकर सब में सम दृष्टि रखने का उपदेश दिया गया है। ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सब मनुष्य भाई समान है। इनमें से कोई जन्म से न ही बड़ा और न ही छोटा है। समानता के भाव को धारण करते हुए सब ऐश्वर्य या उन्नति के लिए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वेद में मनुष्य के लिए व्रात शब्द कई स्थानों पर आया है जिसका अर्थ समुदाय अथवा संघप्रिया से है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऋग्वेद के दशम मंडल के अंतिम सूक्त में संगतिकरण अथवा संग बनाकर उन्नति करने का उपदेश दिया गया है। वेद में ऋषियों ने मानव समूह को व्यवस्थित करने के लिए तीन आधार दिए हैं - प्रथम गुण और कर्म के आधार पर, द्वितीय राजनीति के आधार पर, तृतीय आयु के आधार पर।

एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित, जात-पात रहित सामाजिक समानता रूपी समाज की झलक ऋग्वेद में देखने को मिलती है। इसकी अपेक्षा संविधान में भी जाहिर की गई है। इसलिए इनका समतुल्य अध्ययन करना सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। भारतीय संविधान के समान इतिहास में ऋग्वेद का स्थान महत्त्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक कालीन समाज में बढ़ती कर्मकांडता, रूढ़िवादिता, पाखंडता आदि की महत्ता दिखाई देती है जो समाज में आज तक अग्रसारित होती आई है। उद्देश्य ऋग्वेद में लिखे तथ्यों का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर करना है जो समाज के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। सर्वप्रथम हम ऋग्वेद में वर्णित तथ्यों का अध्ययन करेंगे।

ऋग्वेद

वैदिक युग का सर्व प्राचीन मूल ग्रन्थ ऋग्वेद है जिसमें हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के काल की रचना जितनी विवादास्पद रही है उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई, भाषाओं में अन्य कोई साहित्य इतना प्राचीन नहीं है जितना ऋग्वेद के मंत्र, जो सुदूर प्राचीनता के शिखर पर अकेले हैं जिसका विवेचन ऋग्वेद में उपलब्ध है। इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं।

1. पुरातात्विक साक्ष्य

चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के 109 स्थल पंजाब में, 24 उत्तर प्रदेश में, 8 राजस्थान तथा हरियाणा में विदित हैं। इसका काल 1700 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है इसका काल ऋग्वेद के संदर्भ में बताया गया है। पंजाब में तीन स्थल ऐसे मिले है जिसका संबंध ऋग्वैदिककाल से है। 1400 ईसा पूर्व में बोगाजकोइ अभिलेख मिला है, जिसमें हित्ती राजा शुब्बिलीम्मा और मित्तानी राजा मतिऊअजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। 1600 ईसा पूर्व में प्राप्त कस्सी अभिलेख से सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का समय प्राचीन है और आर्यों का आगमन भारत में किसी न किसी माध्यम से हुआ था।

2. साहित्यिक साक्ष्य

ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं जिसमें मूल सूक्त 1017 और 11 बालखिल्य हैं। पहला एवं दशवाँ मंडल बाद में जोड़ा गया जबकि दूसरे से सातवें मंडल सर्व प्राचीन हैं, इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि ऋग्वेद से छेड़छाड़ हुई थी और अपनी आवश्यकता एवं फ़ायदानुसार ऋग्वेद में मंडलों को जोड़ा गया होगा।

ऋग्वेद की तिथि पर विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। बालगंगाधर तिलक ने नक्षत्रीय गणना के आधार पर 6000 ईसा पूर्व, हरमन एवं जैकोबी द्वारा 4500 से 2500 ई. पूर्व., विंटरनित्ज़ द्वारा 3000 ईसा पूर्व, आर. के. मुखर्जी द्वारा 2500 ईसा पूर्व, जी.सी. पांडेय द्वारा 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ज्यादातर विद्वानों ने 3000 ईसा पूर्व या इससे पूर्व जाने का प्रयास किया है। मैक्समूलर ने समय 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। हो सकता है कि आर्यों के आगमन के पश्चात् वैदिक सभ्यता के आधार पर तिथि निर्धारित की गई हो क्योंकि आर्यों के संबंध में सूचना इसी समय के आस-पास मिलती है। इससे पूर्व आर्यों का कोई नाम नहीं मिलता और ऋग्वेद की रचना इससे कई हजार वर्ष पूर्व मानी गई है।

आर्यों के निवास स्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है जिससे इनकी मूलता का पता चल सके। इस पर विद्वानों की अलग-अलग धारणाएँ हैं। फिलिप संसटी और विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल स्थान यूरोप, पी.वी. गाईल्स ने हंगरी तथा डेन्यूब नदी, मैक्समूलर ने मध्य एशिया, स्वामी दयानंद ने तिब्बत, जी.बी. रीड ने बैक्ट्रिया, ब्रैण्डनस्टीन एवं नहरिंग ने दक्षिण रूस को आर्यों का आदि देश माना है। पॉकोनी ने मेजर और निश्चल नदियों के मध्य देश का, पैंका ने स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल स्थान माना है। भारतीय विद्वानों में के.एम. मुंशी,

पंडित गंगानाथ झा, डी.एस. त्रिवेदी, एल.डी. कल्ला, राधा कुमुद मुखर्जी, डॉ सम्पूर्णानंद, ए.सी. दास, सी.वी. वैद्य तथा राजबली पांडेय आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते है। लेकिन आर्य यदि मूल निवासी होते तो वैदिक समाज में इतनी विकृतियाँ नहीं हुई होतीं और समाज में भेद-भाव की भावना उत्पन्न नहीं हुई होती। उदाहरणतः मध्यकाल में भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपने अनुसार भारत के इतिहास को रचा, आधुनिक काल में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने अपने अनुसार भारत के इतिहास को रचा। परंतु इन सब से भारत आजाद तो हो गया लेकिन 1500 ईसा पूर्व में आकर बसे आर्यों से भारत आज तक आजाद नहीं हुआ। अतः यह प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि भारत पर पहला आक्रमण या आगमन आर्यों द्वारा हुआ था। आर्यों के आगमन के पश्चात् लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक सभ्यता में परिवर्तन नहीं हुआ था परंतु आरंभ हो गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र, विंध्य या सतपुड़ा का ज्ञान आर्यों को नहीं था, आर्यों का संघर्ष गैरिक मृदभांड एवं लाल और काळा मृदभांड वाले लोगों से हुआ था जिसमें इनकी विजय घोड़े चलित रथ, कवच अच्छे उपकरण से संभव हुई।

राजनीतिक व्यवस्था

अथर्ववेद में कहा गया है कि हे राजन, तू सुप्रसन्न रूप से राष्ट्र में दशमी अवस्था (90 साल की ऊपर आयु) तक शासन करता रहे। राजा से वैदिककाल में यही कामना की जाती है कि वो दशमी अवस्था तक राष्ट्र के शासन का संचालन करता रहेगा। राजा की नियुक्ति प्रजा द्वारा होती थी परंतु उसे निश्चित अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाता था। राजा को कतिपय कारणों से निर्वासित भी कर दिया जा सकता था और यदि जनता उसे राजा

के पद पर पुनः अधिष्ठित करना चाहे तो उसे निर्वासन से निर्वाचित (वापस) किया जाता था। राजा के मुख्यतः दो कर्तव्य थे, प्रथम युद्ध में नेतृत्व करना और दूसरा कबीले की रक्षा करना। युद्ध की आवश्यकता के अनुसार राजा का पद नियुक्त होता था। उत्तर वैदिक काल तक राजा का पद वंशानुगत हो गया जिस पर गेल्डन महोदय का कहना है कि जन साधारण द्वारा राजा का चुनाव औपचारिकता मात्र था। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद की शासन व्यवस्था में परिवर्तन आर्य द्वारा आरंभ कर दिया गया था।

प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप ऋग्वेद काल में राजतंत्रात्मक था, जिनमें कुछ गैर राजतंत्रात्मक भी थे, जिसे ऋग्वेद में गण कहा गया है, एवं इसका प्रमुख ज्येष्ठक या गणपति होता था। अतः यहाँ पर गणतंत्र का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, राजा को जनस्य गोप्ता तथा दुर्ग का भेदन करने वाला कहा गया है। राजा को विशांपति, गणना गणपति, ग्रामणी नामक उपाधि दी जाती थी। कबीले में सभा, समिति, विदथ संबधित संस्था थी।

सभा के सदस्य श्रेष्ठ जन थे, जिन्हें सुजात कहा जाता था, तथा भागीदारी करने वाले को सभय कहा जाता था। इसमें न्यायिक कार्य होते थे, ऋग्वेद में इसकी 8 बार चर्चा हुई है। राजा का निर्वाचन समिति करती थी। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख हुआ है। जीमर महोदय ने सभा को ग्राम संस्था तथा समिति को केंद्रीय संस्था कहा है।

रॉथ के अनुसार विदथ' संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबधित थी। के.पी. जायसवाल इसे एक मौलिक बड़ी सभा मानते थे, जो आगे चलकर सभा, समिति एवं सेना में विभक्त हो गई। 'विदथ' ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी। विवरण

विदथ का महत्वपूर्ण दायित्व था। त्वष्ट्रि को प्रथम वितरक' कहा गया है। ऋग्वेद में विदथ का 122 बार उल्लेख हुआ है। विदथ का महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया और सभा समिति का महत्व बढ़ा। अथर्ववेद में सभा शब्द 17 बार, समिति शब्द 13 बार तो वहीं विदथ का 22 बार उल्लेख हुआ है। इस प्रकार गण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार और अथर्ववेद में 9 बार हुआ है।

समाज में सबसे बड़ी इकाई राज्य के लिए 'जन' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है पर जनपद शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। राज्य का आधार कुल था जिन्हें संजाति या सनाभि (एक से उत्पन्न) कहा गया है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि समाज कुल, ग्राम, विश, जन या राष्ट्र के रूप विभक्त था। कीथ की धारणा है कि तीन पीढी तक एक परिवार या कुल के सदस्य साथ-साथ रहते होंगे। इनके द्वारा उस समय ऐसी प्रथा भी नहीं होगी कि माता-पिता की मृत्यु के बाद अलग रहा जाए। संभवतः उस काल में भूमि अथवा संपत्ति के प्रति लगाव नहीं रहा होगा क्योंकि कृषि भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। परिवार एवं कुल में साथ रहने का उद्देश्य मात्र पारस्परिक सहयोग एवं सहायता थी।

ग्राम स्वशासी एवं आत्मनिर्भर थे। ग्रामीण लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व ग्रामीण नामक पदाधिकारी का होता था, जो युद्ध काल में राजा की सहायता करता था। अनेक ग्रामों से मिलकर बने उपजिला का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। जन के सदस्यों को सामूहिक रूप से विश कहा जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है, इसका मुखिया विशपति होता था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, रत्निन को नियुक्त किया जाता था। ऋग्वेद में पुरचरिष्णु का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य

दुर्ग को गिराने के प्रयोग में लाया जाने वाला कोई उपकरण होगा। इन प्रमाणों के आधार पर ऋग्वैदिक सभ्यता को विकसित एवं नगरी सभ्यता कहा जा सकता है। इस विषय पर रामेंद्र नाथ नांदी, आर्यन नांदी ने भी अध्ययन कर ये बताया है कि ऋग्वैदिक समाज एक विकसित समाज था जिनमें चौराहा, कई मंजिलों वाले मकान, पक्की नालियाँ होने का प्रमाण है। भगवन सिंह ने भी वैदिक युग एवं हड़प्पा सभ्यता में इसी बात को स्वीकार किया है।

न्याय व्यवस्था के संदर्भ में ऋग्वेद में विधि अथवा व्यवहार के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता बनी रही। इस काल में भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद के 10462 श्लोकों में केवल 24 कृषि की चर्चा है। इसमें यव और धान्य का उल्लेख है जिसका अर्थ अनाज से लगाया गया है।

ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति

ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विवाह 16 या 17 वर्ष में होता था। विधवा एवं अंतर्जातीय विवाह होता था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, बहुत-सी महिलाएँ विदुषी थीं जिसमें लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा, सिकता आदि थीं। लोपा मुद्रा क्षत्रिय वंश की थी किंन्तु उसका विवाह ऋषि अगत्स्य से हुआ था। इससे पता चलता है कि अंतर्जातीय विवाह होते थे। बहुपतित्व की प्रथा नहीं थी। तलाक, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, बालविवाह, बहुपत्नीत्व का प्रचलन नहीं था। विदुषी महिलाओं को ऋषिका या ब्रह्मवादिनी

कहा जाता था तथा जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति की हिस्सेदार होती थी। ऋग्वेद के आखिरी मंडल में अपाला द्वारा पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त किए जाने का उल्लेख है। स्त्रियाँ सभा समिति में भाग लेती थीं। यज्ञ अनुष्ठान में पत्नी अपने पति के साथ बैठती थी। इस काल में यज्ञ में बिना पत्नी की सहभागिता से यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। ऋग्वेद में समनो (उत्सवों) का उल्लेख है जिनमें कन्याएँ अपने पति को वरण करती थीं। कभी-कभी शारीरिक बीमारी के कारण विवाह में विलंब होता था, उदारणतः चर्म रोग के कारण घोषा का विवाह बहुत समय तक नहीं हुआ था। ऋग्वेद में वर्णित है कि जब कन्या सुंदर, आभूषित है तो स्वयं पुरुषो के झुंड में से अपना मित्र ढूँढ़ लेती थी। एक विशेष परिधान 'वाधुय' का प्रयोग वधु द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता था। शीश पर 'कुँब' नामक आभूषण पहनने की प्रथा थी।

ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता व्यावहारिक एवं उपयोगितावादी स्वरूप है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में शिक्षण की चर्चा है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष को समान शिक्षा का अधिकार था। कई ऋषिकाएँ भी हुई थीं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों, सूक्तों का उच्चारण एवं रचना की थी, इनमे यमी, उर्वशी, इंद्राणी, घोषा, अत्रेयी, पौलमीशची, अपाला आदि थीं।

ऋग्वेद की प्रारंभिक स्थिति में समाज दो वर्ण में विभक्त था और ये विभाजन जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर था। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि द्वारा कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माता आटा पीसती है। इस प्रकार ऋग्वैदिक लोग इच्छा अथवा योग्यतानुसार व्यवसाय

का चयन करते थे। चतुर्थ वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के दशवें मंडल के पुरुसूक्त में हुआ है। डी.डी.गोयल के अनुसार ऋग्वैदिक काल में विभेदीकरण का आधार रंग था।

इन उपर्युक्त प्रमाणों से इतना स्पष्ट हो जाता है कि आर्य भारतीय न होकर बाहरी देश के थे और जो मूल भारतीय हैं वो अनार्य कहलाए। ऋग्वेद में सभ्य, सुसज्जित, संगठित, अखंडता, समरसता, एकजुटता, भावपूर्ण सम्मानित रूपी समाज का प्रमाण मिलता है जो तत्कालीन समाज के संविधान में इस तरह की कामना व्यक्त की गई है।

ऋग्वैदिक समाज में सभी को समान अधिकार था, स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं था, समाज कर्म के आधार पर दो वर्गों में विभाजित था। जात-पात, भेद-भाव, उच्च निम्न का भाव नहीं था। ऋग्वेद में आपसी टकराव होने पर सुलह होने अथवा कराने का भी प्रमाण मिलता है, समान रूप से न्याय करने की व्यवस्था थी।

उत्तर वैदिककाल के आरंभ से समाज के स्वरूप में परिवर्तन आर्य द्वारा शुरू की गयी जिससे चतुर्वर्ण की स्थापना, स्त्रियों के अधिकार में रूकावट, स्थिति में गिरावट, शूद्र वर्ण का निर्माण, ब्राह्मण का वर्चस्व, जात-पात, भेद-भाव की भावना, कर्मकांड, भ्रष्टता रूढिवादिता आदि विकृतियाँ समाज में पनपने लगीं । आर्यों का वर्चश्व बढ़ने लगा और अपना प्रभुत्व समाज में स्थापित करने हेतु जन्म आधारित समाज का निर्माण करना आदि पाखंडता का विकास होता गया। जिसका अग्रसरण पीढी दर पीढी चला आया। समाज में जो निम्न था उस पर अत्याचार बढ़ता गया, स्त्रियाँ भोग की वस्तु समझी जाने लगीं, शूद्र एवं स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इनके लिए किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं की गई तथा हर प्रकार से निम्न वर्ण को बेवजह

दंडित एवं प्रताड़त किया जाने लगा। इस प्रकार की प्रथा वर्तमान कालीन समाज तक चली आई जिसकी झलक हमें तत्कालीन समाज, गाँव, नगर में देखने को मिलती है।

समाज में हुए इस अस्वीकृत परिवर्तन रूपी सामाजिक व्यवस्था को सम्मानजनक बनाने हेतु अनेक महापुरुषों ने अपना-अपना योगदान दिया, परंतु आर्य रूपी समाज ने इसे सफल नहीं होने दिया। तत्पश्चात डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज में मानव को समान अधिकार दिलाने हेतु संविधान की रचना की गई, जिससे भारतीय समाज में चला आ रही पाखंडता, असमानता, भेद-भाव, की भावना को समाप्त किया जा सके और सभी का जीवन व्यवस्थित हो सके। यही भारतीय संविधान हमे ऋग्वेद की याद दिलाता है, जिसमें मानव अधिकार की बात की गई है। संविधान की रचना देश-विदेश में रचित ऋग्वेद जैसे कई ग्रंथों का अध्ययन कर, की गई है।

अंततः हमे अगर समाज को सही दिशा में लाना है, व्यवस्थित करना है, भ्रष्टता, रुढिवादिता, कर्मकांड, अधर्म, अंधविश्वास, असमानता आदि संगति पूर्ण व्यवस्था को समाज से ख़त्म करना है तो पहले पहल हमे ऋग्वैदिक समाज अथवा ऋग्वेद का अध्ययन करना होगा, तभी हम समाज की विकृतियों को प्रमाणित रूप से समाप्त कर सकते हैं और तब एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है।

संदर्भ

1. डी.डी. गोयल - भारतीय जनता एवं संस्थाएँ, मिकीजैन विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1969

2. पांडेय ओम प्रकाश - वैदिक साहित्य एवं संस्कृति का स्वरूप, विश्वविद्यालय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994
3. स्मिथ - ऋग्वेद प्वाइंट टू द सैटल पीपुल एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी एण्ड सिविलाइजेशन
4. डॉ भीमराव अंबेडकर - अश्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी
5. डॉ भीमराव अंबेडकर - भारत में जातीय प्रथा एवं जातीय प्रथा उन्मूलन
6. डॉ भीमराव अंबेडकर - अछूत कौन और कैसे
7. बालगंगाधर तिलक - द आर्यन्स और रिसर्च इन टू द एंटिक्विटी ऑफ़ द वेदास, स्कॉलर च्वॉइस प्रकाशन, 2015
8. मुखर्जी राधा कुमुद - प्राचीन भारत, राजकमल प्रकाशन, 2013
9. शर्मा एल.पी. - प्राचीन भारत, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन, आगरा
10. राय रघुनाथ - आक्र्योलॉजी एण्ड अन्सिएंट इंडिया
11. व्यूलर - भारतीय आर्य, 1894
12. दास अविनाश चंद्र - ऋग्वैदिक इंडिया आर्यों का आदिदेश, कोलकाता प्रकाशन, भाग 1, 1921
13. पांडेय राजबली - प्राचीन भारत, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2015
14. शरण परमात्मा - प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 1997
15. सिंह भगवान - कौशांबी: कल्पना से यथार्थ तक, 2015
16. दास चौपड़ा पुरी - भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मैकमिलन प्रकाशन, दिल्ली, 2012

17. शर्मा रामशरण - शूद्रों का प्राचीन इतिहास, भारतीय अनुसंधान परिषद्, दिल्ली, 1979
18. डॉ आचार्य बलवीर - ऋग्वैदिक ब्राह्मणों का सांस्कृतिक अध्ययन, विद्या निधि प्रकाशन
19. सिंह कृपाशंकर - ऋग्वेद हड़प्पा सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता, किताब घर प्रकाशन, 2010
20. विंटरनित्ज- प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन,दिल्ली,1861
21. नांदी रमेश नाथ- ऋग्वैदिक समाज एक पुनर्विचार (लेख), नई दिल्ली,1993
22. विलियम व्हिटने- हिस्ट्री ऑफ द वैदिक टेक्स्ट,(जर्नल) ऑफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी
23. जय नारायण पांडेय- पुरातत्व विमर्श,2000

उच्च शिक्षा की प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ

डॉ. निशात फात्मा

पी.जी.टी. (हिंदी)
जामिया सीनियर स्कूल
नई दिल्ली
e-mail : nishantfatma@gmail.com

किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता है क्योंकि देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और वही देश को अपने ज्ञान,संस्कार और अच्छे आचरण के बल पर समृद्धि की ओर ले जा सकता है। आज का शिक्षित वर्ग ही देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है किंतु अगर शिक्षा प्रणाली ही ठीक न हुई तो उस देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है इसलिए आज आवश्यकता है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जिससे व्यक्ति में ज्ञान के साथ-साथ अच्छे आचरण का भी विकास हो सके, वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और उसकी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमारे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक रूप में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुनष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार

में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली की क्या उपलब्धि है यदि हम इस ओर ध्यान दें तो संभवतः हमें कुछ संतोष जनक आँकडे मिलेंगे। आज हमारे देश में तकरीबन दस लाख स्कूलों में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82% रिहायशी इलाकों में एक कि.मी. की परिधि के अंदर प्राथमिक और 75% रिहायशी इलाकों में तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक पाठशालाएँ है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों में कम से कम 50% बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन आँकडों के बावजूद भारत के 37% लोगों में साक्षरता कौशलों का अभाव है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर 53% है। (1) उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण कराने वाले छात्रों का अनुपात भारत में विश्व में सबसे कम 11% है जबकि अमेरिका में यह 83% है। इस अनुपात को 15% तक ले जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत को रू. 2,26,410 करोड़ निवेश करना होगा। जबकि 11वीं योजना में शिक्षा के लिए केवल 77,933 करोड़ रू. का ही प्रावधान किया गया है। (2) जिस समय दुनिया ने विद्यालयों की कल्पना भी नहीं की थी उस समय भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्व स्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पावन धरती पर शिक्षा व्यवस्था की ये विसंगतियाँ कहीं न कहीं मन को आहत करती हैं। आज चारों तरफ अनास्था का माहौल पनप रहा है। गुरु-शिष्य संबंध का घनत्व घट रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का जितना प्रतिशत खर्च होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। रक्षा और अन्य मंत्रालयों का बजट लंबा-चौड़ा होता है पर शिक्षा की अनदेखी होती है। समय पर कार्यों

के पूर्ण न होने के कारण हड़ताली प्रवृत्ति विकसित होती चली जा रही है। जिसका परिणाम अंततः छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। अतः हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने व उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है जिससे हम उन अनेक अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सकें जिनके बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। यथा :-

ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।

पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। यह सुनिश्चित करना।

पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाए। बजाए इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए।

परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।

एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों। (3)

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ तथा 1966 में रिपोर्ट आई और 1992 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन हुआ। 1993 में रिपोर्ट आई। 1986 में रोजगारोन्मुखी नई शिक्षा नीति भी लाई गई, किंतु क्रियान्वयन किसी का नहीं हुआ और आज भी हम मूल्यपरक शिक्षा नीति की बाट जोह रहे हैं। नैसकॉम और मैकिन्से के ताजा शोध के मुताबिक मानविकी में 10 में एक और अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने योग्य है। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यापन परिषद् (नैक) का शोध बताता है कि इस देश के 90 फीसदी कालेजों एवं 70% विश्वविद्यालयों का स्तर बेहद कमजोर है। स्वतंत्रता से पहले 50

सालों में 44 निजी संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा मिला। पिछले 16 वर्षों में 69 और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई।(4) शिक्षा के वैश्वीकरण के इस दौर में महंगे कोचिंग संस्थान, किताबों की बढ़ती कीमत, डीम्ड विश्वविद्यालय और छात्रों में सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की एक आम अवधारणा का पनपना आज की अहम उच्च शैक्षिक चुनौतियाँ हैं।

इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमें 'स्व' से अलग कर दिया है। इस शिक्षा पद्धति का शरीर तो सक्षम है पर आत्मा कमजोर है। इस रुग्ण-आत्मा की कमजोरी को दूर करना होगा। युवा पीढ़ी के अंदर की बेचैनी व छटपटाहट को समझते-परखते हुए उसे भटकाव से रोकना होगा। मन-मस्तिष्क और हाथों के सुंदर समन्वय से पूर्ण मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया का द्वार खोलना होगा। हमें गुणात्मक शिक्षा को अपनाना होगा, जिसमें नैतिकता का पुट हो।

संप्रति भारत में जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है, उसके कई पक्षों में सुधार की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक वृहत जनसमूह को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व है। पर साधन और संसाधन बहुत सीमित हैं, परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं, फिर भी हम लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो इस निराशाजनक स्थिति से उभर सकते हैं। यहाँ अगर कुछ चुनौतियों की बात करें तो ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जो व्यक्ति को समाज में स्थान दिला सके। आज औद्योगिक क्रांति के कारण नए भारतीय समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें कई शाश्वत मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है। भौतिक संपन्नता तो आई है, परंतु नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है, वास्तव में हम शिक्षा के मूल मर्म से दूर हो गए हैं। शिक्षा की प्रासंगिकता की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में व्यवसायिकता इतनी हावी होती

जा रही है कि लैंगिक भेदभाव, महिला हिंसा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दे अनावश्यक लगते हैं। अंकों की दौड़ में चाहे-अनचाहे व्यक्तित्व विकास की बहुत-सी समस्याएँ अनसुलझी रह जाती हैं जो कि भविष्य में निराशा, हताशा और कुंठा के रूप में अपराधी वृत्तियों को जन्म देती हैं। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है कुछ परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर नौकरी प्राप्त करना और अगर दुर्भाग्यवश शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी न मिले तो..... इस भय से दूर क्या यह शिक्षा व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देती है कि वह नौकरी न मिलने पर भी स्वरोजगार से अपने जीवन को सफल बना सकता है? यह एक गंभीर समस्या है जो हमारी शिक्षा को अर्थहीन बनाती है। आने वाले समय में शिक्षा की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन करने होंगे, जिससे शिक्षा उपयोगी और लक्ष्य आधारित हो।(5)

सबसे बढ़ी त्रासद स्थिति यह है कि विश्व के शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। (6) अर्थात विश्व को भारत की उच्च शिक्षा ने प्रभावित नहीं किया है। देश में साक्षरता दर तो बढ़ी है लेकिन हम गुणवत्ता नहीं बढ़ा पाए हैं। क्योंकि यहाँ कक्षाओं में केवल किताबी ज्ञान मिलता है जबकि आज व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। देश में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान की दशा शोचनीय है और हमारे विश्वविद्यालय एम.फ़िल. और पी-एच.डी की सिर्फ डिग्री बाँट रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में तो पैसे लेकर डिग्री देने का खुला खेल चल रहा है। रही-सही कसर स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने पूरी कर दी है। जहाँ शिक्षकों की कमी है और जो हैं उनकी स्थिति दयनीय है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में अनेक विसंगतियाँ हैं। महाविद्यालयों में कई तरह के शिक्षक कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया के

मापदंड भी अलग-अलग है। यही नहीं स्ववित्तोषित महाविद्यालयों में अत्यंत अव्यवस्था है। इनमें मनमानी फीस वसूल कर छात्रों का तो शोषण किया ही जाता है और शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। अधिकांश महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों का अनुमोदन करा लिया जाता है किंतु उनसे पढ़वाया नहीं जाता। (7) जहाँ पढ़वाया जाता है वहाँ इन्हे मात्र 8000/- से 15000 तक वेतन पर रखा जाता है। जिससे उनका मनोबल गिर जाता है। वे अपने जीवन की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। उन्हें अगले आने वाले वर्ष में नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। प्रबंधक की जी हुजूरी पर नौकरी टिकी होती है। जिस दिन बोला 'नही' उस दिन बरखास्त। एसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर शिक्षकों की कमी को दूर करना होगा तथा निजी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों की ओर से वेतन निर्धारण कर शिक्षकों की स्थिति में सुधार करना होगा। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को यूजीसी के मानक नैक (NAAC) का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए ताकि शिक्षण संस्थानों की हालत में सुधार हो। सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाना होगा। देश की उच्च शिक्षा को मूलभूत संकल्पना के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। इस हेतु इसके अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की रचना करनी होगी, शोध कार्यों को बढ़ावा देने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, देश की उच्च शिक्षा मूल्य आधारित बने शिक्षा में स्वायत्ता हो। उच्च शिक्षा के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो, ऐसी शिक्षा का प्रारूप तैयार करना होगा।

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी होगी और इन बच्चों को दोनों मे से किसी पाठ्यक्रम को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दो वर्षीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित करना होगा। दूसरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विज्ञान और मानविकी विषयों में शिक्षा देने के लिए एक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। इन दोनों पाठ्यक्रमों मे से शीर्ष 10% विद्यार्थियों को अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद देश के उच्च शिक्षण संस्थानों मे प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए। इस प्रकार पढ़ाई पूरी न करने वाले लोगों को न केवल शिक्षा दी जा सकती है बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराया जा सकता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी के शुरुआती दौर में भारत की शिक्षित युवा पीढ़ी ने सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में उसे अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाया है, नई कार्य संस्कृति के अंतर्गत भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र की क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरपूर सराहना मिल रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के संबंध में चिंताजनक आँकड़े हमारी प्रगति पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार को न सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ानी है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाना होगा। देखने वाली बात यह है कि देश में सर्वोच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान कहाँ तक सफलता प्राप्त करते हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा में सुधार की योजनाएँ बनाने में दिलचस्पी दिखाती है, तो दूसरी और योजनाओं के सही क्रियान्वयन की ओर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा में किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएँ तो शिक्षा की गुणवत्ता कायम हो सकती है। देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम हो जिससे देश में समरसता का वातावरण बने और शिक्षा के निजीकरण ने अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का जो काम किया है वह कम हो सके। NDTV India के प्राइम टाइम कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम में देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जो भयावह स्थिति सामने आ रही है (8) उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब राज्य सरकारें नींद से जागकर बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था करें, परीक्षाओं के रिज़ल्ट समय पर जारी करें और नियुक्त होने वाले छात्रों को समय पर नियुक्ति पत्र जारी करें। सरकारों के बदलने का प्रभाव किसी भी प्रतियोगी परीक्षा पर न पड़े। जो प्रक्रिया चल रही है वह आगे बढ़ती रहे। ऐसा न हो कि सरकार बदलते ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए और नयी व्यवस्था आरंभ कर दी जाए, ऐसा करने से छात्रों का धन और समय दोनों ही बर्बाद होता है। एक तथ्य यह भी है कि 21वीं सदी की उच्च शिक्षा को तब तक स्तरीय नहीं बनाया जा सकता, जब तक भारत की स्कूली शिक्षा 19वीं सदी में विचरण करती रहेगी। स्कूली शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में पिछले दशक में वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ भी समस्या गुणवत्ता की है। भारत के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी तकनीकी गतिविधि नहीं होती जिससे भारतीय बचपन सूचना और तकनीकी के युग में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि चाक और ब्लैक बोर्ड को छोड़कर शिक्षा के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाए। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो, ताकि उच्च कक्षाओं तक पहुँचते-पहुँचते छात्र आधुनिक तकनीक

में पूर्णरूप से पारंगत हो जाए। नयी सोच, नई विचारधारा और नए परिवेश का उच्च शिक्षा में संचार हो सके। गुणवत्ता में सुधार के लिए तुरंत एक्शन प्लान की आवश्यकता है। पुस्तकालय, शोध पत्रों, शोध छात्रों की संख्या में वृद्धि करना और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ गुणवत्ता बढ़ाने और मूल्यांकन में सुधार करना होगा।

वास्तव में देश को अगर 2020 तक सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए पढ़े-लिखे तथा दक्ष कर्मियों की बड़ी संख्या में जरूरत है और इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सख्त परिवर्तन करने होंगे। सरकार इस बारे में ध्यान दे रही है। यह एक उत्तम संकेत है। देश और समाज चाहता है कि बिना निजीकरण के उच्च शिक्षा नीतियों मे जल्द बुनियादी बदलाव लाकर इन्हें क्रियान्वित किया जाए ताकि देश के शैक्षणिक विकास का मानचित्र गौरवशाली बना रहे। ये सभी सुझाव उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ और मुद्दे हैं जो सभी के सहयोग और भागीदारी से पूर्ण किए जा सकते हैं।

संदर्भ

1. (NCF 2005 lesson 1 page 2) www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/ framework/english/nf2005.pdf
2. https://readerblogs.navbharattimes.indiatimes.com/ANCHHUA-KONA/जयन-त-ज-ज-ञ-स8/ (भारतीय उच्च शिक्षा की चुनौतियां)
3. (NCF 2005 lesson 1 page 5) www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/ english/nf2005.pdf

4. https://readerblogs.navbharattimes.indiatimes.com/ANCHHUA-KONA/जयन-त-ज-ज-ञ-स8/ (भारतीय उच्च शिक्षा की चुनौतियां)

5. व्यक्तिगत अनुभव

6. https://www.livemint.com/Education/EtUBYaH5PAde3y1u325PKO/THE-World-University-Rankings-2018-IISC-slides-no-Indian-i.html

7. https://hindi.yourstory.com/read/db0e466639/more-than-money-is-nee

8. https://khabar.ndtv.com/videos/show/prime-time-university-series

खुशी की कुंजी : आत्म जागरूकता

डा. प्रग्येंदु सहायक प्राध्यापक
श्री अरविंद महाविद्यालय (सांध्य)
दिल्ली विश्वविद्यालय

एक बार जब हम भोजन और आश्रय जैसी अपनी बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो हमारा जीवन अधिकतम खुशी को पाने की तरफ योजनाबद्ध हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अक्सर खुशी को पाने की तलाश में भटक जाते हैं। इस भटकाव में हमें भौतिक चीजें तो हासिल हो जाती हैं। परंतु वह भाव हासिल नहीं हो पाता है जिसकी हमें जरूरत है। परिणामस्वरूप हम निराश हो जाते हैं। लोग हमें हमारी उम्मीदों के अनुरूप सम्मान नहीं देते हैं। कई बार यह भटकाव हमारे खास रिश्तों में कड़वापन ला देता है या फिर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जब आप अपनी दिशा और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने के लिए समय लेते हैं, तो यह विचार करना उत्तम हो सकता है कि आपके विचार और विश्वास आपकी ख़ुशी को कैसे प्रभावित करते हैं । हम बाहरी कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुबंधित हो चुके हैं। अपनी खुशी का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण विचार को भूल चुके हैं।

आपका मन मान्यताओं, विश्वासों और उम्मीदों से भरा होता है जिनसे आपको खुशी मिलती है । जिन्हें हमने वर्षों से अपने व्यक्तित्व में जाने या अनजाने रूप में समाहित किया है। ये हमें प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि हमारी पसंद को भी निर्धारित करते है जिनके बारे में शायद हम जागरूक न हों। आत्म

जागरूकता न होने की वजह से छिपी हुई धारणाएं और गलत विश्वास हमें निराशा और हताशा की तरफ ले जाते हैं। आत्म-जागरूक बनना आपके जीवन में महारथ हासिल करने की दिशा में आपका पहला कदम है। आप खुद को वही बना पाएंगे जो आप चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपकी आत्म-जागरूकता आपको वह मार्गदर्शन देगी जिसकी आपको आवश्यकता है और आपको सही दिशा की ओर अग्रसर करेगी । यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके विचारों, भावनाओं और प्रयासों पर ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। फलस्वरूप एक-एक करके आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि हम स्वयं के प्रति जागरूक कैसे बनें ताकि हम खुशी के स्तर को बढ़ा सकें? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आत्म जागरूकता और खुशी को बढ़ाने हेतु हमें क्या करना चाहिए।

अपनी गलत धारणाओं और विश्वासों के साथ-साथ आप अपनी भावनाओं को बदलें। जब आप प्यार, स्वीकृति और सम्मान व्यक्त करते हैं, तो आप अपने भीतर सुखद भावनाएँ पैदा करते हैं। जब आप निर्णय, भय, ईर्ष्या, और क्रोध व्यक्त करते हैं, तब आप भावनात्मक द्वंद्व का अनुभव करते हैं। चुनौती आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति में महारथ हासिल करने की है। केवल आप ही स्वयं के विचारों और भावनाओं को निर्धारित कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए विचार, विकल्प और व्याख्याएँ आपके मूल विश्वासों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जब आप अपनी मुख्य मान्यताओं को बदलते हैं तो आप अपने द्वारा की जाने वाली व्याख्याओं, आपके द्वारा सोचे गए विचारों और व्यक्त की गई

भावनाओं को बदलते हैं। गलत मान्यताओं को बदलना आपके जीवन की भावनात्मक गुणवत्ता को बदलने की नींव है।

हमेशा याद रखें- आत्म जागरूकता (सेल्फ अवेयरनेस) खुशी को बदलने और स्थायी करने की कुंजी है।

कुछ और जानने से पहले, आपको यह जानना होगा कि आप कौन हैं – जानिए आपकी ताकत, आपकी कमजोरियाँ, आपकी इच्छाएँ और प्रेरणाएँ, आपकी व्यक्तिगत मान्यताएँ और धारणाएँ। आपको अपनी भावनाओं के साथ संपर्क में रहना होगा। दूसरे शब्दों में, आपको स्वयं जागरूक होना होगा। अपने जीवन को बनाने के तरीके को बदलने के लिए पहला कदम आत्म जागरूकता है। इसे हम माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं। आप उस बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप नहीं जानते। आत्म जागरूकता या माइंडफुलनेस यह चुनने की स्पष्टता प्रदान करती है कि आप प्यार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं या डर की प्रतिक्रियाओं से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कुछ विनाशकारी नकारात्मक सोच पर विश्वास करने से पहले, आत्म जागरूकता आपके आत्म को क्षण में पकड़ने की संभावना प्रदान करती है। आत्म जागरूकता आपके अचेतन पैटर्न और उन्हें अपनी चेतना में लाने और पहचान करने का साधन है ताकि उन्हें बदला जा सके। यह आत्म जागरूकता के माध्यम से ही संभव है कि आप विनाशकारी व्यवहारों को चलाने वाली अंतर्निहित मूल मान्यताओं को पहचानें और उन्हें बदलें ताकि आप अपने अंदर खुशी पैदा कर सकें।

अपने बारे में जानकारी एकत्र करें

आत्म जागरूकता बढ़ाने हेतु अपने बारे में जानकारी एकत्र करना बहुत जरूरी है। अपनी अच्छाइयों व बुराइयों की एक सूची बनाइए। इस प्रक्रिया में आप अपने विश्वासपात्र लोगों से मदद ले सकते हैं। आपके विश्वासपात्र मित्र या सगे आपकी अच्छाइयों व बुराइयों को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं।

भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रोकें

जब आप अपने मन में झूठी मान्यताओं से नहीं रहते हैं, तो आप अनावश्यक प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं। अभ्यास के साथ आप इस पल में चुन सकते हैं कि विश्वास न करें कि आपका मन क्या कह रहा है। यह आपको भावनात्मक रोलर कोस्टर को आते हुए देखने की अनुमति देता है। आप इससे पीछे हट सकते हैं और इसे अपने बिना देख सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आप अब उन भावनाओं के शिकार नहीं हैं जो आपके जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं।

व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का विकास भी जरूरी है।

'व्यक्तिगत' विश्वास या व्यवहार और इसे बदलने की इच्छा का ज्ञान होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। आप शराबी को ले लीजिए। वह उसे जानता है कि उसका व्यवहार विनाशकारी है, छोड़ना चाहता है, लेकिन आदत को तोड़ने में असमर्थ है। आपके व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाए हो सकती हैं जिन्हें आप बदलने में असफल रहे हैं। इस मामले में जो कमी है वह सिर्फ जागरूकता नहीं है बल्कि व्यक्तिगत इच्छा शक्ति है। व्यक्तिगत इच्छाशक्ति आपको अपनी प्रतिबद्धताओं को अपने और दूसरों के साथ रखने की अनुमति देती है। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का विकास मुख्य मान्यताओं को पहचानने और बदलने से है।

तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि खुशी को हमें अपने जीवन में हासिल करना है तो आत्म जागरूकता जरूरी है। वैसे आत्म-जागरूकता के विकास में समय लगता है और इसे विकसित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की ओर से बहुत प्रयास किया जाता है। इसके लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और व्यवहार पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। उपर्युक्त तरीकों को अपनाकर हम आत्म जागरूकता की तरफ बढ़ सकते हैं। आत्म-जागरूक होना एक व्यक्ति को उद्देश्य और प्रामाणिकता की भावना देता है, और उसे अधिक खुला रहने और विश्वास करने की क्षमता देता है।

रोड रेज : एक मनोसामाजिक दृष्टिकोण

डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा
सहायक प्राध्यापक,
श्री अरबिंद महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय

आज हम विकास के पथ पर अग्रसर नए भारत के नागरिक के रूप में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अंतराष्ट्रीय स्तर पर खुद को विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की संपुष्टि हेतु जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नही कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की की है लेकिन तरक्की की इस अंधाधुंध दौड़ में हमने तरक्की को संकीर्ण रूप में समझकर या यूं कहें कि हमने तरक्की को समग्र रूप में न अपनाने की भूल की है। हम आर्थिक रूप से मजबूत तो हो रहे हैं लेकिन क्या हमने व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर मजबूती हासिल की है? क्या भौतिकता की चाहत में हम संवेदनहीन हो गए हैं? क्या भारत देश की महान मूल्यों वाली विरासत को सँभालने व सहेजने में हम नाकयाब हो गए हैं? क्या हम अपने व्यवहार का आत्मविश्लेषण करने में असमर्थ हैं? ये सब प्रश्न इसीलिए क्योंकि इन सारे सार्थक प्रश्नों का सीधा संबंध बहुतायत संख्या में प्रतिदिन घटित होने वाली रोड रेज की घटनाओं से है।

रोड रेज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम समस्या की तरह घर कर चुकी है। लेकिन हम खुद को एक सभ्य नागरिक व बुद्धिजीवी कहलाने में फक्र महसूस करते हैं। कई मामलों में रोड रेज के भयानक परिणाम होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। कि पीड़ित की मृत्यु तक हो जाती है। मोटे तौर पर रोड

रेज को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला अभ्यस्त रोड रेज और दूसरा पारिस्थितिजन्य रोड रेज। अभ्यस्त रोड रेज अर्जित व्यवहार होता है। जिसे इंसान अपनी आदत और व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बना लेता है। इस तरह के रोड रेज में संलिप्त इंसान चोट, दुर्घटना, गिरफ्तारी या मुकदमे की धमकी के बाद भी अपने व्यवहार का अवलोकन नहीं करते हैं । वे 'यह दूसरे ड्राइवर की गलती' सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर ऐसे व्यवहारों को समस्याग्रस्त के रूप में परिभाषित करते हैं। परिस्थितिजन्य रोड रेज परिस्थिति पर आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और अचानक उसको कोई मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बुरी खबर मिलती है। हो सकता है यह खबर सुनने के बाद ड्राइवर संतुलन खो बैठे और यह खबर रोड रेज की घटना उत्पन्न करने में उत्प्रेरक का कार्य करे। तो इस प्रकार की रोड रेज की घटना पारिस्थितिजन्य रोड रेज के अंतर्गत आएगी। मनोविज्ञान के नजरिये से रोड रेज की घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित कारणों का पता चलता हैः

1. क्रोध
2. आत्म जागरूकता की कमी
3. आत्म नियंत्रण की कमी
4. तनाव
5. भारी यातायात
6. विचलित ड्राइविंग

7. जोर से संगीत सुनना

8. तेज गति से गाड़ी चलाना

9. अन्य ड्राइवरों को अश्लील इशारे करना

10. लेन को बहुत तेज़ी से बदलना और दूसरे ड्राइवर को काटना

11. त्रुटिपूर्ण या असुरक्षित लेन में प्रवेश करना

12. जोर-जोर से हॉर्न बजाना इत्यादि

रोड रेज का कारण चाहे जो भी हो क्रोधित व्यवहार हर रोड रेज का मुख्य अवयव होता है। रोड रेज की कई घटनाओं का विश्लेषण करने से हमें क्रोधित व्यवहार के उद्‌गम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। क्रोधित व्यवहार का संबंध कहीं न कहीं झूठी शानो-शौकत से जुड़ा होता है। घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति भौतिकता के नशे में इतना चूर होता है कि उसके वास्तविक व्यक्तित्व पर झूठे व्यक्तित्व के आवरण की चादर कब चढ़ जाती है, उसका भी उसको पता नहीं चलता है। वैसे भौतिकता का नशा कुछ होता ही ऐसा है। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं" जब कोई व्यक्ति वस्तुओं के बारे में सोचता है, तो वस्तु से लगाव पैदा होता है: आसक्ति से इच्छा का जन्म होता है; इच्छा से क्रोध उठता है; क्रोध से भ्रम होता है; भ्रम से स्मृति की हानि; स्मृति के नुकसान से भेदभाव का विनाश; भेदभाव के विनाश से एक आदमी नष्ट हो जाता है, इस पृथ्वी पर अधिकांश समस्याओं की जड़ का कारण भी यही है। दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले इस देश में ऐसा अनुबंधन विकसित कैसे हुआ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर भौतिकता की अत्यधिक चाह इंसान को भावनात्मक रूप से अस्थिर बनाती है।

परिणामस्वरूप इंसान का लगाव इंसान से कम हो जाता है और वह रोड रेज जैसी तमाम घटनाओं में संलिप्त पाया जाता है।

आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की कमी भी रोड रेज की घटना को जन्म देती है। ट्रैफिक के नियमों का पालन न करना, तेज गति से गाड़ी चलाना, दूसरे की गाड़ी में टक्कर मार देना, गाली गलौज करना इत्यादि व्यवहार दर्शाता है कि हमारे अंदर आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की कमी है। इंसान यदि इन पर ध्यान नहीं देगा तो आज वह रोड रेज की घटना को अंजाम देगा और कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है।

मानवीय मूल्यों का ह्रास भी रोड रेज की घटना को बढ़ाता है। आज शायद हम इन्हीं मूल्यों से किनारा कर रहे हैं। इन मूल्यों को सहेजने व जीवन में अपनाने पर हमारे इस तथाकथित सभ्य समाज द्वारा बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आज इंसान को इंसान बनाने पर कम और उसे मशीन बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जीवन आधारित शिक्षा का आज हमारे संस्थानों में अभाव है। किसी भी समाज में अमन स्थापित करने और उस समाज को सामाजिक समस्या विहीन बनाने हेतु मानवीय मूल्यों का होना जरुरी है। विक्टर फ्रेंकल, एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, "मैन सर्च फॉर मीनिंग" के लेखक और "लोगोथेरेपी" के आविष्कारक कहते हैं "उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच, एक स्थान है। उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति और स्वतंत्रता निहित है। प्रतिक्रिया में हमारी वृद्धि और स्वतंत्रता निहित है। "कहने का मतलब यह है कि वह प्रतिक्रिया आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण आधारित होनी चाहिए।

यदि आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण का समावेश हमारे व्यक्तित्व में हो गया तो हम रोड रेज की घटनाओं को कम कर

सकते हैं। आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की शुरुआत आत्म अवलोकन से होती है। यदि हमें लगता है कि हम जल्दी आपा खो जाते हैं तो हमें आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। तभी हम आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की तरफ बढ़ सकते हैं और रोड रेज जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं को रोक सकते हैं।

करुणा (कम्पैशन) का अभ्यास भी हमें रोड रेज जैसी घटनाओं से निजात दिला सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण दोनों के जबरदस्त लाभों के कारण करुणा ने हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित किया है। सकारात्मक मनोविज्ञान में खुशी और मानव उत्कर्ष के मनोविज्ञान के अग्रणी शोध बताते हैं कि दूसरों को सार्थक तरीके से जोड़ने से हमें बेहतर मानसिक आनंद लेने में मदद मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य और बीमारी से उबरने की गति भी तेज हो जाती है। यह हमारे जीवन काल को भी लंबा कर सकता है।

अंत में भगवान् कृष्ण के वचन को उद्धृत करते हुए अपने व्यक्तित्व से अवांछनीय व्यवहारों को खत्म करते हुए खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं तभी हम रोड रेज जैसी तमाम सामाजिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं "व्यक्ति जो चाहे बन सकता है या कर सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।

भ्रष्टाचार का बढ़ता मर्ज एक सामाजिक बीमारी

डॉ. अलका रानी
सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
स्वामी विवेकानंद कालेज ऑफ एजुकेशन
रूड़की (हरिद्वार)
ईमेलः dralkarani2016@gmail.com

भारत में भ्रष्टाचार चर्चा एवं आंदोलन का प्रमुख विषय रहे हैं। यह सर्वविदित है, भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन अपने स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया है। प्रत्येक कार्य के पीछे स्वार्थ प्रमुख हो गया है। इसी कारण समाज में अनैतिकता, अराजकता और स्वार्थ से युक्त भावनाओं का बोलबाला हो गया है। परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति और उसका पवित्र एंव नैतिक स्वरूप धुंधला-सा हो गया है। इसका प्रमुख कारण समाज में फैला भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के रंग-रूप अनेक हैं, जैसे रिश्वत, काला-बाजारी, जान-बूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर कार्य करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि।

1. भूमिका

आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धँसा नजर आने लगा था। दिसंबर 1963 को भारत में भ्रष्टाचार

के खात्मे पर संसद में श्री. राम मनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। उस वक्त लोहिया जी ने कहा था सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट एंव बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत में राजनीतिक एंव नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस आदि में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज यह कटु सत्य है कि किसी भी शहर के नगर निगम में रिश्वत दिए बगैर कोई मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी यह मानकर चलता है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में पैसे दिए बगैर कार्य नहीं होता।

2. भ्रष्टाचार का अर्थ

भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट्आचरण। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का अर्थ है - वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक एवं अनुचित है। भ्रष्टाचार में राजनीतिक दलों द्वारा किया गया गोल-माल एवं दल-बदल उँचे अधिकारियों द्वारा कानून तोड़ना आदि सम्मिलित हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति सहयोग, सेवा, कर्तव्य और नियम-कानून के प्रति निष्ठा की भावना को तिलांजलि देकर केवल अपने ही स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति में लगा रहा है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नही है। हालांकि वर्तमान में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार 2005 व कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट आदि बनाने के लिए भारत सरकार बाध्य हुई है।

3. भ्रष्टाचार के कारण

पिछले कुछ समय से अचानक एक सवाल तूफान की तरह उठता है और पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहले यह सवाल नहीं उठा किंतु जिस वृहत स्तर पर पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हुई ... लोग एकजुट हुए। वह अपने आप में संभवतः पहली बार था. यह विषय था भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की नियुक्ति पर अन्ना हजारे का वर्ष 2011 में दिल्ली में अनशन। भ्रष्टाचार की बात करें तो प्रमुखता से यह सामने आता है कि आखिर भ्रष्टाचार का स्रोत आखिर है कहाँ? भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं? आइए हम भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारणों पर विचार करें।

3.1. नैतिक पतन

जैसा कि नाम से ही विदित होता है नैतिक पतन का अर्थ है नैतिकता से गिरना या इतर व्यवहार करना। यह भ्रष्टाचार का पहला व मूल स्रोत है। आचरण का भ्रष्ट होना ही भ्रष्टाचार है। आचरण का प्रतिनिधित्व सदैव नैतिकता करती है।

किसी का नैतिक उत्थान या पतन उसके आचरण पर भी प्रभाव डालता है। हमारा पारिवारिक और सामाजिक परिवेश नैतिक उत्थान या पतन के प्रति उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ - एक बच्चा यदि दस रूपए लेकर बाजार जाता है और उसे दस रूपए में से दो रूपए बचते हैं, तो चाहे घरवालों की लापरवाही या छोटी बात समझकर अनदेखा करके बच्चा उन दो रूपयों को छिपा लेता है। यह धीरे-धीरे उसकी आदत में शामिल हो जाता है। इसी स्तर पर भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी शुरू होती है, अर्थात् जब जीवन की पहली सीढ़ी पर ही उसे उचित मार्गदर्शन, नैतिकता का पाठ एवं सही गलत में भेद करने आदि का ज्ञान नहीं होता तो उसका यह

अपराध धीरे-धीरे आदत में बदल जाता है। दीर्घ काल में धीरे-धीरे यह ही भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है।

3.2. सुलभ मार्ग की खोज

मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी भी कार्य को कम से कम कष्ट उठाकर प्राप्त करना चाहता है। किसी भी कार्य को करने के दो मार्ग हो सकते हैं- एक मार्ग नैतिकता का हो सकता है जो लंबा एवं कष्टप्रद हो सकता है परंतु दूसरा मार्ग छोटा लेकिन अनैतिक होता है। अधिकांश व्यक्ति अपने लाभ के लिए छोटा मार्ग चुनते हैं, जिससे वे स्वयं तो भ्रष्ट होते ही हैं साथ ही दूसरों को भी भ्रष्ट बननें में सहयोग देते हैं।

3.3. आर्थिक परिवेश

विगत कुछ वर्षो से विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ रही है। धनी लगातार और ज्यादा धनी हो रहे हैं जबकि निर्धन को अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ सदाचार के रास्ते से पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो वह नैतिकता से अपना विश्वास खोने लगता है और कहीं न कहीं जीवित रहने के लिए अनैतिक होने के लिए बाध्य हो जाता है। इससे उसे चोरी एवं लूटपाट सबसे सरल माध्यम लगता है। अतः छोटे बच्चे चोरी ओर डकैती करने लगते हैं। कभी-कभी निर्धनता के कारण स्वयं माता-पिता भी अपने बच्चे को उपराध करने के लिए उकसाते हैं जो धीरे-धीरे भ्रष्टाचार का व्यापक रूप ले लेता है।

3.4. अत्यधिक प्रतिस्पर्धा

आज के युग में हर क्षेत्र में विशेषकर राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में एक-दूसरे को निगल लेने वाली प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जब लोग नियम एवं कानून के अनुसार सफल नहीं हो पाते तो भ्रष्ट उपायों को अपनाने लगते हैं।

3.5. प्रभावी कानून की कमी

भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या तो प्रभावी कानून नहीं होते या उनके क्रियान्वयन के लिए सरकारी मशीनरी का ठीक प्रबंधन नहीं होता है। व्यवस्था में अनेक कमियाँ होने के कारण भ्रष्टाचारी को दंड दिलाना बेहद मुश्किल होता है।

3.6. अदालत में जाने का डर

अदालती कार्रवाई एवं उससे उत्पन्न परेशानियों से लोग बचना चाहते हैं। इसलिए वे पुलिस अधिकारी, आबकारी अधिकारी, टैक्स अधिकारी, कस्टम अधिकारी को घूस देकर अदालतों के झंझटों से अपना पीछा छुडाना चाहते हैं। यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है।

4. भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय

भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण उठाए जा सकते हैं ।

- सभी प्राईवेट कर्मचारियों को वेतन आदि नकद न देकर पैसा उनके खाते में डाल दिया जाए।
- जनता के प्रमुख कार्यों को पूरा करने एवं शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा निधार्रित हो।

लोकसेवकों द्वारा पूरा न करने पर वे दंड के भागी बनें। यह देखने को मिल रहा है कि कतिपय कारणों से अगर सूचना के अधिकार नियम के तहत समय से अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई तो उस अधिकारी को आर्थिक दंड दिया गया है।

- भ्रष्टाचार का अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए।
- विशेषाधिकार या विवेकाधिकार कम किए जाएँ या हटा दिए जाएँ।
- चुनाव सुधार किए जाएँ तथा भ्रष्ट एवं अपराधी तत्वों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो।
- विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन भारत लाया जाए और उससे सार्वजनिक हित के कार्य किए जाएँ।

कुछ कदम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए भी गए हैं, जो निम्नवत हैं -

- स्वामी रामदेव द्वारा विदेशों में जमा कला धान लाने हेतु आंदोलन (जून 2011)
- अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल विधेयक पारित किए जाने हेतु आंदोलन (अगस्त 2011)
- 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी (नवंबर 2016)।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार का केवल दुष्प्रभाव ही होता है। इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती है। यदि हम सब मिलकर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित ही भारत विश्व के मानचित्र पर महाशक्ति बनकर उभरेगा अन्यथा रेत के घर की तरह बह जाएगा। भ्रष्टाचार

कभी किसी घर को बर्बाद करता है तो कभी किसी समाज को लेकिन जब यह बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल जाता है तो यह देश को भी बर्बाद कर देता है।

अतः न केवल सरकार अपितु सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ, समाज और राष्ट्र के प्रति ईमानदार बनें, कर्तव्यनिष्ठ सच्चे सेवकों व मानवता एवं नैतिकता के पुजारियों को प्रोत्साहन और पारितोषिक देकर भ्रष्टाचारियों के मनोबल को तोड़ना चाहिए। इससे सच्चाई कर्तव्यपरायणता और कर्मठता की वह दिव्य ज्योति जल सकेगी जो भ्रष्टाचार के अंधकार को समाप्त करके सुंदर प्रकाश करने में समर्थ सिद्ध होगी। यह खुशी की बात है कि आजकल सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से काफी हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ है, परंतु अभी इस ओर अधिक कार्य करने की व अधिक कड़े फैसलों की आवश्यकता है।

कुंभ मेला पर्यटनः भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का धार्मिक दर्शन

डॉ. शरद कुमार कुलश्रेष्ठ
सहायक आचार्य,
पर्यटन एवं होटल प्रबंध विभाग,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (नेहू),
शिलाँग - 793022 (मेघालय)

कुंभ भारतीय आध्यात्मिक एवं धार्मिक आस्था का प्रतिबिंब है, जिसका आयोजन कुंभ मेले के रूप में हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज तीसरे, छठवें एवं बारहवें वर्ष में इन चार स्थानों पर किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे विशाल जन समूह द्वारा सम्मिलित होने वाला पर्व है। यह जनमानस की सच्ची आस्था, श्रद्धा एवं धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। कुंभ हिंदुओं का एक धार्मिक तीर्थस्थान है, जहाँ वे अत्यधिक संख्या में एकत्रित होकर इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ तिथि एवं परिभ्रमण के अनुसार प्रयागराज में संगम नदी के तट पर (गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती) हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी एवं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुंभ के समय इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक सुख-शांति का अनुभव करता है। कुंभ की शुरूआत मकर संक्रांति से होती है। ज्योतिषीय एवं खगोलीय गणनाओं के अनुसार ग्रह नक्षत्र परिवर्तन इस घटना का मुख्य कारण है। इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा, वृश्चिक राशि में और

बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं जो एक मांगलिक दिवस का योग बनाता है। जो व्यक्ति कुंभ स्नान के लिए जाता है उस व्यक्ति को हिंदू मान्यता के अनुसार साक्षात स्वर्ग का दर्शन होता है, ऐसा माना गया है।

कुंभ का अर्थ एवं महत्व

'कुंभ' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'कलश', 'घड़ा' या अमृतकलश से है। पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं के अनुसार कुंभ का उद्‌गम सागर-मंथन से हुआ था। इस मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें हरिद्‌वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में गिरीं, तब से कुंभ का आयोजन इन उक्त चार स्थानों पर किया जाता रहा है। यह कुंभ प्रत्येक बारहवें वर्ष के समय अंतराल पर आयोजित होता है। वैसे साधारण कुंभ प्रत्येक 3 वर्ष बाद, अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष बाद, पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद एवं महा कुंभ प्रत्येक 144 वर्ष बाद होता है। कुंभ का आयोजन उक्त 4 स्थानों पर उक्त समयांतराल पर ग्रह नक्षत्र की तिथि के अनुसार होता है। उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है।

कुंभ की अवधि समयांतराल

साधारण कुंभ	प्रत्येक 3 वर्ष बाद
अर्ध कुंभ	प्रत्येक 6 वर्ष बाद
पूर्ण कुंभ	प्रत्येक 12 वर्ष बाद
महाकुंभ	प्रत्येक 144 वर्ष बाद

कुंभ का आयोजन सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एवं 13 राशियों की स्थिति के अनुसार उक्त 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है।

भारत में आयोजित होने वाले कुंभ मेले

क्रम संख्या	कुंभ मेला	स्थान	नदी	ग्रह स्थिति	हिंदू माह अवधि
1.	कुंभ प्रयागराज	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	संगम (गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती)	जब बृहस्पति मेष और वृषभ राशि में प्रवेश करें	माघ (जनवरी-फरवरी)
2	कुंभ हरिद्वार	हरिद्वार (उत्तराखंड)	गंगा	जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में हो	चैत (मार्च-अप्रैल)
3	कुंभ उज्जैन	उज्जैन (मध्यप्रदेश)	क्षिप्रा	जब बृहस्पति कुंभ सिंह राशि में और सूर्य में मेष राशि में या तीनों तुला राशि में हों।	वैशाख (अप्रैल-मई)
4	कुंभ नासिक	नासिक (महाराष्ट्र)	गोदावरी	जब सूर्य एवं बृहस्पति सिंह राशि में हो	भाद्रपद (अगस्त-सितंबर)

कुंभ का मुख्य आकर्षण हिंदू अखाड़ों का शाही स्नान, साधु-संतों का जमावड़ा, धार्मिक क्रिया कलाप, पूजा-अर्चना, घाटों पर भक्तों की उमड़ती भीड़, मंत्रोच्चार, शास्त्रार्थ, साधु-संतों की धार्मिक बैठकें, धार्मिक किताबे, धार्मिक संगीत एवं बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाएँ इत्यादि हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुंभ में स्नान करने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है एवं मोक्ष प्राप्ति होती है और मनुष्य मोह, माया, लोभ आदि का परित्याग करते हैं।

यूनेस्को द्वारा कुंभ की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता

कुंभ को वर्ष 2017 दिसंबर में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (इनटैन्जिबल कलचर हेरिटेज ऑफ हूमेनेटी) की लिस्ट में शामिल कर इस मेले को अंतराष्ट्रीय स्तर का आयोजन माना गया है जिसमें सर्वाधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। इस तरह कुंभ हिंदुओं की पवित्र आस्था की धरोहर तथा प्राचीन संस्कृति का अमृत कलश है जिसकी अमृत बूंदों का रस पान करने के लिए लोग प्रत्येक तीसरे, छठवें एवं बारहवें वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इन 4 स्थानों की यात्रा कर पवित्र एवं पाप मुक्त होते हैं।

कुंभ मेला – धार्मिक एवं तीर्थयात्रा पर्यटन

धार्मिक यात्राएँ ज्ञान, आस्था, परंपराओं, मान्यता एवं विश्वास का प्रतीक हैं। चार धाम यात्रा इसका एक अनूठा उदाहरण है। हिंदू धर्म में धार्मिक यात्राओं एवं पर्यटन का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। लोग इन धार्मिक यात्राओं के दौरान काफी दान-पुण्य भी करते हैं। भारत में आयोजित होने वाले कुंभ का महत्व धार्मिक यात्रा एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। पौराणिक हिंदू मान्यता के अनुसार सागर-मंथन से जब 'अमृत कलश' निकला तो भगवान इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने दैत्यों से बचाने के लिए 12 दिनों तक अमृत कलश को छिपाया और दैत्यों एवं देवताओं का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की बूंदें इन चार स्थानों पर गिरीं जो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुईं। तभी से इस कुंभ का आयोजन यहाँ इन चार स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान कर अपने मन, वचन एवं कर्म को शुद्ध

करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वे अपनी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। लोग इस पर्व के समय मूलतः उक्त 4 स्थानों के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करते हैं।

कुंभ मेला विश्व भर के हिंदू आस्थावान लोगों का एक अतुलनीय अनुभव है जो भारतीय संस्कृति एवं हिंदू धर्म का महासंगम है। इस अवसर पर भारत व अन्य देशों में बसे भारतीय लोग इन पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान कर धार्मिक क्रिया एवं अनुष्ठान भी करते हैं। यह यात्रा न केवल पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभूति करवाती है बल्कि एक पर्यटन व्यवस्था को भी संचालित करती है जिसका अर्थव्यवस्था में काफी योगदान होता है। इस प्रकार के धार्मिक पर्यटन के माध्यम से लोगों का रोजगार एवं आय सृजन, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पर्यटन स्थलों का विकास तथा पर्यटन सुविधाओं का विकास होता है। बदलते परिवेश के साथ सुख-सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है। इसके अधीन पर्यटकों के हर आर्थिक श्रेणी के आधार पर सुख-सुविधाओं का विकास किया जाता है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्रसाद योजना' की काफी अहम भूमिका है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक भी धार्मिक पर्यटन के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है। पर्यटक इस सुविधा से धार्मिक स्थलों की जानकारी का ब्यौरा लेते हैं एवं दर्शन, दान, प्रसाद, ठहरने की जगह के बारे में जानकारी लेते हैं और यात्रा ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से करते हैं।

कुंभ प्रयाग मेला 2013

प्रयाग महाकुंभ 2013 में लगभग बारह करोड़ लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी जिन्होंने इस अवसर पर कुंभ नगरी में पवित्र स्नान किया था। कुंभ जो विश्व का, सर्वाधिक लोगों का समागम पर्व है, इसके लिए 2 हेक्टेयर भूमि पर टेन्ट टाउनशिप (एक अस्थायी तंबू शिविर नगर) स्थापित किया गया था। इसकी विद्युत आपूर्ति के लिए 5 सब स्टेशन, पुलिस थाना, अस्पताल एवं पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले की इस अनोखी तैयारी, प्रबंध एवं संचालन के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इस विषय पर शोध किया गया तथा इसके प्रबंध एवं संचालन की व्यवस्था प्रणाली को एक केस स्टडी के रूप में विकसित किया गया। मेला प्रशासन की तरफ से यात्रियों के ठहरने, खान-पान व यातायात की सुविधाओं विशेषकर ट्रैफिक के कड़े नियमों के पालन पर ध्यान दिया गया जिससे उस शहर के आम नागरिकों और पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। नगर निगम एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा घाटों एवं शिविरों की साफ-सफाई कचरा एवं अपशिष्ट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा गया एवं प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के प्रयोग को भी प्रतिबंधित किया गया। यातायात की उचित व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश् परिवहन निगम ने विशेष कुंभ मेलों में बसों का प्रबंध किया। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन सेवा देश के विभिन्न राज्यों से शुरू की। पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, होम गार्ड के जवानों की तैनाती की गई। दूर संचार सुविधा के लिए टेलीफोन एवं इन्टरनेट बूथ की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ एक सुदृढ़ व्यवस्था भी तीर्थयात्रियों के लिए की गई। टूर ऑपरेटर एवं ट्रेवल एजेंटों ने कुंभ मेला दर्शन के लिए विशेष टूर पैकेज इन तीर्थयात्रियों के लिए विकसित किए। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग मंत्रालय ने भी

तीर्थ यात्रियों की सुख-सुविधाओं के लिए कई योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया। विशेष स्नान तिथियों पर भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन का सुनियोजित तरीके से ध्यान रखा गया। मीडिया कवरेज के लिए एक मीडिया एवं जनसंचार संपर्क केंद्र की स्थापना भी की गई जहाँ से प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया से संबंधित पत्रकार प्रतिनिधियों को कुंभ से संबंधित समाचारों की जानकारी जनमानस के प्रसार के लिए उपलब्ध कराई जाती थी । इस प्रकार पृथ्वी के इस 55 दिनों के विशाल धार्मिक मेले का समापन कुशलता एवं सफलता से संपन्न हुआ।

प्रयाग अर्धकुंभ मेला 2019

प्रयाग अर्धकुंभ जनवरी 2019 में आयोजित किया गया। यह अर्धकुंभ हर 6 वर्ष बाद प्रयाग एवं हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन ने इस धार्मिक पर्व को जोर-शोर से मनाया जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का भी सहयोग रहा है। इसमें खासकर पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह एवं विदेश मंत्रालय का समन्वय देखा गया है। हिंदू अखाड़ों का शाही स्नान इस कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण था जिसमें पहला शाही स्नान 15 जनवरी, दूसरा 4 फरवरी एवं तीसरा 10 फरवरी को आयोजित हुआ।

अर्धकुंभ प्रयाग 2019 की तैयारी

राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने कुंभ मेले की यूनेस्को की विश्वविरासत सूची में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलने के बाद इस मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का संकल्प लिया था जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता,

सामुदायिक सहभागिता, गैर सहकारी संगठनों की सहभागिता को भी शामिल किया गया था। कुंभ भारतीय आस्था, आध्यात्मिक मूल्यों की आधारशिला के रूप में भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत एवं विशाल जनमानस के समर्पण एवं विश्वास के दर्शन को व्यक्त करता है। यह विश्व पटल पर भारतीय धार्मिक विशाल आयोजन, आध्यात्मिक चिंतन परंपरा, संस्कृति एवं प्राचीन आस्था का प्रतीक है।

कुंभ 2019 की तैयारी के विवरण की रूपरेखा इस प्रकार है

1. कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए पहली बार लग्जरी (सुख-सुविधा युक्त) टैट की व्यवस्था की गई। यह लग्जरी टैंट 3 श्रेणियों के बजट के हिसाब से उपलब्ध थी जिसमें डीलक्स, सुपर डीलक्स एवं सुईट शामिल थे।

2. भव्य मेले के हवाई दर्शन के लिए हेलिकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध कराई गई।

3. भोजन के लिए लंगर की व्यवस्था की गई जहाँ श्रद्धालुओं और साधु-सन्यासियों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया गया।

4. कुंभ मेले में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए 'स्वस्थ कुंभ चैम्प अभियान' के तहत लोगों से स्वच्छता श्रमदान में प्रत्यक्ष भागीदारी निश्चित की गई थी। इस अभियान के तहत कचरा प्रबंधन, दीवारों पर आलेखन एवं चित्रकला, पौधा रोपण, सामुदायिक स्थल पर अपशिष्ट एवं कचरा प्रबंधन घाटों की साफ-सफाई, प्लास्टिक मुक्त कुंभ इत्यादि शामिल थे।

5. कुंभ मेले के सुचारू एवं शांतिपूर्वक संचालन में पुलिस सेवा कर्मियों का बहुत महत्वपूर्ण् योगदान होता है। इस दिशा में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा एवं आकस्मिक सेवाओं के लिए रणनीतिक उपाय किए गए थे।

6. कुंभ मेले में आपदा प्रबंधन हेतु अग्निशमन सेवा के लिए अग्निशमन केंद्र एवं अग्निशमन चौकियों की व्यवस्था भी की गई थी। आपदा प्रबंधन जैसे आग, बाढ़, भगदड़, खोया-पाया आदि के लिए विशेष आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना भी की गई थी।

7. श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण एवं मार्गदर्शन हेतु निगरानी टॉवर की भी उचित व्यवस्था थी जिससे श्रद्धालु कुंभ दर्शन का पूरा आनंद उठा सकें।

8. प्रयाग नगर के लिए एक उत्तम यातायात योजना की व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के माध्यम से की गई थी जिसमें प्रत्येक स्थान पर सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही थी।

9. भारतीय रेलवे के आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा बेहतर सेवाएँ तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गईं जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष कुंभ रेल सेवा, खान-पान सेवा, यात्रियों की ठहरने की सेवा एवं विशेष कुंभ टूर पैकेज आदि शामिल थे।

10. कुंभ मेले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु सुपर स्पेशियेल्टी विभाग, ट्रोमा केयर सेन्टर अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ स्थापित किए गए।

11. कुंभ की गतिविधियों के मीडिया कवरेज हेतु (पी.आई.पी.) पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मेले के कवरेज की व्यवस्था भी की गई। इस दिशा में उत्तर प्रदेश शासन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का केंद्र भी मीडिया कर्मियों के साथ समन्वय करने के लिए स्थापित किया। सोशल मीडिया के उपयोग हेतु कुंभ टॉक्स-ब्लॉक कॉन्टेस्ट की व्यवस्था कुंभ वेबसाईट पर उपलब्ध थी, जिसमें श्रद्धालु, पर्यटक अपने अनुभवो को साझा कर सकते थे।

12. कुंभ मेले में भारतीय सांस्कृतिक एवं कला के प्रदर्शन हेतु कलाग्राम की स्थापना की गई। इसमें हस्तशिल्प एवं हथकरधा की वस्तुओं का प्रदर्शन एवं बिक्री भी शामिल थी।

13. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश ने कुंभ मेले में तीर्थयात्रियो को आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए 4 प्रकार की टूरिस्ट वॉक की व्यवस्था थी जिसमें प्रयागराज हेरिटेज वॉक, प्रयागराज धार्मिक परिक्रमा, संगम वॉक, कुंभ वॉक इत्यादि शामिल थे। इसके लिए कुंभ टूरिस्ट एवं पर्यटक मित्रों की व्यवस्था ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से भी की गई थी।

14. कुंभ मेले में सामुदायिक सहभागिता हेतु कुंभ सेवा मित्रों का प्रावधान रखा गया है जिसमे स्वयं एवं स्वैच्छिक सेवकगणों द्वारा श्रद्धालुओं को 24 घंटे मदद उपलब्ध थी।

15. इसके अलावा बैंकिग सेवाएँ, ई-रिक्शा, बस शटल सेवा, श्रद्धालुओं के लिए समर्पित संचार चैनल, निःशुल्क वाई-फाय, दूध-पानी, वस्त्र बदलने हेतु कक्ष मनोरंजन हेतु अम्युजमेंट पार्क इत्यादि शामिल थे।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंभ एक अस्थायी शिविर नगर के रूप में विशाल जनमानस की धार्मिक आस्था का समागम स्थल है जिसका संचालन एवं क्रियान्वयन करना एक कुशल प्राचीन भारतीय सुनियोजन, प्रबंध कला का प्रतीक है। जो विश्व पटल में भारत के इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को एक हिंदू भारतीय संस्कृति एवं आस्था के रूप में व्यक्त करता है।

सन्दर्भ

Kumbha Mela Official Website : https://kumbh.gov.in/en Retrived on 16 January, 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Prayagraj_Kumbh_2019 Retrived on 17 January, 2019

http://www.uptourism.gov.in/pages/top/experience/top-experience-kumbh-mela-(-every-12-years) Retrived on 16 January, 2019

http://www.uptourism.gov.in/ebook/the_faith_low.pdf Retrived on 17 January, 2019

http://kumbhmelaallahabad.gov.in/english/kumbh_at_glance.html Retrived on 18 January, 2019

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/kumbh-2019-budget-estimate-over-rs-4200-crore/articleshow/65142214.cms Retrived on 19 January, 2019

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/a-kumbh-like-no-other-up-government-prepares-blueprint-will-pump-in-rs-2000-crore-for-the-event/articleshow/64129163.cms Retrived on 19 January, 2019

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/up-may-earn-rs-12k-cr-revenue-due-to-maha-kumbh-mela-assocham/articleshow /17986283.cms Retrived on 19 January, 2019

https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/wp-content/uploads/2013/05/Kumbh-GSD-Proposal.pdf Retrived on 19 January, 2019

प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के संवर्धन में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

डॉ. विनय कुमार सिंह
प्रोफेसर (समावेशी शिक्षा)
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016
मोबाइल न.I: +91-9654319691
ई-मेल : vinay.singh303@yahoo.com

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) के क्रियाकलापों एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समितियों को सभी प्रकार के विद्यालयों में सलाहकार समिति, विद्यालयों के प्रशासकीय, परिवेक्षण एवं वित्तीय प्रबंधन इत्यादि के कार्य अधिकृत रूप से सौंपे गए हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को सरकार द्वारा प्रदत्त उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों से अवगत कराया जाए। विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी निर्देश भी केंद्रीय आदर्श नियमावली में सुझाए गए हैं। राज्यों के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है, परंतु

विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के शिक्षा में समावेशन तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता हेतु वि.प्र.स. की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी नहीं हो पा रही है। विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रियाकलापों की समीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों के जनजातीय बहुल दो-दो जनपदों के लगभग 10-10 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण किया गया, जिसमें विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियों एवं उनमें वि.प्र.स. के सहयोग विशेषकर विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों को ध्यान में रखकर सूचनाएँ एकत्रित की गईं। भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों राज्यों के सभी विद्यालयों की प्रबंधन समिति का गठन नियमानुसार किया गया था। विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों, बच्चों एवं उनके अभिभावकों के साथ उनके क्रियाकलापों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस विद्यालय भ्रमण के दौरान किए गए अनुभव एवं जानकारी के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और समावेशी विद्यालय में सक्रिय सहभागिता के लिए वि.प्र.स. को प्रशिक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन तथा संविधान की धारा 21(ए) के अनुसार शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनी और साथ ही नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सभी बच्चों के लिए शिक्षा के इस मौलिक अधिकार को कानूनी दर्जा भी मिल गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य सभी बच्चों के साथ-साथ एक तरफ तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्त बच्चों, शैक्षिक एवं सामाजिक

दृष्टि से पिछड़े समूहों के सभी बच्चों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग और अन्य प्रकार से सुविधावंचित समूहों के बच्चों को प्राथमिक रूप से शिक्षा व्यवस्था से लाभ मिले, दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था की किसी भी प्रकार की कमी के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने में कोई रुकावट नही आए इसे भी सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही सरकार द्वारा संचालित एक संस्था नहीं, वरन् सभी सामाजिक सदस्यों, सामान्य नागरिकों एवं अभिभावकों की भी संस्था है। समाज और विद्यालय दोनों ही सामाजिक एवं संरचनात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चों को शिक्षित करने के लिए एवं उनके सर्वांगीण विकास में अभिभावक एवं विद्यालय दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी विद्यालयो में उनकी प्रभावी सहभागिता एवं सहयोग नितांत जरूरी होता है। माता-पिता/अभिभावकों को इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि विद्यालय में कैसी शिक्षा-दीक्षा दी जा रही है, विद्यालयी कार्य का संचालन कैसे हो रहा है, खर्च के लिए पैसा कहाँ से और कितना आ रहा है, विद्यालय की क्या-क्या समस्याएँ हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए किस-किस से मिलना-जुलना चाहिए। उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि उनके बच्चों को कक्षा में क्या सिखाया जा रहा है तथा समाज और विद्यालय के मध्य कैसा संबंध है, शिक्षक की सीखने की प्रक्रिया में भूमिका कैसी है, बच्चों के सीखने एवं संपूर्ण विकास पर शिक्षक का व्यवहार एवं अभिवृत्ति का प्रभाव कैसा है, बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त अवसर एवं सहयोग कैसे प्रदान किया जाए? इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के

अध्याय 4 के अनुभाग 21(1), (2) और 22(1), (2) में स्पष्ट रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रियाकलापों एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है । जहाँ बच्चों के अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति को अधिकृत (कानूनी) रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तदनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन होगा जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तरदायी होगी । जिससे उनके बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समग्र समझ के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को सरकार द्वारा प्रदत्त उनके कर्त्तव्यों एवं अधिकारों से अवगत कराया जाए। जिससे वे विद्यालय के संचालन, जनता के धन का सही उपयोग एवं बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में सहयोग कर सकें । इस संदर्भ में पहले भी कई प्रयास हुए हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं विद्यालय विकास समितियों का गठन किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पहले इस प्रकार की समितियों का गठन तो किया गया था लेकिन उनकी भूमिका का अधिकृत रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार की समितियों का कार्य राज्यों में केवल प्रशासकीय आदेशों को लागू करना मात्र था, जिसमें उनकी स्वयं की भूमिका न के बराबर थी। इसके सदस्य विद्यालय में बच्चों के दाखिले और किसी प्रकार की शैक्षिक गतिविधि में भाग नहीं लेते थे। यहाँ तक कि बहुत से सदस्यों को यह भी नहीं ज्ञात होता था कि वह इस प्रकार की किसी समिति के सदस्य भी हैं। उन्हें उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों का भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता था कि

वह अपने अधिकारों का कैसे और कहाँ उपयोग करें, जिसका प्रमुख कारण यह होता था कि उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता था।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं विद्यालय प्रबंधन समिति

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को सभी राज्यों में वर्ष 2010 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन किया गया और गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को 6 महीने के अंतर्गत प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए कहा गया, जिसमें सभी प्रकार के विद्यालयों में प्रत्येक 2 वर्ष बाद विद्यालय प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन करने का भी निर्देश दिया गया था। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन समितियों को सभी प्रकार के विद्यालयों में सलाहकार समिति, विद्यालयों के प्रशासकीय, परिवेक्षण एवं वित्तीय प्रबंधन इत्यादि के कार्य अधिकृत रूप से सौंपे गए। इस अधिनियम के द्वारा यह कोशिश की गई है कि समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व विद्यालय प्रबंधन समिति में हो। इसके लिए यह निश्चित किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के संगठन में तीन-चौथाई (75%) सदस्य विद्यालय में दाखिला प्राप्त बच्चों के माता-पिता/अभिभावक होंगे, 50% महिला सदस्य, सुविधाविहीन समूह के एवं कमजोर वर्ग वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावक का अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा शेष एक चौथाई (25%) में से एक तिहाई स्थानीय अधिकारी, एक तिहाई स्कूल शिक्षक, एक तिहाई स्थानीय शिक्षाविद्/विद्यार्थी होंगे। दिल्ली के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की नियमावली, 2011 के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता जो शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न हैं

उनको भी विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया जा सकता है जबकि विद्यार्थियों की भागीदारी इस प्रबंधन समिति में नहीं है। इस नियमावली के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक, गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक के साथ मुख्याध्यापक का चयन किसी शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा न कि अभिभावकों द्वारा। केंद्रीय आदर्श नियमावली के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के आकार के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ राज्य एवं दिल्ली राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति के 16 सदस्य हैं जबकि असम में उनकी संख्या 13 निर्धारित हैं, जिसमें तीन चौथाई सदस्यों का चयन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों, ग्रामवासियों में से किया जाएगा। यदि किसी सदस्य के नाम पर विवाद हो तो मतदान के द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

विद्यालय प्रबंधन समिति की चयन प्रक्रिया

विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए निम्नलिखित चयन प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य होगा :-

1. विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य व विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता-पिता या अभिभावक साधारण निकाय के सदस्य होंगे।

2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार स्थापना समिति का चयन साधारण निकाय की बैठक में बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावक, जो साधारण निकाय के सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाएगा।

3. विद्यालय प्रबंधन समिति में तीन चौथाई सदस्य, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के द्वारा चयनित सदस्य

होंगे तथा शेष एक तिहाई सदस्यों में स्थानीय अधिकारी, अध्यापक, स्थानीय शिक्षाविद्/छात्र सम्मिलित होंगे जो विद्यालय प्रबंधन की स्थायी समिति का चयन करेंगे।

4. अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के चयनित सदस्यों के कार्यालयी कार्य हेतु स्थायी सदस्यों के प्रमुख कार्यपद निम्नानुसार होंगे :-

क. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बच्चों के अभिभावक सदस्यों से ही भरे जाएँगे।

ख. प्रबंधन समिति के सचिव एवं कार्य सचिव के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक होंगे जिनका मुख्य उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को सभी प्रकार के कार्य करने के लिए प्रशासकीय सहायता प्रदान करना होगा, जो अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की सूचना सभी सदस्यों एवं सरकारी विभागों तक पहुँचाते हैं।

5. विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण निकाय (जनरल बॉडी) यदि चाहे तो उप समितियों का गठन, कार्य की अधिकता या विशिष्टता के आधार पर कर सकती है, जिससे विद्यालय विकास योजना का उत्तरदायित्व पूर्णतः विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण निकाय का होता है।

उप समितियों के गठन के लिए सुझाव

क. कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु बहुत अधिक उप-समितियों का गठन न किया जाए।

ख. विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं अन्य उप-समितियों के सदस्यों को अलग-अलग रखा जाए।

ग. उप-समितियों के सदस्यों की संख्या को 3-5 से अधिक न रखा जाए, साथ ही कार्य की प्रकृति और अधिकता के आधार पर ही निश्चित की जाए।

घ. प्रत्येक उप-समिति में कम से कम एक महिला सदस्य का चयन अनिवार्य रूप से किया जाए जिससे उनकी सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जा सके।

ङ. सदस्यों के चयन में कार्य के तकनीकी ज्ञान को भी ध्यान में रखा जाए तथा सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया अपनाई जाए।

च. विभिन्न उप-समितियों में चयनित सदस्यों की कार्य दक्षता को भी ध्यान में रखा जाए।

छ. सभी उप-समितियों के कार्य क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर विद्यालय विकास योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाए।

विद्यालय प्रबंधन समिति की माह में कम से कम एक बार बैठक जरूर बुलाई जाए (जैसे दिल्ली राज्य में 2 माह में एक बैठक आयोजित की जाती है) तथा उस बैठक में लिए गए निर्णयों एवं टिप्पणियों का समुचित अभिलेख (लेखा-जोखा) तैयार किया जाए जो सभी सदस्यों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रियाकलाप

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से निम्नानुसार किया गया है :-

क. स्कूल के सभी कायों का निरीक्षण एवं परिवेक्षण करना।

ख. विद्यालय विकास योजना का निर्माण और सुझावों की अनुशंसा करना।

ग. सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का सही उपयोग हो - उसकी निगरानी रखना।

घ. विद्यालय में दूसरे अन्य आयोजित क्रियाकलापों में सहभागिता करना।

उपर्युक्त सभी कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन समिति को कुछ और कार्य भी करने होंगे।

1. विद्यालय के पड़ोस में रहने वाले लोगों को साधारण एवं रचनात्मक तरीके से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के विषय में जानकारी देना ।

2. शिक्षकों के कर्त्तव्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

   क. स्कूल में अध्यापकों की उपस्थिति और समय नियमित हो, इसकी व्यवस्था करना ।

   ख. बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सुचारू रूप से स्कूल में हो, उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो इसके लिए शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति और अन्य संबंधित

जानकारी एकत्रित करने के लिए बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ नियमित और निरंतर बैठकें करना।

ग. कोई भी शिक्षक किसी बच्चे का निजी ट्यूशन न करें और पढ़ाई-लिखाई के बदले में कोई पैसा कमाने की प्रक्रिया में संलग्न न हो। इसको सुनिश्चित करना।

3. जनगणना, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया के अलावा और किसी कार्य में कोई भी शिक्षक किसी अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधि में संलग्न न हो इसको सुनिश्चित करना।

4. स्कूल के पड़ोस में रहने वाले प्रत्यके बच्चे का नामांकन (दाखिला) और नियमित उपस्थिति को भी सुनिश्चित करना।

5. अनुसूची में दर्ज सभी विशिष्ट मानकों एवं मानदंडों के रखरखाव की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ।

6. बच्चों को निःशुल्क पात्रता के प्रावधान समय पर मिलें, उनके किसी भी प्रकार के प्रवेश को नकारा ना जाए, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना ना दी जाए तथा बच्चे के अधिकारों का हनन न हो - इन सारे मुद्दों को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा स्थानीय निकायों के समक्ष लाना।

7. इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के अंदर स्थानीय निकायों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना के प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं की पहचान, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना।

8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, दाखिला, उनकी शिक्षा के लिए सुविधाओं का परिवेक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

9. विद्यालय में मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना।

10. विद्यालय में धन-प्राप्ति तथा व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा बनाना, जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव ने हस्ताक्षरित किया हो तथा इसके निर्माण के एक महीने के अंदर स्थानीय निकायों को सौंपना।

11. इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की राशि की प्राप्ति का अलग लेखा-जोखा बनाना जिसका वार्षिक ऑडिट होना अपेक्षित होगा।

विद्यालय विकास योजना का निर्माण

इस अधिनिमय के तहत पहली बार जब विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा तो उस वित्त वर्ष के अंत होने से कम से कम 3 माह पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना होगा । विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक हैं तथा जिस वित्त वर्ष में उसे बनाया गया है उसके अंत में स्थानीय निकाय को सौंपना होगा। विद्यालय विकास योजना को 3 वर्षीय बजट में भी सम्मिलित करना होगा जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत विस्तार से उल्लेख करना होगा।

क. प्रत्येक वर्ष में कक्षा अनुसार बच्चों के नामांकन (दाखिला) की अनुमानित संख्या ।

ख. कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक स्कूलों के संदर्भ में बच्चों के अनुपात में विषय शिक्षक, अतिरिक्त शिक्षक, मुख्याध्यापक, अंशकालिक अध्यापक इत्यादि की आवश्यकता अनुसार संख्या।

ग. अनुसूची में मानक और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर भौतिक संरचनागत एवं संसाधन (उपकरण) की संख्या।

घ. अधिनियम के अनुसार विद्यालय में सभी आवश्यक वस्तुएँ जिसमें बच्चों की पाठ्यपुस्तकें एवं गणवेश (वर्दी) जो बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जानी है उनकी पूर्ति करने की व्यवस्था करने तथा (ख) और (ग) पर होने वाली व्यय की राशि का उल्लेख, तथा आय के अनुसार प्रवेश कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण इत्यादि पर किये जाने वाले खर्चे का भी अनुमान (अलग-अलग)।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के दिशा-निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समितियों को विद्यालय विकास योजना का काम भी करना होगा तथा उसके क्रियान्वयन में सहयोग एवं परिवेक्षण का भी कार्य करना होगा जिसके अंतर्गत आर्थिक, विद्यालय प्रबंधन, शैक्षिक प्रगति, पात्रता अनुसार वितरण व अन्य कार्यों में पारदर्शिता एवं पूरी जवाबदेही को सुनिश्चित करना तथा पूरी शिक्षा व्यवस्था का समाज द्वारा खुलेपन से ऑडिट करने के लिए एक व्यवस्था तंत्र का निर्माण करना इत्यादि आते हैं। सभी प्रकार के किए गए खर्चे का लेखा-जोखा तैयार कर स्थानीय लोगों की जानकारी में लाना, स्थानीय निकाय के साथ

सहसंबंध तथा शिक्षा संबंधी आकड़े तैयार करना एवं उनका रखरखाव करना तथा विद्यालय विकास के लिए आवश्यक खर्चे के संसाधनों को जुटाने का काम भी विद्यालय प्रबंधन समिति का ही होगा ।

विद्यालय भ्रमण के अनुभव

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की विद्यालय में सक्रिय सहभागिता की समीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों के जनजातीय बहुल दो-दो जनपदों के लगभग 10-10 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के क्रियाकलाप और उनकी जवाबदेही से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई, जिसमें उनके विद्यालय में उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियों एवं उसमें उनका सहयोग विशेषकर विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों को ध्यान में रखकर सूचनाएँ एकत्रित की गईं। भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि दोनों राज्यों के सभी विद्यालयों की प्रबंधन समिति का गठन नियमानुसार किया गया । जहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रबंधन समिति के सचिव के साथ बच्चों के अभिभावकों और प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ उनके क्रियाकलापों पर विस्तृत चर्चा की गई । चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि –

1. दोनों ही राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी।
2. दोनों ही राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों की संख्या 16 है।

3. प्रत्येक विद्यालय अपने-अपने तरीके से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करता है, जिसमें 12 सदस्यों का चयन आम सभा के लिए ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है।

4. चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश तो दिया गया है लेकिन उनके अभिभावकों को आम सभा के लिए चयन का निर्देश राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों में प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसे अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन समिति में रखा गया है ।

5. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की प्रबंधन समिति का सहयोग विद्यालय के संचालन में कम ही लिया जाता है ।

6. भ्रमण के दौरान विद्यालयों में 50% से कम ही विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे। अधिकांश सदस्यों की विद्यालय के क्रियाकलापों में प्रभावी भूमिका की कमी पाई गई। अधिकांशतः समिति के सदस्य, मध्याह्न भोजन और उसके लिए उपलब्ध सामग्री की जानकारी तो रखते थे, लेकिन कक्षा शिक्षण, छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई गई विषय वस्तु एवं शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे।

7. लगभग सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक माह में एक बार निर्धारित तिथि पर की जाती है ।

8. बैठक में मुख्य चर्चा के बिंदु बच्चों की छात्रवृत्ति, गणवेश या अन्य सामग्री के वितरण के मुद्दे ही रहते हैं। कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नवाचार शिक्षण पद्धति, शिक्षकों की कमी की पूर्ति इत्यादि पर चर्चा न के बराबर होती है।

9. दोनों ही राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण न के बराबर हुआ है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अनुसार कुछ हस्तपुस्तिका निर्मित कर प्रबंधन समिति की बैठक में जरूर वितरित की गई हैं।

10. दोनों ही राज्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों क द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर विद्यालय में प्रवेश जरूर दिलाया गया है, लेकिन उन्हें कैसे पढ़ाया जाए इस बात की जानकारी वह नहीं रखते हैं और न ही वह उनके शिक्षण-अधिगम के लिए पर्याप्त आवश्यक उपकरणों के बारे में जानकारी रखते हैं।

11. विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूलों में विशिष्ट मापदंड वाली ढलान (रैम्प), शौचालय, खेल का सामान इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। वे केवल दी जाने वाली गृह आधारित शिक्षा व छात्रवृत्ति की राशि या यातायात सुविधा के बारे में जानकारी रखते हैं।

12. सामान्यतः समिति के सदस्य सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूहों के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रधानाध्यापक, अध्यापक भी सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/योजनाओं की भी जानकारी नहीं रखते हैं।

निष्कर्ष

विद्यालय भ्रमण के दौरान किए गए अनुभव एवं जानकारी के आधार पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है, जिसमें चयनित

विषयवस्तु/मुख्य मुद्दों की जानकारी के साथ दक्षता एवं कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा में समावेशन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके कार्य एवं अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए। सुविधावंचित समूहों के बच्चों का शिक्षा में समावेशन एवं उनके लिए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल देने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा प्रशिक्षणोपरांत विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की विद्यालय के क्रियाकलापों एवं विद्यालय विकास योजना के निर्माण में दक्षता संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

संदर्भ

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भारत : नयी दिल्ली।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2012 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, भारत, नई दिल्ली।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, भारत : नई दिल्ली। एन.सी.ई.आर.टी. (2006). विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर राष्ट्रीय केंद्रीयकृत समूह का आधार प्रपत्र, नई दिल्ली

वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्य

डॉ. बबिता पराशर
(डीन, फैकल्टी ऑफ़ एजुकेशन)
तथा
डॉ. शिखा सिंदवानी (सहायक प्रवक्ता)
मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)

"शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है।"

- ए.पी.जे. अब्दुलकलाम

शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। आज प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति मानवीय मूल्यों के हनन से चिंतित है क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली ने हमेशा से मूल्यपरक शिक्षा को महत्व दिया है। मनीषियों, चिंतकों एवं शिक्षाविदों ने मूल्यों पर आधारित शिक्षा को ही ज्ञान माना है।

"जो ज्ञान मन और हृदय को पवित्र करे, वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है।"

- स्वामी रामकृष्ण परमहंस

नैतिकता जीवन को गरिमामय बनाती है। शिक्षा का महान उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को निखारना है। व्यक्तित्व में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष शामिल है। व्यक्तित्व ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है या यूं कह सकते है कि व्यक्तित्व व्यवहार का

दर्पण है । यह व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक व चारित्रिक विशेषताओं का समूह है जो उसके व्यवहार, अनुभवों, आदतों, दृष्टिकोणों, विश्वासों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचियों, भावनाओं तथा स्वभावगत विशेषताओं द्वारा प्रकट होता है। व्यक्तित्व के विकास में केवल शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्षमताओं और योग्यताओं का उचित प्रकार से प्रयोग करके स्वयं का तथा समाज का कल्याण करने में सक्षम होता है किन्तु शर्त यह है कि शिक्षा में मानवीय मूल्य निहित हों।

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार- "नैतिकता व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं अध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है । नैतिकता सद्गुणों का समन्वय मात्र ही नही वरन एक व्यापक गुण है तथा इसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों पर होता है और साथ ही व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है।"

मूल्य संविधान द्वारा विकसित नहीं किए जा सकते। मूल्यों का उद्गम स्थल तो मन एवं हृदय द्वारा स्वीकृत आदर्श भाव है। मूल्य निर्माण में शैक्षिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा एक अशिक्षित, असहाय शिशु को एक ऐसे सामाजिक नागरिक में परिवर्तित करती है जो अपने विवेक द्वारा विभिन्न कार्य करने में सक्षम होता है।

नैतिक मूल्य पुरखों से मिली अनमोल धरोहर है। यह हमारे अस्तित्व एवं विकास का प्रतीक है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि नई पीढ़ी इस अनुपम व अनमोल धरोहर को खोकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है। भारत को विश्व गुरु की संज्ञा केवल इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ की संस्कृति और प्राचीन शिक्षा पद्धति नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत है।

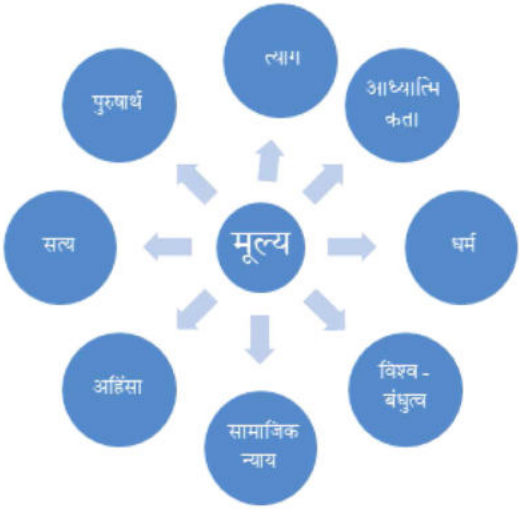

जब देश स्वतंत्र हुआ तब कई समितियों और शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के विविध पहलुओं पर विचार मंथन किया और मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा में दिन-प्रतिदिन होने वाले शोध इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा को बाल केंद्रित व मूल्यपरक बनाने के प्रयास निरंतर चलते रहे है। उदाहरणार्थः

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के तहत नैतिक शिक्षा हेतु शैक्षिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक व एन.सी.सी एवं एन.एस.एस जैसी खेल कूद की गतिविधियों पर भी बल दिया गया है। शिक्षा का अधिकार भी भारत को विकासोन्मुख बनाने हेतु देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की मांग करता है।

सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन के तहत भी छात्र की वृद्धि एवं विकास के लिए शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण माना गया है। छात्र का सर्वांगीण विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जिसके द्वारा वह जीवन की चुनौतियों का सामना

कर सके। इसी दिशा में विद्यालयी स्तर पर अनेक योजनाएं चलाई गईं जैसे – केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), सर्वशिक्षा अभियान (SSA), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV), ज्वायफुल एक्टिविटी डे (हरियाणा), हैप्पीनेस पाठ्यक्रम (दिल्ली) इत्यादि।

नैतिक विकास की दिशा में व्यावसायिक कोर्स जैसे शिक्षा स्नातक (B.Ed) में भी विद्यालयी छात्रों के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इस EPC कोर्स (Enhancing Professional Capacities) के अंतर्गत कला शिक्षण, स्व-अवबोध, संचार प्रौद्योगिकी एवं पठन विकास व उसका अनुश्रवण जैसे कार्यक्रम सृजनात्मकता का विकास करते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। वर्तमान में जैसे-जैसे देश में भौतिकवाद ने पाँव पसारे हैं वैसे - वैसे श्रेष्ठ मानवीय मूल्य छिन्न-भिन्न हो गए, और जैसे-जैसे शिक्षा पद्धति मूल्यों एवं नैतिकता के व्यावहारिक पाठ्यक्रम से विलग होती गई वैसे-वैसे हमारा भी पतन होने लगा। दिन प्रतिदिन एक तरफ तो हम गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का विकराल रूप देखते हैं तथा दूसरी ओर बाल यौन शोषण, भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसे घृणित अपराध नैतिक मूल्यों का हनन करते नजर आते हैं। घोर व्यक्तिवादी एवं स्वार्थपरकता के दौर में आंतरिक रूप से अशांत व्यक्तियों को जिस आध्यात्मिक सुख की खोज रहती है वह नैतिक मूल्यों पर आकर रुक जाती है क्योंकि इंटरनेट व तकनीकी युग में मानव दिशाहीन हो गया है उसे सच्ची शांति, सुख संयम तथा बाहरी व आंतरिक स्थिरता की आवश्यकता अनुभव होती है। अतः नैतिक मूल्य जिसमें जीवन जीने की कला निहित है उनका न केवल पाठ्यक्रम में अध्ययन करना होगा बल्कि उन्हें आत्मसात भी करना होगा।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अंकीय मूल्यांकन पर आधारित है। एक सुंदर, स्वस्थ व विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जो कल का भावी नागरिक होगा वह शिक्षित हो, न कि केवल साक्षर तभी वह एक स्वर्णिम समाज की स्थापना कर पाएगा।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार "वर्तमान शिक्षा यदि हमें चरित्र, बल, आत्मविश्वास, संघर्ष शक्ति और सिंह के समान साहस प्रदान करने में असमर्थ है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा वह है, जिसके बल से लोगों को जीवन संग्राम के लिए समर्थ किया जा सके" नैतिक व जीवन मूल्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने मात्र से हम मूल्यों को प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते बल्कि व्यावहारिक रूप में बच्चों को नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत, अनुशासन आदि का जीवन में महत्व समझाना होगा। इसका एक मात्र रास्ता यह है कि नैतिक मूल्यों की स्थापना की शुरुआत घर से माता-पिता के आचरण द्वारा की जाए तथा स्कूलों व महाविद्यालयों में इनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मूल्यों के आलोक में मनुष्य विशिष्ट एवं उदात्त जीवन व्यतीत करता है। समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए नैतिक मूल्य नितांत आवश्यक हैं। मूल्य मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करके उनका मानसिक व आत्मिक विकास करते हैं और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नैतिक मूल्यों को ग्रहण व आत्मसात किया जाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही बालक को समाज में रहने और जीवन यापन की कला में दीक्षित करना है। अतः वर्तमान शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीकी विषयों के साथ-साथ मानवीय विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए तभी हम एक

सुंदर, स्वस्थ सुसंस्कृत, सभ्य एवं विकासशील राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

संदर्भ

1. गाँधी, एम. के. (1993) - मोरल एजुकेशन, ए.पी.एच. पब्लिकेशन कारपोरेशन, नई दिल्ली
2. मोदी, विकास (2001) - नैतिक मूल्य और शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
3. राव, उषा (1991) - वैल्यूज इन एजुकेशन, राव प्रकाशन, मुंबई
4. चक्रवर्ती, मोहित (1997) - वैल्यू एजुकेशन, कनिष्क पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. अग्रवाल, जे.सी. (1995) - शैक्षिक शोध का परिचय, आर्य पब्लिकेशन, नई दिल्ली

निर्गुण संत काव्य में योग तत्वानुभूति

डॉ. भगवती प्रसाद निदारिया
109, ग्रीन हिल अपार्टमेंट, पॉकेट-1
सेक्टर-23, रोहिणी, दिल्ली – 85

हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्णयुग माना जाता है। इस काल में रचा गया साहित्य, चाहे वह निर्गुण संतों और सूफियों द्वारा रचा गया हो अथवा सगुण भक्तों द्वारा, अप्रतिम है। निर्गुण संतों ने जहाँ एक ओर जड़-चेतन के गूढ़ रहस्यों को आम जन के समक्ष रखा वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार को लेकर भी अपने सुधारवादी मंतव्य को पद्यबद्ध किया है। निर्गुण संतों ने मानवतावादी दृष्टिकोण पर बल दिया। इनके साहित्य में 'योग' को किस रूप में अंगीकार किया गया है, यह जानने से पूर्व योग के बारे में जान लेना युक्ति संगत होगा।

'योग' शब्द संस्कृत की 'युज' धातु से व्युत्पन्न है। इसमें 'घञ' प्रत्यय है। हेमचंद्र धातुपाठ के अनुसार योग के दो अर्थ हैं:-

(1) किन्हीं दो वस्तुओं का जुड़ जाना।

(2) समाधि अथवा मन की स्थिरता, एकाग्रता ।

इनमें से प्रथम अर्थ व्यावहारिक है क्योंकि इससे किन्हीं दो वस्तुओं के पारस्परिक संयोग की स्थिति का बोध होता है। द्वितीय अर्थ साधनात्मक है जिसमें 'समाधि' अथवा 'मन की एकाग्रता' को लक्ष्य किया गया है। विभिन्न कोशों में योग के अनेक अर्थ दिए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि योग –साधना में दो पक्ष निहित हैं।

(क) चिंतनपरक

(ख) प्रक्रियापरक

चिंतनपरक पक्ष ईश्वर, इंद्रियाँ, जीवात्मा, परमात्मा, निराकार, चित्त आदि के दर्शन पक्ष से संबंधित है। इसमें पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। एतद्र्थ माया, जगत, मुक्ति और गुरू तत्व भी इस चिंतन में समाहित हो जाते हैं।

प्रक्रियापरक पक्ष में चित्त-वृत्ति-निरोध, आसन, ध्यान, समाधि, वीर्य-सुरक्षा, तपस्या और अभ्यास आते हैं। इन समस्त प्रक्रियाओं को अपनाने से 'योग' की प्राप्ति कही गई है।

उपनिषदों में विविध योग तथा योग-महिमा का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में योग को ज्ञान और मन-स्थैर्य का समकक्ष माना गया है। पुराणों में योग के एकाध पक्ष पर बल दिया गया है। वहाँ तो योग को मात्र आत्मा-परमात्मा अथवा मन और आत्मा का संयोग कहकर किनारा कर लिया गया है। योग के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए महर्षि पतंजलि के योग संबंधी आदि ग्रंथ 'योग-दर्शन' को देखना संगत है।

भारतीय वैदिक दर्शन में योग-दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। योग-दर्शन सांख्य-दर्शन की तत्व–प्रकिया को स्वीकार करता है, उसे अधिक व्यवहारोपयोगी और व्यापक बनाता है। योग-दर्शन को ईश्वर तत्व तथा उसकी साधना उपासना के महत्व को ध्यान में रखते हुए 'सेश्वर सांख्य' की संज्ञा दी गई है। साधन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वेदांत के आचार्यों ने योग को ज्ञान, भक्ति, उपासना और कर्म के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार योग विभिन्न साधना-पद्धतियों का एक अपरिहार्य अंग है।

पातंजल योग सूत्र में योग को अनुशासन माना गया है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध 'योग' कहा गया है-

"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"

वस्तुतः चित्त शब्द अंतःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त और अंहकार) का एक अंग है। यह सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का परिणाम है। सत्वादि गुण प्रकृतिजनित हैं। गुणों के रूप में प्रकृति का निरोध होने से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त ही योग के लिए उपयुक्त क्षेत्र है।

'वृत्तियां' चित्त की धर्म हैं। ये चित्त की शुद्धता को आच्छादित करती हैं। इसीलिए चित्त द्वारा गृहित संस्कारों को 'वृत्तियां' कहा जाता है। संस्कारों और वृत्तियों का संबंध इंद्रियों से होता है। ये इंद्रियाँ अविद्याजनित विषयों में संचरण करती हैं, तद्जनित परिणामों से प्रभावित होती हैं। जिस प्रकार जल की तरंगों में चंद्रमा चलायमान प्रतीत होता है वैसे ही वृत्ति-साहचर्य से चित्त भी वृत्याकार हो जाता है। इसीलिए इन वृत्तियों का निरोध पातंजल योग दर्शन में बारंबार कहा गया है। पातंजल योग दर्शन के व्यास भाष्य-भोजवृत्ति में 'निरोध' का अर्थ 'चित्त का अपने कारण में लय हो जाना' कहकर स्पष्ट किया गया है। इस आधार पर चित्त का अपने कारण में लय हो जाना 'योग' है। चित्त-वृत्ति का यह निरोध अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास में चित्त का स्थैर्य अपेक्षित है। यमनियमादि योगांगों का पालन जब चित्त की स्थिरता के लिए किया जाए तब उसे 'अभ्यास' कहते हैं। जब चंचल चित्त वश में आता है तब योग-स्थिति होती है। इस स्थिति के लिए उत्साह पूर्वक यत्न करना अथवा इस स्थिति के साधनों का यत्न

करना व्यास भाष्य में 'अभ्यास' माना गया है। अभ्यास के लिए पातंजल योग दर्शन में 'अष्टांग योग' की चर्चा है।

अभ्यास हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ अंगों का अभ्यास करने से चित्त-वृत्तियों का निरोध संभव है। इनमें से आरंभिक पाँच अंग योग के बहिरंग और अंतिम तीन अंतरंग हैं। धारणा, ध्यान और समाधि योगांगों के सम्मिलन को महर्षि पतंजलि ने 'संयम' कहा है।

चित्त-वृत्ति-निरोध के लिए 'वैराग्य' भी अपेक्षित है। द्विविध विषयों की तृष्णा, जिनमें सांसारिक एवं दैविक अर्थात, दृष्ट और आनुश्रविक शामिल हैं, से विमुख होना 'वैराग्य' कहलाता है। वैराग्य में यह विचार होता है कि विषयों के प्रति रहने वाली आसक्ति अब समाप्त हो गई है और विषयों के प्रति अधीन न होकर विषयों को ही अपने अधीन कर लिया गया है।

पतंजलोक्त योग की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि 'योग' का संबंध चिंतन और प्रक्रिया दोनों पक्षों से है। योग के चिंतन पक्ष में चित्त, ईश्वर, नित्यानित्य विवेक, वैराग्य, अविद्यादि क्लेश, कैवल्य आते हैं और योग के प्रक्रिया पक्ष में यमनियमादि आठ योगांग आते हैं। योग के इन दोनों पक्षों को निर्गुण संत कवियों ने किस रूप में अपनी रचनाओं में लिया है, अब इस पर विचार करना होगा।

निर्गुण संत कवियों ने 'योग' की व्यापक परिभाषा तो नहीं दी है तथापि 'योग' शब्द का प्रयोग उन्होंने जिन संदर्भों में किया है, उससे योग का स्वरूप स्पष्ट होता है। जोग, जोगी, वियोग और जोग-जुगति शब्दों का प्रयोग निर्गुण संत साहित्य में मिलता

है। सामान्यतः इन शब्दों के योग्य, समय, संयोग और युक्ति अर्थ ध्वनित होते हैं जो 'योग' की परिभाषा में निहित मूल लक्षणों से भिन्न हैं। किंतु 'योग' के चिंतनपरक और प्रक्रियापरक रूपों की अनुभूति उनके साहित्य में विद्यमान है।

संत चरणदास, सुंदरदास, दरिया साहब (बिहार वाले), कबीरदास, रज्जब साहब, भीखा साहब, दूलनदास, दादू दयाल, गुरु नानक, यारी साहब, तुलसी साहब, केशवदास, फ्लटू साहब, गरीबदास, जगजीवन साहब, मलूकदास आदि ने 'योग' का संदर्भगत प्रयोग किया है।

संत चरणदास के अनुसार ब्रह्म की विरहानुभूति 'योग' है (बिरहिन के सहजै सधै, भक्ति, जोग अरु ज्ञान)। दयाबाई ने प्रभु को ही 'योग' मान लिया है (जोग जग्य जप तप बरत,तीरथ नेम अचार चार बेद षट शास्त्र प्रभु, तुम किरपा की डार)। इसी प्रकार संत भीखा ने "सोई जोग जोगेसुर कहिये, जा हिय हरि हरि हूता।" कहकर योगी और योगेश्वर में हरी मात्र को पाया है। सहजोबाई ने "जोगी पावै जोग सूं" कहकर योगी द्वारा योग के माध्यम से अपने इष्ट की प्राप्ति स्वीकार की है। संत दूलनदास के अनुसार ज्ञान ही योग है-" जोगी चेत नगर में रहो रे।" इस ज्ञान के लिए विरहानभुति अथवा जाग्रत अवस्था की बात प्रायः सभी संतों ने मानी है क्योंकि जो जाग्रत है वही 'खालिक' है, "कबीर खालिक जागता और न जागै कोय।" (कबीरदास) संत दूलनदास संतोष को ही योग मानते हैं, "निरफल जोग संतोष बिन, कहों सबद परमान।" (दूलनदास)। इस प्रकार संदर्भगत अर्थों में संतों ने योग की अनुभूति को स्वीकार किया है।

निर्गुण संत कवियों ने पतंजलोक्त "चित्त वृत्ति निरोध" भाव को "मनोनिरोध" में समाहित किया है। इंद्रिय-निग्रह और चंचल मन

को एकाग्र कर तत्वानुभूति करना ही संतों की दृष्टि में सबसे बड़ा योग है। संत चरणदास, संत सुंदरदास और संत कवि दरिया (बिहारवाले) ने तत्वानुभुति से भिन्न योग के तर्कपरक रूप को भी ग्रहण किया है। किंतु पतंजलोक्त योग-साधना को इन्होंने यथावत ग्रहण न करके अन्य योग पद्धतियों को भी अपनी बानियों में समाहित कर लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन कवियों का लक्ष्य किसी दर्शन विशेष का प्रतिपादन नहीं है। अतः संत काव्य में प्रयुक्त यौगिक शब्दावली को अनुभूतिमय मानना अधिक संगत है। यहां तक कि कुंडलिनी-जागरण, षट्चक्र-भेदन ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिन्हें निर्गुण संत कवियों ने अनुभूत्यात्मक रूप में अंगीकार किया है। इन प्रक्रियाओं को वे शक्ति-बिंदु के रूप में लेते हैं।

निर्गुण संतों ने दुखों के नाश का एकमात्र साधन तत्वानुभूति को माना है। यह अनुभूति 'आत्मदर्शन', 'ब्रह्मानुभूति' और 'ज्ञान' से संबंधित है। इसका अनुभव कर लेने पर व्यक्ति जरा-मरण के भय से मुक्त हो जाता है। कुछ संतों के तद्विषयक पद इस प्रकार हैं -

- आतम अनुभव जब भयौ, तब नहिं हर्ष विषाद । (कबीर)
- आपु न चिन्हहु का बौराई। (गुलाल)
- उपजत आतमज्ञान, प्रेम पद पाइये। (धनी धरमदास)
- सो त्रिभुवनपति नाथ, निरखि लियो आप में। (केशव)
- आपनो सरूप रूप आपु माहिं देखै नाहिं। (यारी)
- आपा खोजे त्रिभुवन सूझे, अंधकार मिटि जाई। (मलूक)
- बाहर भरमै मानवी, अभि अंतर में जान। (गरीब)
- अभ्यंतर जागी प्रीत निरंतर कंथ से लागी। (फलटू)

- भीखा तजो भरम के ताईं। चीन्हो निज आपनो साईं। (भीखा)

- अंतरगति ल्यौ लाई रहू। (दादू)

- सहजै आतम ज्ञान प्रकासै। (नामदेव)

- कर सतसंग आपने अंतर, तजि तन मोह औ माया। (दूलन)

- आपु क चीन्हहु रे भाई, बिन चीन्हें नहिं सुख पाई। (जगजीवन)

- सहजो जगत अनित्य है।

आत्म कूं नित जान। (सहजोबाई)

तत्वानुभूति के लिए संतों ने 'गुरु' के महत्व को स्वीकारा है। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानकर गुरु (सद्गुरु) के दिशा-निर्देश पर योग-साधना की अनुभूति को पाना सहज है। योगासन की कृत्रिम शारीरिक अवस्थाओं के मुकाबले इन संतों ने ह्रदय को निर्मल रखने और अहंकाररहित होने का संदेश दिया। यम नियमादि योगांगों के प्रति उन्होंने अपनी स्वीकृति दर्शाई है। किंतु उसका सैद्धांतिक वर्णन उन्होंने नहीं किया है। उनके लिए तत्वों का निर्वचन करना नहीं अपितु अनुभूति करना-कराना ही श्रेयस्कर रहा है।

भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का संवाहक देश त्रिनिडाड एवं टोबैगो

डॉ. दीपक पांडेय
केंद्रीय हिंदी निदेशालय पश्चिमी खंड -7,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली 110066
मोबाइल : 91-89294089
Email – dkp410@gmail.com

कैरेबियन प्लेट पर लगभग एक मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में सात सौ से अधिक द्वीप/टापू/रीफ एवं सेज मौजूद हैं। भौगोलिक रूप से कैरेबियन द्वीपों को आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के एक उप-क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इन द्वीपों पर फ्रेंच/यूरोपीय/ब्रिटिश/अमेरिका/नीदरलैंड आदि का आधिपत्य था और कुछ में वर्तमान में भी है। समय के साथ ये कैरेबियन द्वीप/टापू स्वतंत्र देश एवं गणराज्य में बदलते जा रहे हैं। इन कैरेबियन देशों में बहमास, त्रिनिडाड एवं टोबेगो, बरमूडा, एंटीगुआ, क्यूबा, हैती, डोमिनिका रिपब्लिक, गुयाना, जमैका, बारबाडोस, मार्टिनिक, सूरीनाम, ग्वाडलूप, सेंट लूसिया, कुरासाव, यू. एस. वर्जिन आइलैंड, सेंट किट्स, मोंटेसेराट आदि अनेक नाम हैं।

अधिकांश कैरेबियन देश 19 वीं सदी के औपनिवेशिक इतिहास को साझा करते हैं कि 1838 से 1917 के बीच इन देशों में गन्ना/कोको/कॉफी/नारियल आदि के ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच सरकारों द्वारा चलाए जा रहे बागानों/कृषि उत्पादन उपक्रमों में

काम करने के लिए भारतीय मजदूर शर्तबंदी व्यवस्था के अंतर्गत लाए गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ भारतीय लोग बंधुआ मजदूर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच सरकारों द्वारा चलाए जा रही अप्रत्यक्ष योजनाओं के तहत ये मजदूर लाए गए थे। वे योजनाएँ उनकी आमदनी का जरिया थीं और इनकी अर्थव्यवस्था इन पर बहुत अधिक निर्भर थी। कैरेबियन देशों में लाए गए भारतीय बंधुआ मजदूरों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :-

क्षेत्र	वर्ष	मजदूरों की संख्या
ब्रिटिश गुयाना	1838-1917	2,38,909
फ्रेंच गुयाना	1853-1885	19,296
त्रिनिडाड एवं टोबेगो	1845-1917	1,43,939
सूरीनाम	1873-1918	34,024
ग्वाडलूप	1854-1887	42,595
जमैका	1945-1917	38,681
मार्टिनिक	1848-1884	25,509
सेंट लूसिया	1858-1895	4,334
ग्रेनेडा	1856-1885	3,200
सेंट विन्सेंट	1860-180	2,472
सेंट किट्स	1860-1861	337
	कुल योग	**5,38,642**

(Sources : K.O.Laurence- Imigration into the West Indies)

मूलतः ये मजदूर बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश के मूल निवासी थे और इनके लिए सभी देशों में

परिस्थितियाँ लगभग एक समान थीं। कठिन परिश्रम और संघर्ष को भारतीय सांस्कृतिक एवं सामजिक मूल्यों से संचित कर ये विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे ।

इन कैरेबियन देशों में एक द्वीप त्रिनिडाड एवं टोबेगो भी है, जहाँ भारतीय मजदूरों ने अपने खून-पसीने से देश को विकास की सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर किया। त्रिनिडाड के भारतीय बंधुआ मजदूरों को भी शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने अपने संयम को डिगने नहीं दिया और सत्तापक्ष से उपार्जित कुली नाम को सजीवता प्रदान की। गिरमिटिया भारतीय अपने साथ भारतीय लोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं की समृद्ध परंपरा अपने साथ लेकर आए और उस परंपरा का संवर्धन एवं संरक्षण किया और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया। यही कारण है कि आज त्रिनिडाड में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 42 प्रतिशत है। और भारतीय पर्व/त्यौहार/धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज भारत की तरह ही मनाए जाते हैं। वैसे तो त्रिनिदाद उत्सव प्रिय देश है जहाँ बारह महीने कोई न कोई उत्सव बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारतीय त्योहारों के अलावा यहाँ का कार्निवाल/सोका मोनार्क विश्व प्रसिद्ध हैं। पूरे देश में लगभग छोटे-बड़े चार सौ से अधिक मंदिर मिल जाएँगे, जहाँ हिंदू देवी-देवताओं के सभी स्वरूप मूर्ति रूप में मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि मंदिर सर्व सुविधा संपन्न (अधिकाश वातानुकूलित, सुसज्जित, चेयर , भोजनालय आदि) हैं। मंदिरों में / प्रातः- सांध्य वंदना / सत्संग / पूजा-पाठ / यज्ञ / कथा-प्रवचनों / हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से विशेष कर रविवार

को अनिवार्य रूप से होता है। अचंभा तब होता जब आप भारत से इतनी दूर दत्तात्रेय मंदिर में 85 फुट की हनुमान मूर्ति के दर्शन करें और कभी-कभी 24-24 घंटे तक चलने वाले हनुमान चालीसा कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हों। यह खुशी की बात है कि त्रिनिडाड में धार्मिक कट्टरता नहीं है। सभी धर्म के लोग सभी प्रकार के आयोजनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। मंदिरों की कलात्मकता पूर्णतः भारतीय हैं।

आप नवरात्रि / दशहरा / दीपावली / गणेश पूजा / होली के अवसर पर पूरे देश के वातावरण को भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों से ओतप्रोत पाएंगे और इन अवसरों पर होने वाले आयोजनों से आपको भ्रम भी हो सकता है कि आप भारत से बीस हजार कि. मी. की दूरी पर न होकर अपने घर के वातावरण के आसपास ही हैं। यहाँ पर त्रिनिडाड में आयोजित होने वाले दीपावली, होलिकोत्सव, गणेशोत्सव, राम लीला, कृष्ण लीला (कंस लीला), रासलीला, सरवनेर, सरवन कुमार, हरिचरण (हरिश्चंद्र), इंदरसभा (इंद्रप्रभा), गतका या स्टिक फाइटिंग आयोजनों का संक्षिप्त में परिचय इस प्रकार है-

त्रिनिडाड में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा देश कार्तिक महीने में अलग ही रौनक और आकर्षण लिए होता है। मंदिर / घर-द्वार / व्यवसायिक स्थानों / शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रकार की रोशनी एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । कुछ-कुछ स्थानों की सजावट को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। सगवाना के फेलिसिटी में पारंपरिक मिट्टी की दीपमालाओं की रोशनी में एक अलग ही आकर्षण एवं वैभव होता है और इसकी चर्चा कई दिनों तक होती है। त्रिनिडाड में दीवाली का उत्सव अंग्रेजी बोलने वाले कैरिबियन में सबसे बड़ा है। दीवाली

के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। दीवाली माह में अनेक लोग मांस-मदिरा का सेवन बंद कर देते हैं जिसे वो उपवास की संज्ञा देते हैं। अनेक प्रकार के पकवान / मिठाइयाँ आपको भारतीय परिवेश में आत्मसात होने के लिए निमंत्रित करते हैं। सामुदायिक संगठनों/शिक्षण संस्थाओं/सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालयों संस्थाओं में महीने भर विशेष आयोजन होते रहते हैं। इनमें मनोरंजन/सांस्कृतिक/सामाजिक/धार्मिक सभी का मिश्रण होता है और पूर्ण तौर पर भारतीय संस्कृति पर आधारित। आप इस अवसर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, पर जहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत/वाद्य/नृत्य का समावेश होता है वहीं रंगोली से भी इस त्यौहार की रौनक बढ़ जाती है। सगुवाना में स्थित नेशनल काउन्सिल ऑफ इंडियन कल्चर (NCIC) के प्रांगण में आयोजित होने वाले दीवाली नगर के वैभव एवं वैविध्य का अपना ही महत्त्व है। इस आयोजन में देश की जनता एवं राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। एक महीने तक चलने वाले दीवाली नगर के अंतिम दस दिन बहुत भीड़-भाड़ वाले होते हैं और औसतन दो-तीन लाख लोग प्रतिदिन इसमें शामिल होते हैं। इस दौरान यहाँ के बाजार में भारतीय पहनावे/ खान-पान/पूजा सामान के विविध पंडाल होते हैं जो सुबह से मध्य रात्रि तक खुले रहते हैं, इसके साथ ही रोजाना शाम को 5-11 बजे तक भारतीय संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। यह अपने आप में अद्‌भुत आयोजन होता है, जिसमें कैरेबियन देशों के कलाकारों के साथ अमेरिका/कनाडा/फिजी/भारत के कलाकार भी भाग लेते हैं और उनका प्रदर्शन किसी भी स्तर पर प्रतिष्ठित कलाकारों से कम नहीं होता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि NCIC के प्रांगण में मांस-मदिरा का प्रवेश वर्जित है और सभी इसका पालन करते

हैं। त्रिनिडाड में भारतीय संस्कृति की व्यापकता इस से सिद्ध होती है कि प्रतिवर्ष दीवाली नगर की विशिष्ट थीम होती है। भारत के उच्चायोग, त्रिनिडाड एवं टोबेगो में द्वितीय सचिव (भाषा एवं संस्कृति) पद पर कार्य करते हुए, पिछले चार वर्ष 2015 से 2018 के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला है और इन वर्षों की थीम क्रमशः इस प्रकार रही है।

2015 Devi Maa - The Divine Mother

2016 Ganga Maa,

2017 Hindu Symbolism,

2018 Hindu Reformers

मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं कि जिस भव्यता, श्रद्धा और भक्ति के साथ-साथ उल्लासपूर्ण वातावरण में दीपावली का त्यौहार त्रिनिडाड में मनाया जाता है, शायद ही उस प्रकार का आयोजन भारत में आयोजित किया जाता हो।

त्रिनिडाड में दीपावली की भव्यता की ही तरह दशहरा उत्सव के दौरान रामलीला का आयोजन होता है। लगभग तेरह लाख आबादी वाले देश में छोटी-बड़ी सौ से अधिक रामलीला कमेटी हैं जो प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन / प्रदर्शन करती हैं। त्रिनिडाड में रामलीला का इतिहास भारतीय मजदूरों के आगमन के साथ प्रारंभ होता है। और कुछ कमेटियाँ तब से आज तक अस्तित्व में सक्रियता से भारतीय परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही हैं, बाल रामलीला हिंदू प्रचार केंद्र, डोव विलेज रामलीला कमेटी, फेलिसिटी रामलीला कमेटी, फर्स्ट फेलिसिटी रामलीला कमेटी, सांग्रे ग्रांडे रामलीला कमेटी, पांडव रामलीला कमेटी, पाल्मीस्त पार्क रामलीला, पिनाल देबे रामलीला कमेटी, बैरकपुर रामलीला

ग्रुप, तरौबा रामलीला कमेटी, मैक बीन रामलीला कल्चरल ग्रुप कमेटी, पियरे रोड रामलीला ग्रुप, गाँधी विलेज रामलीला ग्रुप, रियो क्लारो रामलीला एवं कल्चरल ग्रुप, ब्रिच्क्फील्ड शिव मंदिर रामलीला कमेटी, SWAHA एवं SDMS (सनातन धर्म महासभा) संस्थाओं के विविध रामलीला ग्रुप/मंडली ऐसे अनेक कमेटी/ग्रुप रामलीला के मंचन/प्रदर्शन से समाज को एकसूत्र में बाँधने और उनमें अपनत्व के भाव को जगाने और युवाओं को जीवन मूल्यों से जुड़े रखने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ की मैदानी रामलीला और बाल रामलीला मेरे लिए नया अनुभव था जहाँ पात्र-संवाद अंग्रेजी/हिंदी में होते हैं क्योंकि वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। त्रिनिडाड कुछ रामलीला ग्रुप को भारत में प्रदर्शन के अवसर मिले हैं के आपके लिए नई जानकारी होगी कि रामलीला में भाग लेने वाले पात्र उन्हीं जीवन मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाते है जैसे मूल रूप से राम/भरत/सीता/रावण आदि को जीवंतता दे रहे हों। साज-सज्जा/वेशभूषा सब रामायण की मूल कथा एवं चरित्रानुसार व्यवस्थित की जाती है। भारत की तरह ही रावण/दुर्योधन के बड़े-बड़े पुतले बनाकर बुराई पर अच्छाई की कहानी दोहराई जाती है। यह गर्व की बात है कि भारतीय बंधुआ मजदूरों द्वारा लाई गई लोक कला आज भी अर्थात 174 वर्षों बाद भी यथारूप जीवंतता लिए हुए है। रामलीला के प्रति लगाव त्रिनिडाड के बच्चों में बाल्यकाल से ही हो जाता है और माता-पिता/दादा-दादी से पर्याप्त प्रोत्साहन और सहयोग भी मिलता है। और यह माना जाता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से वे अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े रहने का अवसर पाते हैं।

होलिकोत्सव भी त्रिनिडाड में बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है, यह फगवा नाम से बहुप्रचलित है और इस दिन राष्ट्रीय

अवकाश भी होता है। देश के कोने कोने में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जिनमें आपको चौताल लोक गीत-गायन/फाग/होली से जुड़े स्थानीय/बालीवुड संगीत में रंग-बिरंगे रंगे-पुते लोग त्यौहार को जीवंत बना देते हैं। बड़े-बड़े मैदानों और खुली जगहों में रंग/गुलाल से लोग होली का आनंद उठाते हैं। यहाँ की होली की मुख्य विशेषता है कि यहाँ के लोगों ने होली के अवसर पर मांस-मदिरा का सेवन वर्जित रखा हैं।

त्रिनिडाड एवं टोबेगो में सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भारतीयता कूट-कूट कर भरी है। लोग सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उनका उसी प्रकार पालन करते हैं जिस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि लगभग 70-80 वर्षों तक त्रिनिडाड एवं टोबेगो के संभ्रांत वर्ग में रोटी को सार्वजनिक मान्यता नहीं मिली थी। भारतीय मूल के मजदूरों/स्कूली विद्यार्थियों को रोटी दूसरों से छुपाकर खानी पड़ती थी और वे उपहास के पात्र बनते थे। परंतु समय ने करवट ली और आज रोटी समाज का अभिन्न हिस्सा है और सभी ओर रोटी की दूकानें उपलब्ध हैं और उनमें सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। इसी संदर्भ में मॉरिशस के लेखक वीरसेन जागासिंह ने त्रिनिडाड एवं टोबेगो की यात्रा के बाद लिखा- "आज रोटी कल्चर बिना तोप-तलवार, आइडियोलोजी और व्यावसायिक आर्थिक दबाव के रोटी कल्चर संसार को जीते न जीते परंतु प्रेम और समन्वय के साथ पेट के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में सक्षम साबित हो रहा है। आज त्रिनिडाड में रोटी के विविध रूप पेपर रोटी/स्किन रोटी/सादा रोटी/बशप शार्ट रोटी/मिक्सी आदि बहुत प्रचलित और सभी वर्गों के दैनिक जीवन की आवश्यकता बन गई हैं। आज

त्रिनिडाड एवं टोबैगो में सभी प्रकार का भारतीय भोजन उपलब्ध है और अधिकांश रेस्तरां में भारतीय भोजन की मांग बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ सार्वजनिक स्थलों पर पत्तल और दोने/केले/सुहारी के पत्ते में भारतीय भोजन का स्वाद चखने का अवसर मिला और यह भारतीयता की व्यापकता का परिचायक है। आप कल्पना कीजिए कि भारत से इतनी दूर त्रिनिडाड एवं टोबेगो में 50 से अधिक योग सेंटर भारतीय योग-विद्या का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। मैं आने चार साल के प्रवास के आधार पर कह सकता हूँ कि यह देश भारत का ही कोई भाग लगता है, जहाँ चहुँ ओर भारतीयता नजर आती है।

त्रिनिडाड की अनेक शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ/संगठन जैसे सनातन धर्म सभा, स्वाहा, चिन्मय मिशन, भारतीय विद्या संस्थान, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन कल्चर (NCIC), हिंदू प्रचार केंद्र भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के संरक्षण/संवर्धन में कार्यरत हैं और पूर्ण समर्पण के साथ सक्रिय हैं। भारत सरकार त्रिनिडाड एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ़ स्पेन में स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भारतीयता से स्थानीय लोगों को जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रही है। समय-समय पर भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित ग्रुप त्रिनिडाड एवं टोबेगो में कार्यक्रम के लिए भेजे जाते हैं और भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्ययन-अध्यापन के लिए 'Mahatma Gandhi Institute for Cultural Co-operation' की स्थापना की गई है। जहाँ भारतीय नृत्य/संगीत/वाद्य/योग/हिंदी आदि की कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और भारतीय शिक्षक विविध अवसरों पर सार्वजनिक प्रस्तुतियाँ भी देते हैं। इस वर्ष भारतीय उच्चायोग ने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के संरक्षण में त्रिनिडाड के 90 एवं उससे

अधिक उम्र के भारतवंशियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य से देश के लगभग 100 से अधिक लोगों के घरों में मुलाक़ात की और सभी को भारतीय चेतना के संवर्धन एवं संरक्षण में उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की। इस प्रकार के अद् वितीय कार्यक्रम की देश-विदेश में खूब सराहना हुई। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं (जैसे- Know India Programme, ITEC scholarship programme, ICCR General Scholarship/Kendriya Hindi Sansthaan Hindi Scholarship) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 से अधिक युवाओं/प्रोफेशनल को भारत आने का अवसर मिलता है और कोर्स पूरा करने के बाद वापस लौटने के बाद सभी भारतीय एम्बेसडर के रूप में हमारे सहायक होते हैं।

त्रिनिडाड एवं टोबेगो में बसे भारतीय मूल की तीसरी से पाँचवीं पीढ़ी आज भी अपने पूर्वजों की जड़ों से अपने आप को जोड़े हुए हैं और हर किसी के मन में motherland भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धा है। जिन लोगों ने भारत की यात्रा की है वे बड़े ही रोमांचक अंदाज में बताते हैं कि जैसे ही वे भारत भूमि में पैर रखते हैं, वैसे ही इतने भावविह्वल होकर भारत भूमि के प्रति साष्टांग दंडवत कर भारत माता का ऋण स्वीकारते हैं कि उनका डीएनए भारतीय है। त्रिनिडाड के भारतवंशी भारत में अपने पूर्वजों के परिवार को खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ सफल हो पाए हैं और कुछ आशान्वित हैं। जिन्होंने पूर्वजों के परिवार को पहचान लिया है वे निरंतर उनसे संपर्क में बने रहते हैं और अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना रहे हैं, पर एक दूसरे पहलू की ओर हमें गौर करना होगा कि जिस समर्पण और लालसा से त्रिनिडाड में बसे भारतवंशी अपने पूर्वजों की जड़ तक पहुँचने के लिए लालायित हैं क्या वही ललक भारत के लोगों में है ? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि भारत

में बसे लोग अपने बिछड़े लोगों के बारे में जानने के लिए उतने उत्सुक नहीं जितने कि त्रिनिडाड में बसे भारतवंशी। भारत के लोगों को जागरूक होना होगा कि सुदूर बसे लोगों में भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का विशेष महत्व है और हमें भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के संवाहक देश त्रिनिडाड एवं टोबेगो एवं उसके आसपास के द्वीपों का भ्रमण करना चाहिए।

सूचना एवं संचार तकनीकी और पर्यटन प्रोत्साहन

डॉ. उमेश कुमार
सहायक आचार्य,
भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी.

पर्यटन हमेशा से ही लोगों के लिए रूचि का विषय रहा है। आरंभ में व्यक्ति जहाँ किसी कार्य या नई जगह की खोज के लिए घूमता था वहीं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह कुछ समय, फुरसत के क्षण बिताने के लिए किसी नई जगह या अपनी पसंद की जगह पर घूमने जाता है। आज पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। इसके विकास का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में पर्यटकों की संख्या 1950 में 2.2 करोड़ थी जो 2016 में बढ़कर 123 करोड़ हो गई। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन उद्योग का 10.2 प्रतिशत का योगदान है। अनुमान है कि दुनिया में प्रत्येक दसवां व्यक्ति पर्यटन उद्योग में कार्य करता है। भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई है। वर्ष 2016 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का 9.6 प्रतिशत और कुल रोजगार में 9.3 प्रतिशत योगदान था। पर्यटन उद्योग स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक आकलन के अनुसार, पर्यटन उद्योग में 10 लाख रुपये का निवेश कर लगभग 90 लोगों को रोजगार प्रदान किया जा

सकता है जबकि कृषि क्षेत्र में लगभग 45 लोगों और विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 13 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होता है[1]।

किसी भी स्थान पर जाने से पूर्व वहाँ के बारे में जानकारी एकत्र करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि देखा जाए तो पहले इसके लिए लोगों का वृत्तांत पढ़ा या सुना जाता था। समय बीतने के साथ ही साथ लोगों की कहानियों का स्थान मुद्रण माध्यम ने ले लिया और लोग किसी भी स्थान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री को संजोकर रखने लगे जिससे कहीं जाने पर उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन समय के साथ ही साथ यह तकनीक भी पुरानी होती गई और वर्तमान समय में इसका स्थान सूचना एवं संचार तकनीकी ने ले लिया है।

वर्तमान युग को सूचना एवं संचार तकनीकी का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रभाव को रेखांकित करते हुए भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब यह मायने नहीं रखता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं बल्कि यह मायने रखता है कि आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन[2]। आज कोई भी व्यक्ति घूमने के उद्देश्य या किसी भी काम के उद्देश्य से कहीं की यात्रा करता है तो वहाँ जाने से पहले उस स्थान के बारे में विस्तृत

1. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 27 सितंबर 2017

2. https://www.narendramodi.in/hi/text-of-speech-by-prime-minister-shri-narendra-modi-at-the-digital-india-dinner-26-september-2015-san-jose-california-345156

जानकारी इंटरनेट के माध्यम से जुटाता है जिससे कि उसे पता चल सके की किसी निर्धारित स्थान पर कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं तथा उनका क्या महत्व है।

भारत में पर्यटन प्रोत्साहन की ई पहल

भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के उपयोग पर विशेष बल दे रही है। इसके अंतर्गत अग्रलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं-

1. **ई-पर्यटक वीजा -** पर्यटन मंत्रालय देश में वीजा प्रणाली को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। गृह मंत्रालय/विदेश प्रभाग के दिनांक 29 दिसंबर, 2016 के परिपत्र सं. 482 के अनुसार तीन उप-श्रेणियों अर्थात् 'ई-पर्यटक वीजा', 'ई-व्यापारिक वीजा' और 'ई-चिकित्सा वीजा' के तहत ई-वीजा की अनुमति है। ई-पर्यटक वीजा, ई-व्यापारिक वीजा और ई-चिकित्सा वीजा के अंतर्गत अग्रलिखित कार्यकलापों को अनुमति दी गई है-

(i.) ई-पर्यटक वीजा : मित्रों या रिश्तेदारों से मिलने, मनोरंजन, दर्शनीय स्थल, आकस्मिक यात्रा के लिए तथा लघु अवधि के योग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।

(ii.) ई-व्यापारिक वीजा : वीजा नियमावली के अनुसार सामान्य व्यापारिक वीजा के अंतर्गत सभी कार्यकलापों को अनुमति प्राप्त है।

(iii.) ई-चिकित्सा वीजा : भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत उपचार सहित चिकित्सा उपचार।

ई-वीजा के अंतर्गत आवेदन पत्र के विंडो को मौजूदा समय 30 दिन से 120 तक बढ़ाया जा सकता है। ई-वीजा के अंतर्गत भारत में ठहरने की अवधि को मौजूदा समय 30 दिन से 60 दिन तक बढ़ा दिया गया है। ई-चिकित्सा वीजा के मामले में समय सीमा के विस्तार के लिए संबंधित विदेश के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, विदेश के पंजीकरण अधिकारी द्वारा मामले दर मामले प्रत्येक मामले को मुख्यत के आधार पर 6 माह तक विस्तारित किया जा सकता है। ई-पर्यटक वीजा और ई-व्यापारिक वीजा पर विदेशी नागरिक को वर्तमान में एकल प्रवेश की तुलना में दोहरे प्रवेश की अनुमति दी गई है। ई-चिकित्सा वीजा की सुविधा लेने वाले उन मामलों में वर्तमान में एकल प्रवेश की तुलना में ट्रिपल प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

31 दिसंबर 2016 तक ई-पर्यटक वीजा के लिए पात्र देशों की सूची इस प्रकार है-

अंगोला, अजरबैजान, अल्बानिया, अंडोरा, एंगुइला, एंटीगुआ और बरमुडा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अरूबा, आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बुरुंडी, बहामास, बारबाडोस, बेल्जियम, बेलीज, बोलीविया, बोसनिया, हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रूनेई बुल्गारिया, कंबोडिया, कनाडा, केप वर्डे, केमैन द्वीप, चिली, चीन, चीन एसएआर हांगकांग, कैमरून संघ गणराज्य, साइप्रस, चीन एसएआर मकाओ, कोलंबिया, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, कोस्ट्रारिका, कोट डिल्वायर, क्रोएशिया, क्यूबा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, पूर्वी तिमोर, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, इरिट्रिया, एस्टोनिया, पिफजी, फिनलैंड, फ्रांस, गैबान, गांबिया, जार्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, गिनी, गुयाना, हैती, होंडुरास, हंगरी, इटली,

आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजरायल, जमैका, जापान, जार्डन, केन्या, किरिबाती, लाओस, लातविया, लेसोथो, लाइबेरिया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मेडागास्कर, मलावी, मलेशिया, माल्टा, मार्शल द्वीप , मॉरीशस, मालौ, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, माल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोंटसेराट, मैसेडोनिया, मोजांम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नाउरू, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर गणराज्य, नियू आइलैंड, नार्वे, ओमान, पलाऊ, फलिस्तीन, पनामा, पपुआ न्यू गिनी, पराग्वे, पेरू, पिफलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, रवांडा, कोरिया गणराज्य, मकदूनिया गणराज्य, रोमानिया, रूस, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, समोआ, सैन मैरिनो, सेनेगल, सर्बिया, सेशेल्स गणराज्य, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोलोमन द्वीप, सायरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूरीनाम, स्वाजीलैंड, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, ताइवान, तजाकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड, टोंगा, त्रिनिडाड और टोबैगो, तुर्क और कैकोस द्वीप, टुवालु, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमरीका, वानुवातु, वेटिकन सिटी-होली सी, वेनेजुएला, वियतनाम हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो दिसंबर 2016 तक भारत में लगभग 160 देशों के लिए ई वीजा प्रदान करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ देश के 9 हवाई अड्डों पर ई वीजा प्रदान करने की सुविधा की शुरूआत की गई थी। जबकि अब यह सुविधा 16 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है।

2. **होटलों का ऑनलाइन अनुमोदन-** अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने होटल परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त करने, उन्हें प्रोसेस करने तथा

अनुमोदन प्रदान करने, चालू होटलों के वर्गीकरण/पुनःवर्गीकरण स्थिति तथा निर्माणाधीन होटल के लिए परियोजना स्तर पर अनुमोदन की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। पहले होटलों के परियोजना स्तर अनुमोदन और होटलों के वर्गीकरण / पुनःवर्गीकरण से संबंधित आवेदन इस मंत्रालय में हार्ड कॉपी फार्म में दस्ती या डाक द्वारा स्वीकार किए जाते थे। इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया गेटवे भुगतान के साथ भी जोड़ दी गई है। सितारा श्रेणी और विरासत श्रेणी में होटलों के वर्गीकरण और परियोजना अनुमोदन के लिए भी आवेदन ऑनलाइन www.hotelcloud.nic.in पर फाइल किए जा सकते हैं।

3. **सिम कार्ड की सुविधा-** पर्यटन मंत्रालय ने ई-वीजा पर भारत आने वाले पर्यटकों के लिए प्री लोडेड सिम कार्ड प्रदान करने की पहल की है। यह पहल स्लोवेनिया, सोलोमन द्वीप, सायरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, श्रीलंका के लिए हुई है। इस पहल के अंतर्गत भारत संचार निगम ई-वीजा पर भारत आने वाले पर्यटकों को सिम कार्ड प्रदान करता है। शुरुआत में यह सुविधा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध कराई गई थी। बाद में इस सुविधा का विस्तार ई-वीजा प्रदान करने वाले अन्य 15 हवाई अड्डों पर भी किए जाने की योजना थी। इस पहल का उद्देश्य भारत प्रवास के दौरान, विदेशी पर्यटकों को परिवार एवं मित्रों से जोड़े रहने के साथ पर्यटन मंत्रालय की 24×7 बहुभाषी टोल फ्री हेल्पलाइन से किसी भी दुर्घटना इत्यादि के समय संपर्क करने का माध्यम प्रदान करना है।

4. **वेब आधारित पब्लिक डिलीवरी सिस्टम -** पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने के लिए वेब

आधारित पब्लिक डिलीवरी सिस्टम की स्थापना की है। इस प्रणाली का उद्देश्य पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुमोदन देने में पारदर्शिता लाना भी है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं की अग्रलिखित को अनुमोदित किया है :-

i. इनबाउंड टूर ऑपरेटर
ii. ट्रैवल एजेंट्स
iii. घरेलू टूर ऑपरेटर
iv. रोमांचकारी टूर ऑपरेटर
v. टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर

नई प्रक्रिया के द्वारा सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं जिसके कारण इस प्रक्रिया में कागज का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।

5. ट्रेवेल ट्रेड सेवा प्रदाताओं के अनुमोदन के लिए ई-भुगतान गेटवे- पर्यटन मंत्रालय की ट्रेवेल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, एडवेंचर टूर ऑपरेटरों तथा पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों को इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक और सेवा को प्रोत्साहित करने की धारणा से अनुमोदित करने की योजना है ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यह स्वैच्छिक योजना सभी प्रामाणिक एजेंसियों के लिए खुली है। पर्यटक सेवा प्रदाताओं की उक्त श्रेणियों के अनुमोदन/वर्गीकरण हेतु आवेदनों का प्रस्तुतिकरण पूर्णतया ऑनलाइन है। यद्यपि अब तक प्राप्त आवेदनों के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्डों आदि से ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया नहीं थी अतः आवेदक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा कर

रहे थे। अब पर्यटन मंत्रालय ने इस प्रणाली पर 100 प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे शुरू किया है।

6. अतुल्य भारत और सूचना एवं संचार तकनीकी- पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत के नारे के साथ प्रचार अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों का आवागमन हो तथा इसके साथ ही घरेलू पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हो सके। हमारा देश विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों के जरिये महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में कई तरह की प्रोत्साहन गतिविधियों का संचालन करता है।

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रही है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2016-17 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियान की विश्वव्यापी शुरुआत की। पर्यटन मंत्रालय ने इसका शुभारंभ प्रमुख टेलीविजन चैनलों और गूगल के जरिये किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक और खान-पान संबंधी विविधता से लोगों को परिचित कराने के लिए मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर करता है[3]।

7. अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर- सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत 2018 में 'अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर - 2018'

लांच किया गया था। अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर एप्लीकेशन से उपयोगकर्ता को भारत के समस्त त्योहारों और उत्सवों की जानकारी एक साथ प्रदान की गई है। इस डिजिटल कैलेंडर को एंड्राइड और आईओएस प्लेटफार्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एंड्रोएड :

https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.app.calincindia &hl=en

आईओएस : https://itunes.apple.com/in/app/incredible-india-calendar/id1332321017 ?mt=8

लिंक जारी किया था जिसके द्वारा इसे मोबाइल फोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता था। अतुल्य भारत डिजिटल कैलेंडर में एक डिजिटल कैलेंडर की समस्त खूबियाँ मौजूद हैं और उसकी मदद से यात्रा कार्यक्रम बनाने में सुविधा मिल सकती है। इस डिजिटल कैलेंडर को निजी प्लानर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें देश के सभी त्योहारों और उत्सवों की जानकारी उपलब्ध है और इस कैलेंडर का उपयोगकर्ता अपने निजी कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकता है। इसके अलावा आने वाले त्योहारों और गतिविधियों से संबंधित नियमित नोटिफिकेशन की व्यवस्था भी इस डिजिटल कैलेंडर में की गई है जिससे उपयोगकर्ता अपनी रुचि के अनुसार इन गतिविधियों और उत्सवों की जानकारी अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रत्येक दिन संपूर्ण भारत के पर्यटन स्थानों की शानदार तस्वीरें इस पर प्रदर्शित की जाती हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिये साझा किया जा सकता है।

[3] भारत 2018, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्क कैलेंडर को भी जारी किया गया है। इस कैलेंडर में भारतीय दृश्यावली दिन की तरह रात में भी शानदार नजर आती है। अतुल्य भारत वॉल कैलेंडर 2018 का प्रत्येक पृष्ठ चमकदार रंगों से भरपूर है जो अंधेरे में भी चमकता है। जो भी इस कैलेंडर को देखता है उसे सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों के समय भारत की सुंदरता समान रूप से नजर आती है। हर यात्री किसी न किसी वजह से सफर करता है और अपनी रुचि के अनुसार अपना गंतव्य तय करता है। भारत ऐसा देश है जहाँ हर तरह के यात्रियों के लिए दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। अतुल्य भारत डेस्क कैलेंडर 2018 में 12 विभिन्न तरह के यात्रियों का विवरण है और उनके लिए उचित गंतव्य स्थलों का सुझाव दिया गया है। डेस्क कैलेंडर की विषयवस्तु 'सबके लिए भारत' है, जिसमें यात्रियों के लिए भारत के अद्भुत स्थानों को दिखाया गया है[4]।

8. पर्यटन प्रोत्साहन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग- विगत वर्षों में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2016 में दिल्ली में सोशल मीडिया प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला के मुख्य पहलुओं में व्यवसाय सृजन, सोशल मीडिया अनुकूलन, सामग्री निर्माण तकनीक, विश्लेषण तथा रिपोर्ट विवेचन सहित सोशल मीडिया में कामकाज की शुरूआत करना भी था। इसके बाद मंत्रालय ने मंत्रालय गूगल+यू ट्यूब फेसबुक, इन्स्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूदा

[4] पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार 12, जनवरी 2018

अकाउंटों के अलावा, पेरिस्कोप, वीमियो, पिन्टेरेस्ट एवं लिंक्डइन पर नए सोशल मीडिया अकाउंट खोले। इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सीएनएन, बीबीसी और गूगल पर ऑनलाइन ग्लोबल अभियान की शुरूआत की गई।

संदर्भः

1. वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार
2. भारत 2018, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
3. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 27 सितंबर 2017
4. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 12 जनवरी 2018
5. https://www.narendramodi.in/hi/text-of-speech-by-prime-minister-shri-narendra-modi-at-the-digital-india-dinner-26-september-2015-san-jose-california-345156 Retrieved 2018-05 18.
6. "Indian Ministry of Tourism's official advertising website". Incredibleindia.org. Retrieved 2018-05-18.
7. "Map Shows Every Country's Tourism Slogan". www.familybreakfinder.co.uk. Retrieved 2018-05-18

मानक शब्द भंडार

(मनोविज्ञान की मूलभूत शब्दावली)

A

abandonment fear	परित्याग भय
aberrant	विपथ व्यवहार
aberration	विपथन अपगमन
abhorrence	बीभत्सा
abjection	उत्साहहीनता
abklingen	संवेदन क्षयण, स्वर-क्षयण
ablutomania	प्रक्षालनोन्माद
abnormal fixation	अपसामान्य स्थिरण
aboral	अपमुख
abortive jump	परिहारी प्लुति
abrosia	निराहारता
absent-minded	अन्यमनस्क
abstinence	उपरति, वर्जन
abstract concept	अमूर्त संप्रत्यय, अमूर्त संकल्पना
abstract intelligence	अमूर्त बुद्धि

B

bacillophobia	रोगाणुभीति
backward association	पूर्वगामी साहचर्य
backward conditioning	पश्चगामी अनुकूलन
bad-me	अननुमोदित अहम्, कुअहं
ballistic movement	प्राक्षेपिक गति
bandwagon effect	अनुरूपता प्रभाव
baragnosis	भार-बोध अक्षमता
bar chart	दंड चार्ट

bar diagram	दंड आरेख
barythmia	विषादी भवदशा
basic neurotic anxiety	मूल तंत्रिकातापीय दुश्चिंता
basophobia	अवस्थानभीति
bath therapy	स्नान चिकित्सा
battery of tests	परीक्षणमाला
bead threading test	मनका सूत्रण परीक्षण

C

cacergasia	मानसिक न्यूनता, मस्तिष्क क्रिया ह्रास
cacodemonomania	भूतावेशोन्माद
cacography	दुर्लेखन
cacopathia	अत्युग्र विकार
cacophony	श्रुतिकटुत्व, दुःश्रवता
cafeteria feeding	स्वाहार-वरण
cahexia	क्षीणता
caloric nystagmus	कैलोरीय अक्षिदोलन
canalization	सरणीयन
carbon dioxide therapy	कार्बन डाइऑक्साइड चिकित्सा
cardinal disposition	प्रमुख प्रवृत्ति
case history	व्यक्तिवृत्त, केसवृत्त
case study	व्यक्ति अध्ययन
castration anxiety	शिश्नलोप दुश्चिंता
catgelphobia	उपहास भीति

D

dactylomegaly	महांगुलिता
dancing mania	नृत्योन्माद

DAP test(= draw a person test)	व्यक्त्यंकन परीक्षण
dark adaptation	तम-व्यनुकूलन
Darwinian reflex	डार्विन प्रतिवर्त
data analysis	आधार-सामग्री विश्लेषण
data compilation	आधार-सामग्री संकलन
day dream	दिवास्वप्न
death feigning	मृतवत् स्वाँग
debility	अशक्तता, क्षीणता
decapitation	शीर्षोच्छेदन
decentralized behaviour	विकेंद्रित व्यवहार
deconditioning	अननुकूलन
deconversion	आस्थालोप
dedifferentiation	निर्विभेदन

E

ear bone	कर्णास्थि
eccentric	उत्केंद्रक (सं)
eccentricity	विलक्षणता
ecco-analysis	प्राश्निक विश्लेषण
echographia	इकोग्रफिया
echolocation	प्रतिध्वनिस्थान निर्धारण
echo reaction	ध्वन्यनुकरण
eclectic theory	संकलन सिद्धांत
ecmnesia	नव स्मृतिलोप, निकट स्मृतिलोप
ecomania	गेहशूरोन्माद
ecstasy	भावातिरेक
ecstatic	भावातिरेकी, हर्षोन्मादक
ectomorphic	लंबाकृतिक, एक्टोमार्फिक
edge detail	परिधि विवरण

edging	परिधिगत अध्ययन उपांतीकरण

F

fables test	आख्यायिका परीक्षण
fabulized combination	कल्पनानिवेशन, रंजितकल्पन मृषा संयोग
facial asymmetry	मुख असममिति, आनन असममिति
factor analysis	कारक विश्लेषण
factor comparison method	कारक तुलना प्रणाली
factor fixation	कारक स्थिरण
factorial matrix	कारक मैट्रिक्स, कारक आधात्री
factual correlation	तथ्यात्मक सहसंबंध
false analogy	मिथ्या सादृश्य
false exclusion	मिथ्या अपवर्जन
false negatives	मिथ्या अपवर्जित
family antagonism	परिवार विरोध, कुटुंब विरोध
family solidarity	पारिवारिक एकात्मकता परिवार संहति
feature profile test	फीचर-प्रोफाइल परीक्षण
fechner's paradox	फेक्नर विरोधाभास

G

galvanic nystagmus	वैद्युत अक्षिदोलन
gammacism	बाल वार्तालाप वृत्ति
ganser's syndrome	गेन्सर संलक्षण
gargalanesthesia	गुदगुदी संवेदन
gelasmus	हिस्टीरियाई अट्टहास
genealogical history	वंशावली-इतिहास
genealogical record	वंशावली-अभिलेख
general evaluative set	सामान्य मूल्यांकन विन्यास,

	सामान्य मूल्यांकक विन्यास
generalization gradient	सामान्यीकरण प्रवीणता
general pareses	सामान्य पैरेसिस, सर्वांगीण आंशिकघात
generic attribute	सामान्य गुण
genetic analysis	आनुवंशिक विश्लेषण
genetic principle	आनुवंशिक सिद्धांत
genic determinants	जीनगत निर्धारक

H

habit hierarchy	आदत अधिक्रम
habitual response	आभ्यासिक अनुक्रिया
habromania	उल्लासोन्माद
hadephobia	नरक भीति
hallucinatory image	विभ्रांतिमूलक प्रतिमा
hand-tool dexterity test	हस्तोपकरण निपुणता परीक्षण
haploid	अगुणित
haptics	त्वक् संवेदान्वेषिकी
harmonic analysis	हरात्मक विश्लेषण
harmonious function	सामंजस्यपूर्ण प्रकार्य, समरस प्रकार्य
hebephrenia	हीबीफ़ीनिया, मूढ़ मनोविदलता
hedonia	उत्साहातिरेक
heliocentric hypothesis	सूर्यकेंद्रिक प्राक्कल्पना
hematophobia	रुधिर भीति
hemeralopia	सूर्यांधता

I

iatrogenic disorder	चिकित्सकप्रेरित विकार

ice breaker	सुगमपूर्वाभ्यास
iconic representation	प्रतिमा प्रतिनिधान
iconolagny	अश्लीलचित्रप्रियता
idealized norm	आदर्शीकृत प्रतिमान
ideal self	आदर्श अहम्
ideas of reference	स्वसंदर्भ विचार
ideational learning	प्रत्ययात्मक अधिगम
identical twins	समरूप यमज
identification marks	पहचान-चिह्न
ideokinetic apraxia	प्रत्ययगतिक अक्षमता
ideomotor tendency	प्रत्ययचालित प्रवृत्ति
ideoplasy	शरीरक्रिया प्रभावी विचार
idiocy	जड़बुद्धिता
idiodynamic	स्वगतिकी

J

jacksonian epilepsy	जैक्सन अपस्मार
job description checklist	कार्य विवरण चिह्नांकन सूची
job grading	कार्य श्रेणी-निर्धारण
job hazard	कार्य-संकट
job psychograph	कार्य मनोलेख
job sample test	कार्य प्रतिदर्श परीक्षण
just intonation	युक्त स्वरोत्पादन
juvenile paresis	बाल आंशिकघात

K

kainophobia	नव्यताभीति
kaintophobia	परिव्रर्तनभीति
kalotropic	सौंदर्यानुवर्ती
katasexual	अपकामुक

kenophobia	एकांतभीति
kinaesthetic imagery	गतिपरक प्रतिमा-सृष्टि
kinephantom	गतिभ्रम
kinesimeter	गतिसंवेदीमापी
kinesthetic perception	गति प्रत्यक्ष
kinetegenesis	गतिज विकास
kleptolagnia	चौर्यकामुकता
knee jerk	जानु प्रतिक्षेप
korsakoffs psychosis	कोर्साकोफ़ मनस्ताप
krause end bulb	क्राउसे अंत्य कंद
kuder preference record	क्यूडर अधिमान अभिलेख

L

lability	अस्थिरता
labiograph	ओष्ठ्यलेखी, ओष्ठ्यलेखित्र
laboratory demonstration	प्रयोगशाला निदर्शन
laboratory observation	प्रयोगशाला प्रेक्षण
laboratory phonetics	प्रयोगिक स्वनविज्ञान
labyrinth	गहन
lactation	दुग्ध पायन
ladder system	सोपान सिद्धांत
laloplegia	वाक्-अंगघात
lancination	शूल
Langerhans cell	लांगेरहान्स कोशिकाएँ
language skil	भाषा-कौशल
languor	कलांति
larceny	चौर्य
laryngograph	स्वरयंत्र लेखित्र

M

maidenhood	कौमार्य
maintain	अनुरक्षण करना
make-believe	कृतक विश्वास
malaccommodation	कुसमंजन
maladjusted child	कुसमायोजित बालक
malbehaviour	अपव्यवहार, अनुचित व्यवहार
malevolence	दुरभिसंधि, दुरेषणा
malign	दु:साध्य, तीव्र, उग्र
maniac	उन्मादी
manic cycloid component	उन्माद चक्राभ घटक
manic depressive psychosis	उन्माद अवसाद मनस्ताप
manic reaction	उन्मादी प्रतिक्रिया
manic stupor	उन्मादी जड़िमा
man-to-man rating scale	प्रतिव्यक्ति निर्धारण-मापनी
manual aphasia	लेखनघात

N

natural phenomenon	नैसर्गिक घटना
nature-nurture	प्रकृति व परिपोषण
necrophilia	शवकामुकता, शवरति
need-achievement	आवश्यकता-उपलब्धि
need-satisfaction sequence	आवश्यकता संतुष्टि अनुक्रम
negative correlation	ऋण-सहसंबंध
negative inducibility	नकारात्मक प्रेरकता
negative response	नकारी अनुक्रिया
negative suggestion	नकारात्मक संसूचन
negative transfer	नकारात्मक अंतरण
negativistic behaviour	नकारात्मक व्यवहार
neo-behaviourism	नव्य-व्यवहारवाद
neophobia	नव्यताभीति

nervous	तंत्रिकीय
net correlation	निवल सहसंबंध

O

oligergasia	स्थिर मंदबुद्धि; अतिमंदता
oliguresis	अल्पमूत्रता
omnibus test	सार्विक परीक्षण
onanism	हस्तमैथुन
oneirophrenia	स्वापमूलक मनोविदलता, स्वप्नमनसकता
oniomania	क्रयोन्माद
ontoanalysis	अस्तित्व-विश्लेषण
ontography	व्यक्तिवर्णना
oogenesis	अंड-जनन
open-form	मुक्त प्रश्नावली
operant conditioning	क्रियाप्रसूत अनुकूलन
operational validity	संक्रियात्मक विधिमान्यता
ophidiophobia	सर्पभीति
opinion formation	मत-निर्माण
opinion research	मत-अनुसंधान

P

paederasty	बालमैथुन
pain spot	पीड़ा-स्थल
paired associates	युग्मित सहचर
paliphrasia	पुनरुक्ति दोष
pancreas	अग्न्याशय, पैंक्रिआज
panophobia	सर्वभीति
pansexualism	सर्वकामवाद

pantophobia	भविष्य-भीति
paper pencil test	पेपर पेन्सिल परीक्षण
paraesthesia	परासंवेदिता, पैरिस्थीसिया
paragraphia	लेखन-विकार
parakinesis	पराअंगविक्षेपविज्ञान
parallel dream	समांतर स्वप्न
parameter	समष्टिज, प्राचल, पैरामीटर
paranoia	व्यामोह

Q

qualitativ hedonism	गुणात्मक सुखवाद
quartile	चतुर्थक
questionnaire	प्रश्नावली, प्रश्नमाला
quotient scores	लब्धि प्राप्तांक

R

racial unconscious	जातीय अचेतन
radio iodine therapy	रेडियो आयोडीन चिकित्सा
randomization	यादृच्छीकरण, यादृच्छचयन
randomized blocks design	यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन, यादृच्छिक ब्लॉक अभिकल्प
random probability sampling	यादृच्छिक संभाव्यता, प्रतिदर्शग्रहण, यादृच्छिक संभाव्यता प्रतिचयन
rank difference correlation	कोटि अंतर सहसंबंध
rating scale	निर्धारण मापनी
rational emotive therapy	संवेग तर्क चिकित्सा
rational psychology	बुद्धिमूलक मनोविज्ञान
raw score	मूल प्राप्तांक
reaction	प्रतिक्रिया
reaction formation	प्रतिक्रिया-विधान

reaction time	प्रतिक्रिया काल
reactive inhibition	प्रतिक्रियात्मक प्रावरोध
reactive schizophrenia	प्रतिक्रियात्मक मनोविदलता

S

sadism	सादीयता, परपीड़न-रति
safety measure	सुरक्षा उपाय
same-opposite test	पर्याय-विपर्याय परीक्षण
sample survey	प्रतिदर्श सर्वेक्षण, नमूना सर्वेक्षण
sampling	प्रतिचयन, नमूना-चयन
sampling error	प्रतिचयन त्रुटि
sanguine	रक्तप्रकृति
saturation scale	संतृप्ति मापनी
satryiasis	सेटिरीयता, पुरूष कामोन्माद
savagery	वहशीपन, जंगली
saving method	बचत-प्रणाली
sachizo-affective type	विदलित भावात्मक प्ररूप
scatter diagram	विकीर्ण आरेख
scenotest	दृश्य-परीक्षण
secondary sensation	गौण संवेदन

T

taboo (=tabu)	निषेध, वर्जन, वर्जना, टेबू
tachistoscope	टैकिस्टोस्कोप
tacit assumption	मौनाभिग्रह
tantrum	क्रोधावेश
taphephobia	दफ़नभीति
tarantism	नृत्योन्माद
T' distribution	'टी' आकार वितरण
team spirit	टीम भावना, सहयोग भावना

tear gland	अश्रुग्रंथि
telepathy	मनःपर्यय, परचित्तज्ञान
telepsychics	दूरमानसिकी
temperamental (person)	अनवस्थितस्वभाव
temper displays	मनोदशा प्रदर्शन
tendentious apperception	सोद्देश्य संप्रत्यक्षण
tendon	कंडरा

U

unadjustment	असमायोजन
unaided recall technique	अननुप्रेरित पुनःस्मरण प्रविधि
unconscious cerebration theory	अचेतन प्रमस्तिष्क क्रिया सिद्धांत
unconscious motivation	अचेतन अभिप्रेरण
unconsciousness	अचेतना
uncontrollable behaviour	अनियंत्रणीय व्यवहार
undernourishment	न्यूनपोषण, अल्पपोषण
undirected (unstructured interview)	अनिदेशित साक्षात्कार
unfolding technique	उन्मीलन प्रविधि
unidimensional scale	एकविमीय मापनी
unilineal	एकरेखीय, एकान्वयिक
unipolar cell	एकध्रुवीय कोशिका
unit character	इकाई लक्षण
unnatural practices	अस्वाभाविक आचार
unproductive mania	असर्जनात्मक उन्माद

V

vaginismus	योनि-आकर्ष
valence	कर्षण शक्ति
validity	प्रामण्य
validity coefficient	वैधता गुणांक

variable stimulus	परिवरर्त्य उद्दीपन
vascular disorder	वाहिका विकार
vector	सदिश, वेक्टर
vegetotherapy	पेशीरेचन-चिकित्सा
verbal ability	शाब्दिक योग्यता
visual hallucination	दृष्टि विभ्रांति
verbal aphasia	शाब्दिक भाषाघात, भाषाघात
verbal image	शाब्दिक प्रतिमा, शाब्दिक बिंब
verbal reasoning test	शाब्दिक तर्क परीक्षण
verbatim memory	शब्दशः स्मृति
verbomania	शब्दोन्माद, वाचोन्माद

W

war neurosis	युद्ध तंत्रिकाताप
warped personality	विकृत व्यक्तित्व
waterfall illusion	प्रपात भ्रम
weber-fechner law	वेबर–फेक्नर नियम
whole learning	पूर्णाधिगम
will therapy	इच्छाशक्ति चिकित्सा
withdrawn behaviour	विनिवर्तित व्यवहार
word span test	शब्द विस्तृति परीक्षण
worker specifications	कर्मी विशिष्टयाँ
working hypothesis	कार्यकारी प्राक्कल्पना
work sampling method	कार्य प्रतिचयन विधि
wundt illusion	वुन्ट भ्रम

X

xenophobia	अज्ञातजनभीति
x-o test	काटो-धेरो परीक्षण

Z

zeigarnik effect	त्साईगार्निक प्रभाव
zero acceleration	शून्य त्वरण
zoomorphism	पशुत्वारोपण
zoophobia	जंतुभीति
zoopsia	पशुरूपभ्रम
Z-score	जेड प्राप्तांक, जेड-स्कोर
zygote	युग्मनज, युग्मज, जाइगोट

लेखकों से अनुरोध

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध उपयोगी एवं नवीनतम मूल पाठप्रधान तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। यह पत्रिका मिले-जुले प्रकार की है जिसमें तकनीकी लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावलियाँ तथा परिभाषा-कोश, सामाजिक विज्ञान, व्यंग्य चित्र, तकनीकी सूचना, तकनीकी समाचार, पुस्तक-समीक्षा आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

(i) पत्रिका के लिए भेजी गई पांडुलिपियाँ/लेख मौलिक और अप्रकाशित होने चाहिए। वे केवल हिंदी में होने चाहिए ।

(ii) लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे सामयिक विषयों/ मुद्दों पर लेख भेजें !

(iii) लेख सरल और बोधगम्य भाषा में होने चाहिए।

(iv) लेख में अधिक से अधिक 4,000 शब्द होने चाहिए ।

(v) लेख A-4 आकार के कागज पर एक तरफ डबल स्पेस में सफाई से टंकित किया गया या हाथ से स्पष्ट/सुपाठ्य लिखा गया होना चाहिए और दोनों तरफ पर्याप्त हाशिए छोड़े गए होने चाहिए।

(vi) लेख का सार-संक्षेप भी इसके साथ अवश्य भेजा जाना चाहिए।

(vii) लेखों में आयोग द्वारा निर्मित/परिभाषित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(viii) यदि आवश्यक हो तो लेख में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्यायों को कोष्ठकों में भी दिया जा सकता है।

(ix) रंगीन और श्वेत-श्याम फोटोग्राफ स्वीकार किए जाते हैं। प्रस्तुत किए गए रेखाचित्र सफेद कागज पर ब्लैक इंडिया इंक से तैयार किए जाने चाहिए।

(x) किसी लेख का प्रकाशित किया जाना संपादक के विवेक पर होगा और इस संबंध में उसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

(xi) लेखों को स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई भी पत्र- व्यवहार करने का प्रावधान नहीं है।

(xii) अस्वीकृत लेख को वापस नहीं किया जाएगा। लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए टिकट लगे लिफाफे न भेजें !

(xiii) समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ।

(xiv) प्रकाशित लेख के लिए मानदेय की दर रु. 2500/- प्रति 1000 शब्द है लेकिन उसकी अधिकतम राशि रु. 6000/- होगी।

(xv) सभी भुगतान पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद किए जाते हैं।

(xvi) लेखक अपने लेख की दो प्रतियाँ कृपया संबंधित पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं यथा...

संपादक एवं प्रकाशन प्रभारी

'ज्ञान गरिमा सिंधु',
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली- 110066.

सदस्यता से संबंधित सूचना

ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु के सभी अंक पत्रिका के ग्राहकों को डाक द्वारा भेजे जाते हैं। सदस्यता दरें इस प्रकार हैं-

सदस्यता शुल्क	**भारतीय मुद्रा**
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कापी	₹ 14/-
वार्षिक शुल्क	₹ 50/-
छात्रों के लिए प्रति कॉपी	₹ 8/-
वार्षिक शुल्क	₹ 30/-

छात्रों को अपनी शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करना चाहिए कि वह संस्था का छात्र है।

हमारे प्रकाशन

बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह

शीर्षक	मूल्य
बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह	
विज्ञान खंड 1, 2 (अंग्रेजी-हिंदी)	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान खंड - 1, 2 (अंग्रेजी-हिंदी)	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	
आयुर्विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरी-(हिंदी-अंग्रेजी)	48.00
कृषि विज्ञान (अंग्रेजी-हिंदी)	278.00
मुद्रण इंजीनियरी (अंग्रेजी-हिंदी)	48.50
आयुर्विज्ञान (अंग्रेजी-हिंदी)	1719.00
पशुचिकित्सा विज्ञान (अंग्रेजी-हिंदी)	82.00
विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	236.00
इंजीनियरी (सिविल, विद्युत, यांत्रिकी) (अंग्रेजी-हिंदी)	340.00
प्राणिविज्ञान (अंग्रेजी-हिंदी)	311.00

विषयवार शब्द-संग्रह / शब्दावली / परिभाषा कोश /

अर्थशास्त्र

अर्थमिति परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00
अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	117.00
अर्थशास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो)	185.00
अर्थशास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	183.00
अर्थशास्त्र शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	137.00

आयुर्विज्ञान

आयुर्विज्ञान शब्द संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	450.00
आयुर्विज्ञान के सामान्य शब्द एवं वाक्यांश (अंग्रेजी-तमिल-हिंदी)	279.00
आयुर्विज्ञान परिभाषा कोश (शल्य विज्ञान) (अंग्रेजी-हिंदी)	338.00
आयुर्वेद परिभाषा कोश (संस्कृत-अंग्रेजी-हिंदी)	1345.00
औषधि प्रतिकूल प्रतिक्रिया शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	273.00
आयुर्वेद परिभाषा कोश (संस्कृत-अंग्रेजी)	260.00
आयुर्विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	517.00
रोग निदान एवं विकृति विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	401.00
आयुर्वेद शब्द-संग्रह (संस्कृत-अंग्रेजी)	445.00
अगदतंत्र एवं न्याय वैद्यक शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	191.00

इंजीनियरी

सिविल इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	61.00
रासायनिक इंजीनियरी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	51.00
विद्युत इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	81.00
यांत्रिक इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	94.00

इतिहास

इतिहास परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	20.50
इतिहास शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	404.00
इतिहास शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	218.00

कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी

कंप्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	102.00
कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	57.00
कंप्यूटर विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो)	78.00
सूचना प्रौद्योगिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	231.00
प्रसारण तकनीकी शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	310.00

कला और संगीत

पाश्चात्य संगीत परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	28.55
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	202.00

नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन

शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) 75.00

कृषि

रेशम विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 50.00

पादप आनुवंशिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 75.00

कृषि कीट विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 75.00

मृदा विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 77.00

वानिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 447.00

गणित

गणित शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी) 143.00

गणित परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) 203.00

सांख्यिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) Out of Stock 18.00

गणित शब्दसंग्रह (अंग्रेजी--ओडिआ) 189.00

गणित शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो) 335.00

गुणता नियंत्रण

गुणता नियंत्रण शब्दावली

(अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी) 38.00

गृह विज्ञान

गृह विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	60.00

जीवन विज्ञान

सांस्कृतिक नृविज्ञान परिभाषा कोश	24.00
पुरावनस्पतिविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	80.50
वनस्पतिविज्ञान परिभाषा कोश (संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण)(अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
पादप आनुवंशिक परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
सूक्ष्मजैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	45.00
कोशिका जैविकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	62.00
पादप रोग विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
वनस्पतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	86.00
सूत्रकृमि विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	125.00
कोशिका जैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	121.00
कोशिका तथा अणुजैविकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	348.00
प्राणिविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	216.00
प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	205.00
वनस्पतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	208.00
पर्यावरण विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	381.00
प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	417.00
जीवविज्ञान शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	212.00
पर्यावरण विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	510.00

दर्शनशास्त्र

भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-1 (अंग्रेजी-हिंदी)	151.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-2 (अंग्रेजी-हिंदी)	124.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-3 (अंग्रेजी-हिंदी)	136.00
दर्शन शास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	61.00
दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	198.00
जैन दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	900.00

पत्रकारिता

पत्रकारिता परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	87.00
पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	12.25

पुरातत्व विज्ञान

पुरातत्व विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	509.00
पुरातत्व विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	157.00
पुरातत्व विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी बोडो)	157.00

पुस्तकालय विज्ञान

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	325.00
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	375.00

प्रशासन

प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-ओडिआ)	390.00
प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	720.00
प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	
(संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण	20.00
प्रशासनिक शब्दावली (हिंदी-अंग्रेजी) (पुनर्मुद्रण पृ. 479)	20.00

प्रबंधविज्ञान

प्रबंध विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	170.00

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	247.00
मनोविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	108.00
मनोविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	334.00

भाषा विज्ञान

भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-1 (अंग्रेजी-हिंदी)	89.00
भाषा विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	113.00
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-2 (अंग्रेजी-हिंदी)	59.00

भूगोल

मानचित्र विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	231.00
भूगोल शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	200.00
भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) स्टॉक में नहीं	-

मानव भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) स्टॉक में नहीं	-
प्राकृतिक विपदा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00
जलवायु विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	131.00
भूगोल शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो)	515.00
भूगोल शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	515.00

भूविज्ञान

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	173.00
शैलविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	153.00
भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	88.00
भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	63.00
खनन एवं भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	32.00
संरचनात्मक भूविज्ञान एवं विवर्तनिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	15.00
संरचनात्मक भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	13.50
सामान्य भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	97.00
आर्थिक भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
भूभौतिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	67.00
शैलविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	82.00
खनिज विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	130.00
अनुप्रयुक्त भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	115.00
संरचनात्मक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	73.00
जीवाष्म विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	129.00

भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी--बोडो)	306.00

भौतिकी

तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	10.00
अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	45.00
भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	119.00
भौतिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	700.00
भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	203.00
अर्धचालक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	140.00
इलेक्ट्रोनिकी शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	349.00
भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	652.00
संक्रिया विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	153.00
भौतिकी शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	219.00
प्लाज्मा भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	1589.00

रसायन

उच्चतर रसायन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00
इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	55.00
रसायन (कार्बनिक) परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	25.00
धातुकर्म परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	278.00
रसायन शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	137.00
रसायन शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	592.00
रसायन शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	84.00

राजनीति विज्ञान

राजनीति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	343.00
राजनीतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	186.00
राजनीतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो)	211.00
राजनीति विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	670.00

रक्षा

समेकित रक्षा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	284.00

लोक प्रशासन

लोक प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	52.00

वाणिज्य

वाणिज्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	24.00
वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	259.00
पूंजी बाजार एवं संबद्ध शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	79.00
वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी-ओडिआ)	162.00
वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी-बोडो)	194.00

शिक्षा

शिक्षा परिभाषा कोश खंड-1 (अंग्रेजी-हिंदी)	13.50

शिक्षा परिभाषा कोश खंड-2 (अंग्रेजी-हिंदी)	99.00
शिक्षा शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	137.00
शिक्षा शब्द-संग्रह (अंग्रेजी--बोडो)	97.00

समाज शास्त्र

समाज कार्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	16.25
समाज शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	71.40
समाज शास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-ओडिआ)	118.00
समाज शास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो)	118.00
शिक्षार्थी समाज शास्त्र शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	275.00

अन्य

अंतरराष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	344.00
संसदीय कार्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	130.00

विषयवार मूलभूत शब्दावलियाँ

अर्थशास्त्र मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
आयुर्विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
आयुर्वेद मूलभूत शब्द-संग्रह (चिकित्सकीय) संस्कृत-अंग्रेजी-हिंदी	निःशुल्क
आयुर्वेद मूलभूत शब्द-संग्रह	

(अचिकित्सकीय) (संस्कृत-अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

पर्यावरण इंजीनियरी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

यंत्रिक इंजीनियरी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

कंप्यूटर विज्ञान की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

दूरसंचार की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

कृषि विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

गणित की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

गृह विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

प्राणिविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

वनस्पतिविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

पुरातत्व और वास्तुकला की
मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की
मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

मनोविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

भूगोल की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

भूविज्ञान की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

कोयला उद्योग की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

रसायन मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) निःशुल्क

राजनीति विज्ञान मूलभूत शब्दावली
(अंग्रेजी-हिंदी-असमिया) निःशुल्क

राजनीति विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
वाणिज्य मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-बोडो)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-डोगरी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-मराठी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-गुजराती)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-मणिपुरी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-मैथिली)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-संथाली)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-पंजाबी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-असमिया)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-कोंकणी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-नेपाली)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी मलयालम्)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-बंगला)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-तेलुगु)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-तमिल)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-ओडिआ)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-कन्नड़)	निःशुल्क
पर्यावरण विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
जैवप्रौद्योगिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-उर्दू)	निःशुल्क
मूलभूत इलेक्ट्रोनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	निःशुल्क

मूलभूत प्रसारण शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	निःशुल्क
राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बांग्ला)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-सिंधी)	निःशुल्क
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-संस्कृत)	निःशुल्क
राजनीति विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रजी हिंदी-असमिया)	निःशुल्क

संदर्भ ग्रंथ

विश्व के प्रमुख धर्म	118.00
बाल मनोविकास	58.00
इलेक्ट्रॉनिक मापन	31.00
सैन्य विज्ञान पाठ संग्रह	100.00
द्रवचालित मशीन	66.50
सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी	470.00
लोहीय तथा अलोहीय धातु	68.00
लैटर प्रैस मुद्रण	270.00
विश्व के प्रमुख दार्शनिक	433.00
ठोस पदार्थ यांत्रिकी	995.00
ऐतिहासिक नगर	195.00
प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक नगर	109.00
समुद्री यात्राएँ	79.00
वैज्ञानिक शब्दावली : अनुवाद एवं मौलिक लेखन	34.00

विश्व दर्शन	53.00
अपशिष्ट प्रबंधन	17.00
कोयला : एक परिचय	294.00
रत्न विज्ञान : एक परिचय	115.00
पर्यावरणीय प्रदूषण : नियंत्रण तथा प्रबंधन	23.25
वाहितमल एवं आपंक : उपयोग एवं प्रबंधन	40.00
2 दूरीक एवं 2 मानकित समष्टियों में संपात एवं स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन	68.00
भारत में प्याज एवं लहसन की खेती	82.00
पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग	60.00
मृदा-उर्वरता	410.00
ऊर्जा-संसाधन और संरक्षण	105.00
पशुओं के कवकीय रोग, उनका उपचार एवं नियंत्रण	93.00
परराज्यामितीय फलन	90.00
भेड़ बकरियों के रोग एवं उनका नियंत्रण	343.00
भारत में भैंस उत्पादन एवं प्रबंधन	540.00
भारत में ऊसर भूमि एवं फसलोत्पादन	555.00
सामाजिक एवं प्रक्षेत्र वानिकी	54.00
समकालीन भारतीय दर्शन के कुछ मानववादी चिंतक : तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन	153.00
स्वतंत्रता पूर्व हिंदी में विज्ञान लेखन	176.00
भारतीय कृषि का विकास	155.00
कोयला : एक परिचय	425.00

भविष्य की आशा : हिंदी महासागर	154.00
इस्पात परिचय धातु विज्ञान पाठमाला	146.00
जैव-प्रौद्योगिकी : अनुसंधान एवं विकास	134.00
पृथ्वी : उद्भव और विकास	86.00
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी	90.00
प्राकृतिक खेती	167.00
हिंदी विज्ञान पत्रकारिता : कल, आज और कल	167.00
मानसून पवन : भारतीय जलवायु का आधार	112.00
हिंदी में स्वतंत्रता परवर्ती विज्ञान लेखन	280.00
विश्व में प्रमुख धर्मों में धर्मसमभाव की अवधारणा एक तुलनात्मक अध्ययन	490.00
मैग्नेसाइट : एक भूवैज्ञानिक अध्ययन	214.00
मृदा एवं पादप पोषण	367.00
नलकूप एवं भौमजल अभियांत्रिकी	398.00
पादपों में कीट प्रतिरोध और समेकित कीट प्रबंधन	367.00
भारत के सात आश्चर्य	335.00
पादप सुरक्षा के विविध आयाम	360.00
पादप प्रवर्धन एवं पौधशाला प्रबंधन	403.00
खनि आयोजन के सिद्धांत और अनुप्रयोग	2729.00
मृदा संरक्षण एवं प्रबंधन	344.00
लोहा व इस्पात उत्पादन	187.00
आधुनिक विहार का भूगोल	452.00

बिक्री संबंधी नियम

1. आयोग के प्रकाशन आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध रहते हैं।
2. सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75 प्रतिशत तक भी छूट दी जाती है।
3. सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी किया जाता है। अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या मनीऑर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (Chairman, C.S.T.T., New Delhi) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं होगा। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही पुस्तकें भेजी जाती हैं।
4. चार किलोग्राम वजन तक की सभी पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैकिंग तथा फॉर्वर्डिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
5. चार किलोग्राम से अधिक की सभी पुस्तकें सड़क परिवहन से भेजी जाती हैं तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन-व्ययों का भुगतान माँगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।
6. पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से मांगकर्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान माँगकर्ता को ही करना होगा।

7. सड़क परिवहन से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग-अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके स्वयं पुस्तकें प्राप्त कर सकती है।

8. दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं होगी। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होंगी।

9. पुस्तकों की पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मांगकर्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। यदि परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचता है तो उसका दायित्व आयोग पर नहीं होगा।

10. सामान्यतः बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकों की वापसी नहीं होगी। यदि क्रय राशि का समायोजन आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में अन्य पुस्तकें ही दी जाएँगी ।

11. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार के बिक्री केंद्रों की सूची -

    1. किताब महल, प्रकाशन विभाग
       बाबा खड्ग सिंह मार्ग, स्टेट एंपोरियम बिल्डिंग,
       यूनिट नं. 21, नई दिल्ली-110001.

    2. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
       उद्योग भवन, गेट नं.-3, नई दिल्ली-110001
    3. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, न्यू मेरीन लाइन्स
मुंबई - 400020.

4. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
दिल्ली उच्च न्यायालय, (लॉयर चैंबर)
नई दिल्ली-110003.

5. पुस्तक डिपो., प्रकाशन विभाग,
के. एस. राय मार्ग, कोलकाता-700001

12. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें –
प्रभारी अधिकारी (बिक्री)
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

प्रोफार्मा

(आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए आत्मवृत्त भेजने हेतु)

1. नाम : _____
2. पदनाम : _____
3. पता : कार्यालय : _____
   निवास : _____
4. संपर्क नं. टेलीफोन/मोबाइल/ई-मेल : _____
5. शैक्षिक अर्हता : _____
6. विषय-विशेषज्ञता : _____
7 भाषाओं का ज्ञान जिन्हें पढ़/लिख सकते हैं: _____
*8. शिक्षण का अनुभव : _____
*9. शोध कार्य का अनुभव : _____
*10. शब्दावली निर्माण का अनुभव : _____
*11. शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी/
    क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का अनुभव : _____

☐ मैं आयोग से सहयोजित होना चाहता हूँ (कृपया टिक लगाएँ)

☐ शब्दावली निर्माण सत्रों में विशेषज्ञ के रूप में

☐ आयोग के कार्यक्रमों में संसाधक के रूप में

ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु में प्रकाश्य लेख के लेखक के रूप में या पाठ-संग्रह(मोनोग्राफ)/चयनिका के लेखक के रूप में

☐ पांडुलिपि संलग्न है।

☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ\

☐ 'ज्ञान गरिमा सिंधु'/'विज्ञान गरिमा सिंधु' पत्रिका का ग्राहक बनकर

☐ ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है

☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ

*जहाँ लागू हो

हस्ताक्षर

फार्म

पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक फार्म

व्यक्ति / संस्थाएँ या छात्र निम्नलिखित फार्मेट में सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... इस स्कूल/कॉलेज/ विश्वविद्यालय के ..... विभाग में वास्तविक छात्र/छात्रा है।

हस्ताक्षर

(प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष)

ग्राहक फार्म

अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066.

महोदय,

मैं, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली ..... बैंक के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट नं. ..... दिनांक ..... द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु/ विज्ञान गरिमा सिंधु के लिए वार्षिक ग्राहक शुल्क के रु. ..... भेज रहा/रही हूँ।

टिप्पणी : खाते में देय ड्राफ्ट अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाया जा सकता है।

कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता अवश्य लिखें ।

ग्राहक बनने से संबंधित पत्र-व्यवहार	
सदस्यता से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार निम्नलिखित के साथ किया जाए- प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड-7, आर. के. पुरम्, नई दिल्ली-110066	पत्रिकाएँ प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग या निम्नलिखित पते पर भी प्राप्त की जा सकती हैं। प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

(हस्ताक्षर)

नाम व पता.....

.....

© भारत सरकार
प्रकाशन नियंत्रक

अंक 62 पी.सी.एस.टी.टी. (अप्रैल-जून) वर्ष 2019

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110066.
फोन नं. 011-26105211
वेबसाइट : www.cstt.nic.in, www.csttpublication.mhrd.gov.in

Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
West Block No. 7, Ramakrishnapuram, New Delhi - 110066.
Phone: 011-26105211
Website : www.cstt.nic.in, www.csttpublication.mhrd.gov.in